खण्ड-144, अंक-4
शुक्रवार, 30 आश्विन, शक संवत् 1876
(22 अक्टूबर, 1954 ई0)

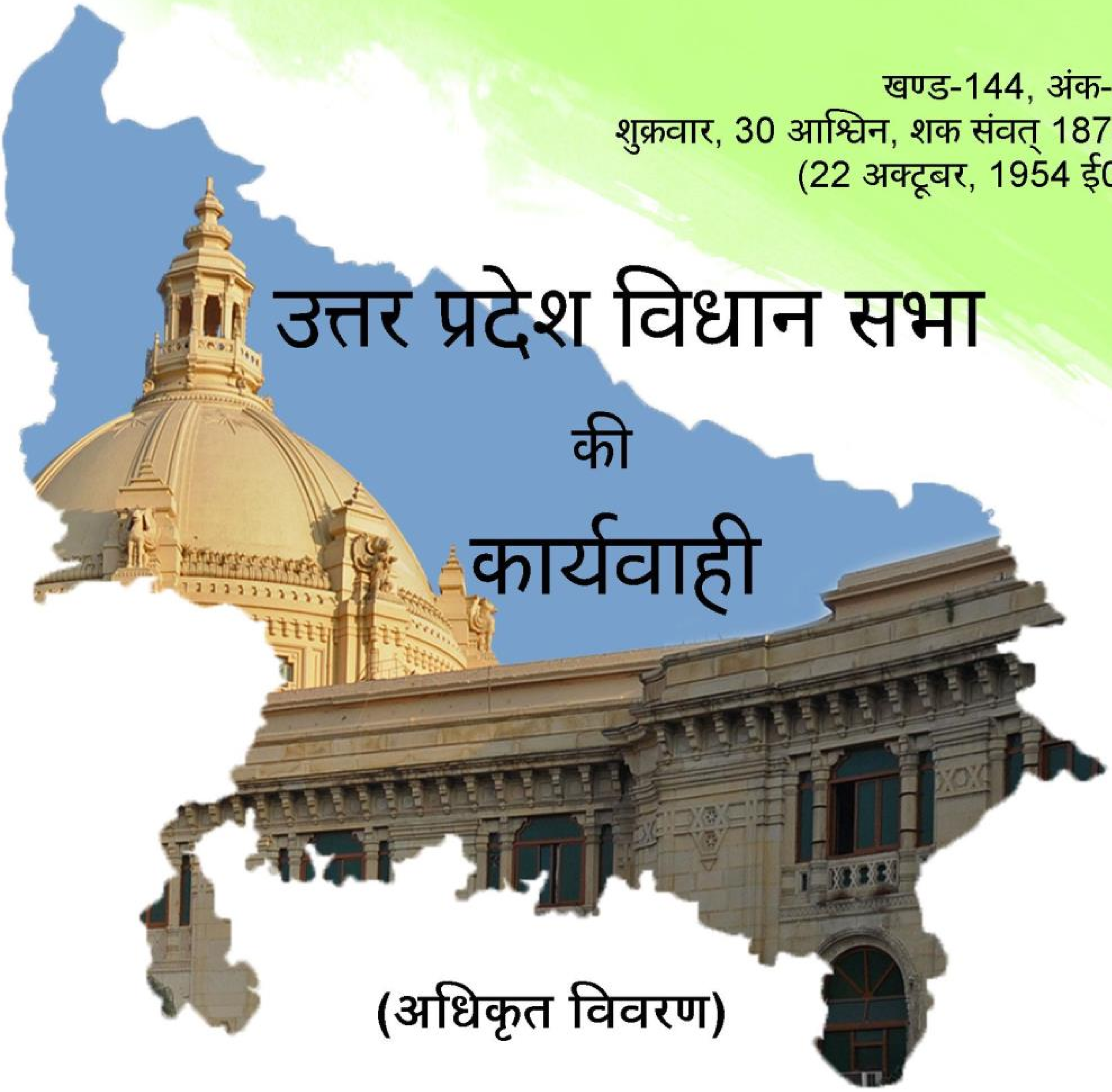

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 144 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २२ अक्तूबर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री

बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी ,श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह,श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकरामशर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री

अवर सचिव सभा

रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप , श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल , श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री

श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

आर्ट्स कालेज, लखनऊ के एक छात्र द्वारा गोमती में कूद कर आत्महत्या

**१—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार को मालूम है कि आर्ट्स कालेज, लखनऊ के एक छात्र ने इसी माह में गोमती में कूद कर आत्महत्या की? यदि हां, तो क्या सरकार को इसके कारण का पता चला है?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—यह घटना १८ सितम्बर, सन् १९५४ को हुई। १७ सितम्बर, सन् १९५४ को आर्ट्स स्कूल के एक छात्र श्री जुगल किशोर अपने मित्र श्री सतीशचन्द्र के साथ इम्पीरियल बैंक अपनी परीक्षा की फीस जमा कराने गये। श्री जुगल किशोर के पास ३७ रु० अधिक थे। बैंक में भीड़ होने के कारण वह रुपये उन्होंने सतीशचन्द्र को धरोहर दे दिये। रुपये वापस मांगने पर श्री सतीशचन्द्र ने उत्तर दिया कि उन्होंने लौटा दिये हैं। इस पर मामला छात्रावास के अधीक्षक के पास पहुंचा और तलाशी लेने पर रुपये बरामद हो गये। श्री सतीशचन्द्र ने अपना कसूर स्वीकार कर लिया। इस भय से कि उनको पुलिस को न सौंप दिया जाय, उन्होंने गोमती में कूद कर आत्महत्या कर ली।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब इस विद्यार्थी ने आत्महत्या की तो आत्महत्या के पूर्व वह कोई चिट्ठी लिख कर छोड़ गया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी पढ़ कर बतायेंगे कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है ?

श्री अध्यक्ष---उसका सार आप बतला दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उसमें यह लिखा है कि होस्टल के सुपरिंटेंडेंट ने मेरे ऊपर खामख्वाह झूठा इल्जाम चोरी का लगाया है और मुझे डर है कि मैं पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाऊं, इसलिये मैं आत्महत्या कर रहा हूं।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी से कई विद्यार्थियों का एक डेपूटेशन इस सम्बन्ध में मिला था कि उस विद्यार्थी को होस्टल सुपरिंटेंडेंट ने पब्लिकली मारा था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक मुझे याद पड़ता है कोई नहीं मिला था।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस विद्यार्थी पर, जिसने आत्महत्या की थी, चोरी का इल्जाम लगाया गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उस आत्महत्या करने वाले छात्र की लाश बरामद हुई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, बरामद हुई थी।

श्री झारखंडे राय---क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि लाश बरामद होने के बाद भी बोर्डिंग के सुपरिंटेंडेंट उसे उस लड़के की लाश मानने से इन्कार करते रहे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी मुझे सूचना नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या मंत्री जी को मालूम है कि जब आत्महत्या के बाद पता चला कि उस लड़के ने आत्महत्या कर ली है उसके बाद भी वहां के प्रिंसिपल या होस्टल के अध्यक्ष घटनास्थल पर दिन भर नहीं पहुंचे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---होस्टल से सम्बन्धित अधिकारियों ने क्या किया इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

जिला एटा के मारेहरा नोटीफाइड एरिया द्वारा नगरपालिका बनाये जाने की मांग

**२---श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)---क्या स्वशासन मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि जिला एटा में मारेहरा नोटीफाइड एरिया की यह मांग कि उसको नगरपालिका बनाया जाय वे कब तक पूर्ण करने का विचार रखते हैं ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपाशंकर)---यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। उस पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात ही सरकार किसी निर्णय पर पहुंच सकेगी।

श्री चिरंजीलाल जाटव---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिलाधीश एटा की इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट आई है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—जी हां, वह पहले आई थी जिसमें उन्होंने सिफारिश की थी कि उसको नगरपालिका बना दिया जाय।

श्री चिरंजीलाल जाटव—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वहां कब तक नगरपालिका बन जायगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस सम्बन्ध में कई बातें विचाराधीन हैं। वहां की औसत आमदनी ४५,००० रु० वार्षिक है और उसमें भी देखना है कि वहां टोल टैक्स से कितनी आमदनी है क्योंकि उसकी आमदनी नये हिसाब से कुछ अन्य कारणों से शायद घट जाय और फिर देखना पड़ेगा कि जो आमदनी है और जो इम्पलीमेंटेशन के बाद हो सकती है उससे वह नगरपालिका चल सकती है या नहीं, यह सब प्रश्न विचाराधीन हैं।

जिला इलाहाबाद के चितौरी ग्राम में पुलिस द्वारा अत्याचार

**३—श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार को शिकायत मिली है कि ग्राम चितौरी, जिला इलाहाबाद में १९ सितम्बर को पुलिस ने ग्रामीणों के घरों को लूटा था ? यदि हां, तो क्यों ?

**४—क्या सरकार के पास यह भी शिकायत आयी है कि कुछ घरों में पुलिस ने न तो एक बर्तन छोड़ा न एक दाना ?

**५—क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि चितौरी ग्राम में पुलिस द्वारा कुछ स्त्रियां भी अपमानित की गयी थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुछ समाचार पत्रों में इस प्रकार की शिकायतें की गई हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद के जिलाधीश महोदय ने इन तीन पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा चलाने की आज्ञा दी है ? और एक सर्किल इन्सपेक्टर को तैनात किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—प्रश्न संख्या ३, ४ और ५ का तीनों का सरकार ने एक उत्तर दिया है कि समाचार-पत्रों में छपा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि जो समाचार-पत्रों में छपा है उसको सरकार सत्य मानती है या कोई सरकारी इन्क्वायरी भी कराई गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकारी इन्क्वायरी भी कराई गई और उसका जिक्र हो गया था लेकिन चूंकि मुकदमा अदालत में दायर है, उसमें सब बातें आ जायंगी, इसलिये कुछ कहना उचित नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री (जिला गोंडा)—क्या आनरेबिल होम मिनिस्टर साहब बताने की मेहरबानी फरमायेंगे कि मौजा चितौरी में पांच मकान इस तरह से तबाह किये गये कि बरतन और सामान सब लूट लिया गया और क्या उसकी रिपोर्ट यहां आयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हमारे पास उस गांव वालों में से किसी ने कोई शिकायत नहीं की।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी--क्या सरकार के पास रामरति बेवा की कोई शिकायत आयी है कि उसके साथ हद से ज्यादा बदसलूकी की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बेवा, ब्याहता या क्वारी किसी औरत ने न गवर्नमेंट में और न पुलिस या थाने में ऐसी कोई शिकायत की है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि विधान सभा के सदस्य श्री परमानन्द सिन्हा ने एक वक्तव्य देकर इस घटना को असत्य कहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, मालूम हुआ है कि वहां श्री परमानन्द सिन्हा एक एम० पी० गये थे और उन्होंने ऐसा वक्तव्य निकाला है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को मालूम है कि उस क्षेत्र से सम्बन्धित एम० एल० ए० ने भी उस स्थान पर जाकर के जांच की है और अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उनकी जो कुछ रिपोर्ट है वह उन्होंने सदन के सामने स्वयं बयान कर दी थी।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को मालूम है कि उस क्षेत्र से सम्बन्धित एम० एल० ए० किस तारीख को उस गांव में गये थे और अपनी रिपोर्ट उन्होंने कब दी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसका ठीक उत्तर तो वही दे सकते हैं परन्तु जहां तक मुझे याद पड़ता है एक तो वह २४ तारीख को गये और दूसरी बार ३ या ४ को गये थे । मुझे ठीक याद नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री जी श्री कल्याणचन्द मोहले के प्रश्नों को शिकायत के रूप में मानकर वे कोई जांच समिति बैठाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं पहले कह चुका हूं कि यह सारा मामला अदालत में है और अगर इसमें सत्यता होगी तो वह अदालत के सामने आप से आप आ जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या यह सही है कि पत्र सम्वाददाताओं ने जो अखबारों में लिखा है वह चितौरी ग्राम में जाकर घटना को देख कर ही यह बयान दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कुछ अखबारों के सम्वाददाताओं ने अखबारों में लिखा जरूर है लेकिन क्या लिखा है मैं वह ठीक से नहीं कह सकता।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब अखबारों में उन्होंने इस प्रकार का सम्वाद पढ़ा उसके बाद उन्होंने क्यों नहीं जांच करवाई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उसके बाद सुपरिन्टेंडेंट पुलिस ने जांच की और उनका बयान निकल चुका है। अखबारों में भी कई बयान निकल चुके हैं। अखबारों में कई सदस्यों के बयान आ चुके हैं। मेरे लिये तो सभी सच है। किसको कहूं कि वह सच नहीं है। वह भी सच है और यह भी सच है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या यह बात सही है कि जिस जगह यह घटना हुई है वह पंडित जवाहरलाल जी नेहरू प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस देश में मैं जानता हूं कि कई हजार निर्वाचन क्षेत्र हैं। अब किस सदस्य का क्या निर्वाचन क्षेत्र है यह मुझे याद नहीं है।

राज्य में विदेशी चीनी की बिक्री एवं वितरण की व्यवस्था

**६---श्री गेंदासिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने विदेशी चीनी की क्या व्यवस्था इस प्रदेश में की और कितनी चीनी केन्द्रीय सरकार से कहां-कहां के लिये प्राप्त की ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---जैसा कि मैं तारांकित प्रश्न संख्या १४ से १६ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में २२-९-१९५४ को सूचित कर चुका हूं केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार देशी अथवा विदेशी शक्कर की बिक्री या वितरण में प्रदेशीय सरकार का कोई हाथ नहीं है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि विदेशी चीनी जब केन्द्रीय सरकार ले आ करके इस राज्य में बेंच रही है तो क्या इस राज्य सरकार ने उसका कोई विरोध भी किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---राज्य सरकार ने, जब इस प्रकार की देश की चीनी को बेंचने का प्रबन्ध किया जा रहा था उस समय जनवरी, फरवरी और मार्च में एक कोटा मांगा था और केन्द्रीय सरकार ने उस समय जितना कोटा प्रदेशीय सरकार ने देशी चीनी का मांगा था उसको काटकर १५ सौ टन देने का वचन दिया था। परन्तु शीघ्र ही उसके बाद उन्होंने अपनी पुरानी योजना जो प्रांतों के द्वारा वितरण की बनायी थी उसको बदल दिया। उसके बाद प्रदेशीय सरकार से वितरण के सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं हुयी। प्रदेशीय सरकार ने वितरण के सम्बन्ध में अपनी सम्मति अवश्य केन्द्रीय सरकार को दी है और उसने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि यह वितरण प्रदेशीय सरकार द्वारा होना चाहिये। क्योंकि उसके द्वारा ही सही कीमतों पर शक्कर बेंची जा सकती है वरना बिना किसी नियंत्रण के सही, उचित और नियंत्रण कीमत पर शक्कर नहीं बेंची जा सकती है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस विदेशी चीनी के बिकने के बाद आज भी १४ आने सेर से कम में चीनी उपलब्ध नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां, कुछ सूचना मेरे पास भी इसी प्रकार की है। कभी १४ आने सेर कभी साढ़े तेरह आने, कभी पौने चौदह आने और कभी चौदह आने से अधिक कीमतों पर भी चीनी अपने प्रदेश में बिकती रही है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश में जितनी चीनी की खपत है क्या यहां की चीनी की मिलें उतनी चीनी नहीं पैदा करती हैं कि विदेशी चीनी मंगाने की जरूरत पड़ती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---चीनी तो उत्तर प्रदेश की मिलें इस प्रदेश की आवश्यकता से अधिक अवश्य पैदा करती हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उसके वितरण के सम्बन्ध में सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले रखी है और वे ही विभिन्न मिलों के कोटों को सारे देश में बांटते हैं। इस प्रकार प्रदेशीय सरकार का वितरण के सम्बन्ध में कोई कानूनी हाथ नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में विदेशी चीनी का भाव ३३ रुपये प्रति मन के हिसाब से है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हो सकता है । जैसा मैंने अभी बताया कि जिस ढंग से चीनी बांटी जा रही है उसमें कभी कभी आर्टिफिशियल स्कैरसिटी पैदा की जा सकती है और उसके अनुसार चीनी की कीमत अधिक बढ़ सकती है । जैसा कि मैंने अभी सूचित किया कि मेरी भी सूचना इसी प्रकार की है कि कहीं कहीं चीनी के दाम काफी मात्रा में बढ़ रहे हैं ।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या प्रांतीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा भी सुझाव दिया है कि विदेशी और देशी चीनी की अलग-अलग बिक्री हो ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--नहीं, ऐसा सुझाव तो अभी केन्द्रीय सरकार के पास प्रांतीय सरकार की तरफ से नहीं हुआ ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाख़री--क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी फरमाकर बतलायेंगे कि जो मिकदार उत्तर प्रदेश की मिलों के अन्दर चीनी की तैयार होती है उसका कुछ हिस्सा फारेन कंट्रीज को भेजा जाता है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त--जहां तक विदेशों को चीनी भेजने का सम्बन्ध है मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है लेकिन जहां तक मेरी याददास्त है और जानकारी है उसकी बिना पर मैं कह सकता हूं कि विदेशों को यहां से चीनी नहीं जाती ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार बतलायेगी कि जो उसने केन्द्रीय सरकार को चिट्ठी भेजी है उसमें विदेशी चीनी के दाम पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में क्या सुझाव दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--विदेशी चीनी के सम्बन्ध में इस सरकार ने कोई सुझाव केन्द्रीय सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किया, न दामों के प्रश्न पर ही उसने कोई सुझाव केन्द्रीय सरकार को दिया । केवल यह सरकार देशी चीनी के वितरण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को लिखती रही है ?

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जो चीनी की उचित कीमत, सही कीमत जो इस प्रदेश में होनी चाहिये वह ११ आने सेर या इससे भी कम है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जो केन्द्रीय सरकार ने एक्स-फैक्ट्री कीमत निर्धारित कर रखी है उसके अनुसार १२ आने ३ पाई प्रति सेर इस प्रदेश में सरकार की समझ से चीनी की कीमत होनी चाहिये ।

तारांकित प्रश्न

गाजीपुर में एक मस्जिद का गिराया जाना

*१--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार को सूचना है कि गत ५ मार्च को एक भीड़ ने गाजीपुर शहर में एक मस्जिद को गिराकर उस स्थान पर एक मंदिर की स्थापना कर दी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--भीड़ ने एक मस्जिद की दीवारों को गिरा दिया और उस स्थान पर एक चबूतरा बनाया ।

*२--श्री झारखंडे राय--अगर हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस मामले के सम्बन्ध में एक पार्टी ने अदालत दीवानी में मुकदमा दायर किया है। फौजदारी मुकदमा अभी चल रहा है। अतएव वर्तमान स्थिति में उक्त मामले पर कोई आलोचना करना उचित न होगा।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि इस दीवार गिराने के घटना के कितने समय बाद या कितने दिन बाद जिला अधिकारियों की ओर से कोई भी कार्यवाही इस विषय में की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह सब मामला दीवानी अदालत में है लेकिन जहां तक मेरी सूचना है उसके कुछ घंटों के बाद।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या माननीय गृह मंत्री मेहरबानी फर्मा कर बतलायेंगे कि दीवार गिरने के बाद जब इत्तला हुयी तो गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस ने या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कोई एक्शन लिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, एक्शन लिया। मुकदमा कई लोगों पर चल रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी इस दुःख जनक घटना के कारणों पर संक्षिप्त विवरण देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--क्या असलियत होगी अदालत की राय में, मैं नहीं कह सकता इस वक्त मेरी जो सूचना है इसके बारे में उसके आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि वहां एक मस्जिद थी जिसकी दीवार बहुत पुरानी हो गयी थी और अंदेशा यह था कि दीवार गिर जायगी और उससे नुकसान हो जायगा। तो म्युनिसिपैलिटी ने वहां के जो मस्जिद के प्रबन्धक होंगे उनको यह आज्ञा दी थी कि आप इस दीवार को गिरवा कर बदलवा दें, दूसरी दीवार खड़ी कर दें। उन लोगों ने जब दीवार मरम्मत करने के लिये गिराई तो कहा जाता है कि उस दीवार की जड़ में या कहीं पास कुछ मूर्तियां मिलीं और जिनकी वजह से हिन्दुओं में कुछ आंदोलन हुआ कि यह जो मूर्तियां हैं उनकी स्थापना की जाय। शांति कायम रखने के लिये अधिकारियों ने क्वायटिली ऐसा कहा जाता है कि उन मूर्तियों को हटवा कर दूसरे एक पास के मंदिर में स्थापित कर दिया और मामला शांत हो जाता वहां पर लेकिन दूसरे दिन एक भीड़ जमा हो गयी और कहा जाता है कि उस भीड़ ने मस्जिद की और दीवारों को भी गिराया और भीड़ जब थोड़ी देर बाद चली गयी तो लोगों ने वहां पर एक चबूतरा बनवा दिया। बाद में चबूतरा हटा दिया गया और मस्जिद के प्रबन्धकों को इस बात की आज्ञा दे दी गयी कि आप उन दीवारों की मरम्मत करायें। मोटे तौर से इतनी ही बात है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या माननीय गृह मंत्री मेहरबानी करके फरमायेंगे कि इजाजत देने के बाद उन मुसलमानों ने गिरी हुयी दीवार बनायी अब तक या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अब तक बनी या नहीं बनी, यह तो नहीं कह सकता। उस वक्त मजदूर जमा करने की कोशिश की लेकिन वह नहीं कर सके तो उन्होंने यह इरादा किया कि ५,७ दिन बाद बनायेंगे। अब क्या स्टेज है यह मुझे नहीं मालूम।

नजरबन्द एवं दंडित राजनीतिक बन्दी

*३--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि प्रदेश में इस समय कुल कितने राजनीतिक बन्दी नजरबन्द अभियुक्त अथवा दंडित हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस समय प्रदेश की जेलों में ८ नजरबन्द २ विचाराधीन, तथा ३९ दंड प्राप्त ऐसे कैदी हैं जो निश्चित रूप से किसी न किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध रखते हैं।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन बन्दियों के विषय में संख्या दी गयी है उनका किन पोलिटिकल पार्टीज़ से सम्बन्ध है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग भी हैं, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के भी आदमी हैं । यही दो पार्टियां हैं जहां तक मैं देखता हूं ।

श्री झारखंडे राय---क्या गृह मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि इन बंदियों को किसी एक जेल में एक जगह पर रखा जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं यह गलती कर गया कि जो लोग नजरबन्द हैं उनमें कुछ लोग जमीयते इस्लामी के सदस्य भी हैं ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या आनरेबिल होम मिनिस्टर साहब मेहरबानी करके फरमायेंगे कि जो लोग गिरफ्तार किये गये या इस वक्त नजरबन्द हैं उन्होंने कोई गैर-कानूनी कार्यवाही भी की जिससे अमनों-अमान में खलल पड़ा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जब गवर्नमेंट की समझ में ऐसी बात आती है कि यह काम गलत है तभी लोग नजरबन्द किये जाते हैं और उसके बाद एक ट्राइब्यूनल होता है जिसमें तीन जज होते हैं उनके सामने मामला जाता है और जब वह ट्राइब्यूनल इस बात की तसदीक कर देता है कि हां, इन लोगों को नजरबन्द करना मुनासिब है तभी नजरबन्द होते हैं ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इन बंदियों को एक जगह एक जेल में रखने में क्या दिक्कत है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन की बात है । जिस हद तक जिसको जहां मुनासिब समझती है, वहां रखती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि निरोधात्मक या नजरबन्दी के सम्बन्ध में जो ट्राइब्यूनल है, उसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस वक्त मुझे तीनों नाम याद नहीं हैं ।

*४-६---श्री रामसुन्दर पांडेय---[स्थगित किये गये ।]

पुलिस थानेदारी की ट्रेनिंग में हरिजनों की संख्या

*७---श्री जोरावर वर्मा---क्या पुलिस मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि इस वर्ष पुलिस थानेदार की ट्रेनिंग पाने वालों में से कितने विभागीय हेड कांस्टेबिल्स हैं और उनमें परिगणित जातियों की क्या संख्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---विभागीय प्रशिक्षार्थी कुल ३० हैं लेकिन उनमें परिगणित जातियों का कोई नहीं है ।

*८---श्री जोरावर वर्मा---क्या पुलिस मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस ट्रेनिंग के लिये निम्नतम शैक्षिक योग्यता (Educational Qualifications) क्या है ? क्या परिगणित जातियों, राजनैतिक पीड़ितों और शरणार्थियों के लिये इसमें कुछ रियायत भी की गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---विभागीय प्रशिक्षार्थियों के लिये कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि विभागीय प्रशिक्षार्थियों के अलावा निर्वाचक प्रशिक्षार्थी कितने लिये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—७१ होंगे।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इसमें हरिजनों की संख्या क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तो जितने लोग उम्मीदवार हैं सबका इन्टरव्यू हो रहा है। जब रिपोर्ट हमारे पास आजायगी तभी कुछ कह सकते हैं।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो निर्वाचक प्रशिक्षार्थी लिये जाते हैं पुलिस की सेवा में उनमें हरिजनों, राजनैतिक पीड़ितों और शरणार्थियों की शिक्षा में कुछ कमी की गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सेलेक्शन वालों के लिये जो नियम बने हुए हैं उनमें हरिजनों के लिये तीन वर्ष की उम्र में छूट होती है और जो राजनैतिक पीड़ित होते हैं उनके लिये भी तीन वर्ष की छूट होती है। अब शिक्षा के सम्बन्ध में भी अगर हरिजन लोग हाई स्कूल भी हैं और और बातों में अगर ठीक हैं, तो ले लिये जा सकते हैं।

*९—श्री जोरावर वर्मा—[स्थगित किया गया।]

*१०-११—श्री वीरेन्द्र वर्मा—[२१ अक्तूबर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४३-४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मथुरा का साम्प्रदायिक झगड़ा

*१२—श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुछ दिन पूर्व मथुरा में कोई झगड़ा हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—२२ अगस्त सन् १९५४ को एक झगड़ा हुआ था।

*१३—श्री धर्मसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा में उक्त झगड़े के क्या-क्या कारण थे और यह घटना कैसे घटी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मथुरा के कटरा केशव देव में ईदगाह नाम की मस्जिद के पास की जमीन पर बहुत अर्से से मुसलमानों और जन्मभूमि ट्रस्ट के बीच झगड़ा था। हाईकोर्ट के फैसले में यह जमीन ट्रस्ट की घोषित की गयी। इस जमीन के पास कुछ मुसलमान घोसी रहते हैं। २२ अगस्त सन् १९५४ को गौहत्या निरोध समिति की ओर से एक जुलूस निकाला गया। उसी रोज ईदगाह के चारों ओर कृष्ण जन्मउत्सव मेला भी हो रहा था। एकायक शाम के ४.३० बजे कुछ उपद्रवियों ने घोसियों की झोपड़ियों में आग लगा दी।

*१४—श्री धर्मसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा में झगड़े के दिन कुछ झोपड़ियों में आग भी लगायी थी ? यदि हां, तो किन लोगों ने आग लगायी और कितनी झोपड़ियां जलीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, कुछ हिन्दुओं ने आग लगायी थी जिससे १२ झोपड़ियां जल गयीं।

*१५-१६—श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—[स्थगित किये गये।]

अल्मोड़ा जिले के कुछ गांवों में पेय जल का कष्ट

*१७—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास अल्मोड़ा जिले के कुछ ऐसे गांवों के नाम आये हैं जिनमें पेय जल का अतीव कष्ट है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—जी हां ।

*१८—श्री गोवर्धन तिवारी (अनुपस्थित)—यदि हां, तो उन ग्रामों में पेय-जल की समुचित व्यवस्था करने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जल कष्ट दूर करने के लिये प्रतिवर्ष उचित धन स्वीकृत किया जाता है ।

रायबरेली जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पुलिस के विरुद्ध गृह मंत्री को डेपुटेशन

*१९—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—क्या गृहमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत १८-८-५४ को रायबरेली जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ११ आदमियों का एक डेपुटेशन पुलिस के अनुचित कार्यों से पीड़ित हो कर गृहमंत्री से मिलने आया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, एक डेपुटेशन आया था ।

*२०—श्री गुप्तारसिंह—क्या गृहमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिला कांग्रेस कमेटी की शिकायतों पर उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केवल एक को छोड़ कर सब शिकायतों पर जांच की जा चुकी है । उनमें १३ शिकायतें गलत पाई गयी बाक़ी शिकायतों पर उचित कार्यवाही की गई ।

श्री गुप्तारसिंह—क्या माननीय गृहमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सही शिकायतें कितनी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आठ ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जांच किसके द्वारा कराई गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की रिपोर्ट मेरे पास है । उन्होंने खुद जांच की होगी या किसी डी० वाई० एस० पी० से करायी होगी ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो आठ शिकायतें सही निकलीं वह किस प्रकार की थीं ? किस नेचर की, किस क्राइम की थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, कुल १७ पेज की रिपोर्ट है । यदि आप की आज्ञा हो तो मैं एक एक को ढूंढ ढूंढ कर निकालूं ?

श्री अध्यक्ष—नहीं, इसकी जरूरत नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी जो आठ शिकायतें सही निकलीं उनमें पुलिस के विरुद्ध उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन सबके लिये पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्य-वाही की गई है लेकिन वह भी हर एक में अलग अलग देखना पड़ेगा ।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय गृह मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इन शिकायतों में से कोई शिकायत ऐसी भी है जो कि किसी विधान सभा के सदस्य को अपने कर्त्तव्य से च्युत करने के लिये किसी पुलिस अधिकारी द्वारा धमकी दी गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अगर मैं माननीय सदस्य का मतलब ठीक समझता हूं तो ऐसी कोई शिकायत इस सम्बन्ध में नहीं है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय राजेश्वर लाल जो रायबरेली से विधान सभा के सदस्य हैं उन्होंने कोई शिकायत माननीय गृहमंत्री जी के पास भेजी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं सिर्फ उन्हीं शिकायतों का जिक्र कर रहा हूं जो कि डेपुटेशन ने हमारे सामने रखी थीं।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी--क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी फरमाकर बतायेंगे कि आठ शिकायतें जो सही निकलीं तो कितनी शिकायतें गलत निकलीं ?

श्री अध्यक्ष--यह तो बताया जा चुका है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैंने अभी निवेदन किया, इन सब मामलों में पुलिस के खिलाफ कार्यवाही की गई। इतना मैं और बतला दूं कि इनमें से ९ मामले ऐसे हैं कि जो अदालत के सामने हैं। यह भी सम्भव हो सकता है कि उसमें से कोई बेकसूर निकले, कोई कसूरवार निकले।

*२१-२२--श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--[स्थगित किये गये।]

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग तथा काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों की परीक्षाओं के अधिकारों पर परिप्रश्न

*२३--श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग तथा काशी विद्यापीठ और संस्कृत कालेज बनारस के विद्यार्थी जो केवल एक विषय अंग्रेजी में परीक्षा दे कर हाई स्कूल और एफ० ए० की सनद प्राप्त करते थे वह सरकार बन्द कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)--जी हां, इंटरमीजियेट बोर्ड के विनियम ७ तथा ७ (अ) अध्याय १३ तथा १४ के अन्तर्गत प्राप्त सुविधायें केवल भाषा अध्यापकों के लिये थीं जब अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य था। अब उक्त प्रतिबन्ध हट जाने के कारण इन विनियमों का अस्तित्व निरर्थक हो गया।

उक्त विनियम के अन्तर्गत काशी विद्यापीठ, बनारस की परीक्षाओं को बोर्ड से कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी। राजकीय संस्कृत कालेज की संस्कृत परीक्षाओं का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उनको पूर्ण मान्यता प्राप्त है।

प्राइवेट विद्यार्थियों को इन्ट्रेंस तथा एफ० ए० की परीक्षा सुविधाएं

*२४--श्री बद्रीनारायण मिश्र--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्राइवेट विद्यार्थियों को इन्ट्रेन्स और एफ० ए० की परीक्षा में बैठने की सुविधा भी सरकार बन्द कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—जो सुविधा विद्याविनोदिनी में लड़कियों को प्राप्त है क्या उसी प्रकार की सुविधा लड़कों को सरकार देने पर विचार कर रही है?

श्री हरगोविन्दसिंह—इस प्रश्न का विद्याविनोदिनी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी इसे स्पष्ट करेंगे कि उनकी असमानता से क्या अर्थ है? क्या हिन्दी साहित्य सम्मेलन के विद्यार्थी बी० ए० की या आगे की डिग्री का इम्तहान दे सकेंगे

श्री हरगोविन्दसिंह—डिग्री की परीक्षा तो वे तभी दे सकेंगे जब कि वह जिस युनिवर्सिटी का इम्तहान देना चाहते हैं वहां के नियमों के अनुकूल होगा।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—जिस प्रकार विद्या विनोदिनी में एडवांस्ड सिविंग लेकर लड़कियां इंटर आर्ट्स में एडमिट हो सकती हैं उसी प्रकार हिन्दी साहित्य सम्मेलन से हिन्दी विशारद करके इंटर में या और क्लास में लड़के भर्ती हो सकते हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—इंटरमीडियेट बोर्ड ने अब इसे अस्वीकार कर दिया है।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—इंडर बोर्ड के प्रासपेक्टस के अनुसार दफा १३ के नियम (७) और दफा १४ के भी नियम (७) के अन्तर्गत जो विद्यार्थी केवल एक भाषा में परीक्षा देते थे उनको उन्हीं दफाओं के नियम (७) (अ) के अनुसार जब परीक्षा देने का अधिकार था तो इन दोनों नियमों को निकाल देने से इस वर्ष परीक्षा में बैठने का उनको लाभ नहीं पहुंच सकेगा, उसका क्या कारण है?

श्री हरगोविन्दसिंह—प्रश्न कुछ स्पष्ट नहीं है लेकिन जो मैं समझा उसका उत्तर है कि यह सन् ५६ से लागू होगा।

*२५—श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)—[स्थगित किया गया।]

संस्कृत पाठशालाओं में निरीक्षक के स्थान की पूर्ति के विज्ञापन में संशोधन

*२६—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक के लिये रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये जो विज्ञापन किया गया था उसमें बाद में संशोधन किया गया था?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां।

*२७—श्री दीनदयालु शास्त्री (अनुपस्थित)—यह संशोधन क्या था और इसके करने का क्या आधार है?

श्री हरगोविन्दसिंह—निरीक्षक के पद के लिये जो विज्ञापन निकाला था उसमें एल० टी० की उपाधि लोक सेवा परिषद् ने अपनी ओर से निर्धारित कर दी थी जब कि शासन ने उसे आवश्यक नहीं समझा था। शासन ने इस प्रतिबन्ध को हटा दिया और आचार्य की उपाधि को प्रधानता देने के लिये विज्ञापन में संशोधन कर दिया। संस्कृत विशेषज्ञों के आवेदन पत्रों पर उक्त संशोधन किया गया है।

राजकीय संस्कृत कालेज, काशी तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों के आचार्यों की योग्यताओं में सम्बन्ध

*२८—श्री दीनदयालु शास्त्री (अनुपस्थित)—क्या सरकार राजकीय संस्कृत काशी विश्वविद्यालय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के आचार्यों को योग्यता के विचार से समकक्ष मानती है?

श्री हरगोविन्दसिंह—काशी विश्वविद्यालय की आचार्य परीक्षा को संस्कृत कालेज की आचार्य परीक्षा के समकक्ष पारस्परिक मान्यता प्राप्त है। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के आचार्य को न तो संस्कृत कालेज बनारस और न काशी विश्वविद्यालय ने अपने यहां के आचार्य के समकक्ष माना है।

*२९–३१—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—[स्थगित किये गये।]

*३२—श्री देवकीनन्दन विभव—[स्थगित किया गया।]

गाजीपुर जिले में आग्नेय शस्त्रों का बनना

*३३—श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गाजीपुर जिले में बन्दूक, पिस्तौल और रिवाल्वर बनाये जाते हैं? यदि हां, तो कहां?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। गाजीपुर में रिवाल्वर व पिस्तौल कहीं नहीं बनाये जाते हैं। केवल बन्दूक बनाने के लिये एक लाइसेन्स है जो कस्बा बहादुर गंज में है।

*३४—श्री कमला सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बनाने वालों को सरकार से क्या सहायता मिलती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसे लोगों को सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती।

अल्मोड़ा तथा नैनीताल जिलों के हरिजन शिल्पकारों को उद्योग सम्बन्धी सरकारी सहायता

*३५—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा व नैनीताल में रहने वाले शिल्पकारों (हरिजनों) को पिछले तीन वर्षों में उद्योग धन्धों के लिये प्रोत्साहन देने के लिये अलग-अलग प्रति वर्ष कितना रुपया दिया गया?

डाक्टर सीताराम—जिला अल्मोड़ा व नैनीताल में रहने वाले हरिजनों को पिछले दो वर्षों में निम्नलिखित अनुदान दिये गये :—

	नैनीताल	अल्मोड़ा
	रु०	रु०
१९५२–५३	५००	६४५०
१९५३–५४	३८००	१२४५०

सन् १९५१–५२ में कोई अनुदान नहीं दिया गया।

श्री खुशीराम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह रुपया किस किस उद्योग के लिये दिया गया है?

डाक्टर सीताराम—यह दिया गया है कारपेंट्री, लोहे के और इसी प्रकार के कामों के लिये।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी ने यह देखा है कि दिया हुआ रुपया वसूल हुआ है या नहीं?

श्री हरगोविन्दसिंह—डी० पी० ओ० की रिपोर्ट के मुताबिक़ उसका रिएलाइजेशन है और कोई शिकायत भी नहीं आई है कि रिएलाइज नहीं हुआ है।

*३६—श्री खुशीराम—[स्थगित किया गया।]

*३७-३८—श्री रामभजन शर्मा (जिला खीरी)—[स्थगित किये गये।]

*३९—श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)—[स्थगित किया गया।]

बेगम बशीरा का खीरी की जेल में रखा जाना

*४०—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बेगम बशीरा इस समय किस जेल में बन्दी हैं? और उन्हें किस श्रेणी में रक्खा गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह इस समय जिला जेल खीरी में हैं, और उसे साधारण श्रेणी के कैदियों में रखा गया है।

*४१—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं कि उनके साथ जेल अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल अस्पताल में दाखिल किया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पर आकर्षित हुआ है जिसमें बेगम बशीरा के विरुद्ध दुर्व्यवहार की शिकायतें हुई हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं नहीं जानता। मैंने कोई खास ऐसी रिपोर्ट देखी नहीं है।

बरेली सेंट्रल जेल में भूख हड़ताल

*४२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि कुछ दिन पहिले बरेली सेंट्रल जेल के तमाम कैदियों ने जेल अधिकारियों के दुर्व्यवहार के कारण भूख हड़ताल की थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लगभग २,००० क़ैदियों में से केवल २२४ ने १६ जुलाई सन् १९५४ को भूख हड़ताल की थी लेकिन उसका कारण यह था कि वे चाहते थे कि बैरकों की तलाशी न ली जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह भूख हड़ताल कितने दिनों तक जारी रही?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह १६ जुलाई को शुरू हुई और धीरे धीरे टूटती गयी और ११ सितम्बर को एक कैदी बच गया था जिसने आख़िरी दिन भूख हड़ताल तोड़ी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन्होंने भूख हड़ताल की वह राजनीतिक बन्दी थे या दूसरे प्रकार के बन्दी थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनमें एक भी राजनीतिक बन्दी नहीं था बल्कि सब वही थे जिनको हैबीचुअल बंदी कहा जाता है।

*४३-४४--श्री रामअधार तिवारी--[स्थगित किये गये।]

इटावा जिले के पुलिस कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप

*४५--श्री मिहरबानसिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्दर शुरू सन् १९५२ से आज तक कितने पुलिस कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप में मुकद्दमे चलाये गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--चार कर्मचारियों पर।

*४६--श्री मिहरबानसिंह (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनमें से कितने कर्मचारियों को सजा मिली और कितने निर्दोष साबित हुये हैं और कितनों के मामले कब से विचाराधीन हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--एक को सजा मिली, दो निर्दोष साबित हुए और एक का मामला २६ अगस्त, १९५४ से अदालत में विचाराधीन है।

*४७-४८--श्री रामशंकर रविवासी (जिला लखनऊ)-[स्थगित किये गये।]

*४९--श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--[स्थगित किया गया।]

*५०-५२-श्री व्रजभूषण मिश्र--[स्थगित किये गये।]

बाराबंकी जिले में आग्नेय शस्त्रों के लाइसेंस

*५३--श्री घनश्यामदास (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--क्या गवर्नमेंट, बाराबंकी जिले के आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंसदारों की सूची उनकी योग्यता सहित मेज पर रखने की कृपा करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सूची बहुत लम्बी है। यदि माननीय सदस्य किसी व्यक्ति विशेष के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो मेरे कार्यालय में आकर देखने का कष्ट करें।

रायबरेली जिले में मुस्तफाबाद थाने के अन्तर्गत ग्राम रक्षा समितियों का संघटन

*५४--श्री दलबहादुरसिंह (जिला रायबरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले के मुस्तफाबाद थाने के किन-किन ग्रामों में ग्राम रक्षा समितियों का संगठन हो गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सभी ग्रामों में सुरक्षा समितियों का संगठन हो चुका है।

श्री दलबहादुर सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह ग्राम सुरक्षा समिति बनी हैं वे किसी चुनाव के द्वारा बनी हैं या किसी ने नामजद किया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं समझता हूं कि इस बात की चर्चा सदन में १५-२० बार हो चुकी है और मैंने निवेदन किया है कि इसमें कोई चुनाव या नामजदगी का सवाल नहीं है। जो भी चाहे वह इसका सदस्य हो सकता है।

श्री दलबहादुरसिंह--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जो सदस्य हैं उनको सूचना नहीं मिली है कि वह सदस्य नियुक्त किये गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं इसका मतलब ठीक नहीं समझा क्योंकि जब किसी ने नियुक्त किया हो तब तो सूचना का सवाल पैदा होता है। जिन्होंने सदस्य बनना चाहा होगा वह बने होंगे नहीं तो नहीं बने होंगे। किसी ने जब नियुक्त ही नहीं किया तो सूचना कौन देता।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह समितियां काम कर रही हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, काम तो कर रही हैं?

श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार की तरफ से ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों के लिये लायसेंस देने के आदेश जिलों में भेजे गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस सम्बन्ध में दो तीन बार निवेदन कर चुका हूं कि अभी तक हमारा ख्याल यह था कि हर रक्षा समिति के एक या दो सदस्यों को लायसेंस दिया जाय। यह अक्सर जगहों में तो है लेकिन सब जगह नहीं है। अब इस बात पर गौर हो रहा है कि कानूनी तरीके पर हर समिति के नाम लायसेंस दिया जाय। यह मसला अभी तय नहीं हो सका है कि कैसे होगा।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन समितियों का संगठन क्या है और इनका नेतृत्व किस के हाथ में होता है और कितने सदस्य होते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कितने सदस्य होते हैं इसका मैं क्या उत्तर दूं जबकि गांव वालों की मर्जी पर है कि वह इसके मेम्बर हों या न हों। बड़े गांव में ज्यादा होते होंगे और छोटे में कम, ऐसा मानना चाहिये।

श्री रामनरेश शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके कोई ऐसी योजना बनायेंगे कि इन रक्षा समितियों का एक संगठनात्मक रूप हो?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, यह सुझाव हमारे सामने आया है और हम सोचते भी हैं कि ऐसा किया जाय। एक ही खयाल होता है कि अगर स्पांटेनियस रूप हो तो ज्यादा अच्छा हो क्योंकि संगठन करने से इसके माने यह होंगे कि किसी न किसी तरीके से पुलिस के अधिकारियों को ही उस पर कुछ न कुछ नियंत्रण रखना पड़ेगा। हम यह देख रहे थे कि बगैर इसके काम चल सके तो अच्छा होगा।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि सुरक्षा समिति के सदस्यों से कुछ गांवों में जबर्दस्ती पहरा लगवाया जाता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जबर्दस्ती पहले की शिकायत तो अभी तक कहीं से मेरे पास आयी नहीं।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि गांवों की दलबन्दी के कारण ये ग्राम सुरक्षा समितियां एक प्रकार से डिफंक्ट सी हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सब जगह नहीं लेकिन कहीं-कहीं दलबन्दी का जरूर असर पड़ता है और वहां जितना अच्छा काम होना चाहिये यह वह नहीं हो रहा है।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन ग्राम रक्षा समितियों ने अच्छा कार्य किया है उनको सरकार की तरफ से कोई पुरस्कार भी दिया गया है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पुरस्कार तो नहीं दिया गया लेकिन उनके प्रोत्साहन के लिये उनके यहां चिट्ठी वगैरह भेज दी जाती है । जहां कोई डाकू वगैरह पकड़ा जाता है तो वहां बहुत बड़ा जलसा कर दिया जाता है और उसमें पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं, कभी-कभी मैं भी पहुंचता हूं, लेकिन मेरा जाना कोई पुरस्कार तो है नहीं । इसके अलावा तो और कुछ किया नहीं गया ।

रायबरेली जिले में कृषि रक्षा के हेतु लाइसेंस की मांग

*५५--श्री दलबहादुर सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में १९५३ और १९५४ में अब तक कुल कितने लायसेंस कृषि रक्षा के लिये किन-किन थानों में दिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सन् १९५३ व ५४ में अब तक कृषि रक्षा के लायसेंस के लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया, अतएव इस प्रकार का एक भी लायसेंस नहीं दिया गया ।

धारदार अस्त्रों पर लाइसेंस का प्रतिबन्ध

*५६--श्री देवदत्त मिश्र--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि धारदार अर्थात् भाला, बल्लम, काता, सांग आदि अस्त्रों पर किसी प्रकार की रोक है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन पर रोक लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इन हथियारों के रखने पर तो कोई रोक नहीं है परन्तु इनके बनाने तथा बिक्री के लिये लायसेंस लेना पड़ता है ।

श्री रामनरेश शुक्ल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक थाने में उन व्यक्तियों की सूची रखी जायगी जिनके पास इस प्रकार के हथियार होंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--चूंकि कोई लायसेंस है नहीं इसलिये यह सूची रखना मुश्किल है । इसके तो माने होंगे कि यह सब पता लगाना पड़ेगा कि कौन खरीदता है, कहां खरीदता है । यह तो एक प्रकार का नियंत्रण होगा जो अभी तक नहीं है ।

*५७--श्री रामदास आर्य--[स्थगित किया गया ।]

बनारस जिले में भदोही स्टेशन पर विद्यार्थियों तथा रेलवे कर्मचारियों में झगड़ा

*५८--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार को पता है कि गत २४ अगस्त को कुछ विद्यार्थियों व रेलवे मैजिस्ट्रेटों तथा रेलवे स्टाफ से जिला बनारस के भदोही स्टेशन पर झगड़ा हो गया था ? यदि हां, तो यह झगड़ा किस सम्बन्ध में हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां । २४-८-५४ को जब विशेष चेकिंग स्टाफ द्वारा भदोही रेलवे स्टेशन पर ७ डाउन काशी एक्सप्रेस की चेकिंग की गयी तो बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों में स्थानीय स्कूलों के १०० विद्यार्थी भी पाये गये । जब ये विद्यार्थी अन्य अपराधियों के साथ अदालती कार्यवाही के लिये बनारस लाये जा रहे थे तो दो अध्यापकों के साथ ५०० विद्यार्थियों के जत्थे ने, जो उसी समय भदोही स्टेशन पर आ पहुंचा, गिरफ्तार किये गये विद्यार्थियों को छुड़ाने के लिये दंगा फसाद किया ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो विद्यार्थी बगैर टिकट पकड़े गये थे उनसे किराया वसूल हुआ या नहीं। अगर नहीं, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उन सब पर मुकदमे चले थे। अदालत से सब के ऊपर जुर्माना हुआ और वह जुर्माना वसूल भी हो गया ?

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)--क्या यह सही है कि उन विद्यार्थियों के हाथों में हथकड़ी लगायी गयी और कमर में रस्सी बांधी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं ठीक नहीं कह सकता, इसलिये कि वह शहर तो लाये ही नहीं गये। वहीं अपने अध्यापकों की जमानत पर छोड़ दिये गये ?

श्री रामनरेश शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि वह दो अध्यापक जिन्होंने उस जत्थे का नेतृत्व किया था वह नौकरी से निकाल दिये गये या उन्हें और कोई सजा दी गयी या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--दो विद्यार्थियों और कुछ अध्यापकों पर मुकदमा चलाया जा रहा है, क्योंकि रेलवे प्रापर्टी का भी नुकसान हुआ था। जब मुकदमे का फैसला हो जाय तभी इस प्रश्न का अंतिम उत्तर दिया जा सकेगा।

*५९-६०--श्री लक्ष्मणराव कदम--[स्थगित किये गये।]

*६१-६२--श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)--[स्थगित किये गये।]

गाजीपुर जिले में हथियारों के लाइसेंसों का दिया जाना

*६३--श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जुलाई, १९५३ से १ जुलाई, १९५४, तक गाजीपुर जिले में बन्दूक, रायफल और रिवालवर के लायसेंस के लिये कितने प्रार्थना-पत्र हुये और कितने लाइसेंस दिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कुल १३२ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और १२६ लाइसेंस दिये गये। जिनमें से २४ लाइसेंस ऐसे थे जिनके लिये प्रार्थना-पत्र १ जुलाई, १९५३ से पूर्व प्राप्त हुये थे।

श्री शिवपूजन राय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि १२६ दिये गये लाइसेंसों में कितने बन्दूक, कितने रायफल और कितने रिवालवर के हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--९४ डी०एल०गन, ११ एम०एल० गन, दो रायफल, ५ बाइस बोर की रायफल और ४४ रिवालवर पिस्तौल।

श्री गेंदासिंह--क्या इन ६ व्यक्तियों में मुहम्मदपुर के टाउन एरिया के चेयरमैन श्री गुलाब रब्बानी की भी कोई दरख्वास्त थी जो नामंजूर कर दी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--नाम तो मेरे पास न उन लोगों के हैं जिन्होंने दरख्वास्त दी और न उनके जिनको लायसेंस दिये गये, लेकिन ६ की संख्या के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को भ्रम हो रहा है। उन्होंने १३२ में से १२६ घटा दिये, बाकी बचे ६ तो उन्होंने अन्दाजा लगा लिया कि उनकी दरख्वास्तें नामंजूर हो गयीं। लेकिन २४ दरख्वास्तें पहले भी थीं। इसके मानी यह हैं कि १०२ को लायसेंस दिये गये, अभी ३० मामले विचाराधीन हैं।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय गृह मंत्री को ऐसी शिकायत मिली है कि जो रिवाल्वर या बन्दूक और रायफल उन लाइसेंसों में दी गयी हैं वह पूर्वी जिलों की डकैतियों में प्रयोग हो रही हैं, खासकर गाजीपुर में ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सम्भव है माननीय सदस्य को ऐसी इत्तला हो। मेरे पास तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी ।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि रिवाल्वर और पिस्तौल के लाइसेंस देने के सम्बन्ध में कोई नयी हिदायतें जारी की गयी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--नहीं, इधर हाल में तो कोई नयी हिदायतें नहीं दी गयी हैं।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--क्या माननीय मंत्री मेहरबानी करके यह बतलायेंगे कि अब जो असलहा के लाइसेंस दिये जाते हैं उनमें क्या शरायत हैं और क्या-क्या क्वालिफिकेशंस हैं जिनकी बिना पर लाइसेंस ईश्यू किये जाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--माननीय सदस्य को मैं यह सलाह दूंगा कि वह आर्म्स ऐक्ट के रूल्स को मेहरबानी करके देख लें क्योंकि बहुत लम्बे रूल्स हैं और मुझे इस वक्त याद भी नहीं हैं ।

श्री रामनरेश शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जिस उदारता के साथ उन्होंने गाजीपुर को रिवाल्वर और पिस्तौल के लाइसेंस दिये हैं और जिलों में भी देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गाजीपुर को लाइसेंस मिलने में मुझ को जरा भी श्रेय नहीं है। अगर और जिलों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इसी तरह से उदार रहें तो उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं होगी ?

श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि असलहा के लाइसेंस देने में अब भी माली हैसियत की क्वालिफिकेशन पर जोर दिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जोर तो नहीं लेकिन वह भी एक चीज है जिस पर विचार किया जाता है इस वक्त तक, यह सही है ।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि अब पिस्तौल और रिवाल्वर के लाइसेंस को जारी करने का काम कलेक्टर के हाथ से निकाल कर कमिश्नर को दे दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आज से कुछ वर्ष पहले कमिश्नर ही दिया करते थे। अब चूंकि कमिश्नर साहबान और बहुत से कामों को देखेंगे इस काम को भी पहले की तरह से देखेंगे ?

श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि उसने इस किस्म की हिदायतें जारी कर दी हैं या नहीं कि पंचायतों के सदस्य और म्युनिसिपैलिटी और टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया के सदस्यों को जरूर लाइसेंस मिलना चाहिये अगर उनके चाल-चलन के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस वक्त तक कोई ऐसी हिदायत जारी नहीं हुई ।

मधुबन थाना, जिला आजमगढ़ में जनवरी, १९५४ में डकैतियों और चोरियों की संख्या

*६४--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मंत्री १२ मार्च, सन् १९५४ के प्रश्न संख्या ४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ७ चोरियां किन-किन गांवों में हुईं और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--चोरियों की रिपोर्ट निम्नलिखित गांवों से की गयीं--(१) केशोपुर सुल्तानपुर, (२) तेनुआ कोठिया, (३) तिधरा, (४) कठतराऊ, (५) सिधा, (६) कठघरा शंकर, (७) खोजीपुर। केवल नम्बर ७ में ५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। शेष में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

*६५--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि इसी थाने के रायपट्टी तिघरा, अझा मैकोपुर, बराहिमपुर और विग्रहपुर में जनवरी मास में ही ९ चोरियां हुईं और थाने में रिपोर्ट नहीं ली गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गांव तिधरा में जनवरी मास में चोरी की एक घटना हुई। मुकदमा इस समय अदालत में है। अभी मुलजिमान हाजिर नहीं हुये हैं। बराहिमपुर तथा बिग्रहपुर के बारे में बाद को जांच से पता चला कि इन दोनों गांवों में सेंध लगाने की एक-दो घटना हुई। इनमें कोई माल चोरी नहीं गया और न थाने पर रिपोर्ट ही लिखायी गयी। राय पट्टी गांव में कोई चोरी की घटना नहीं हुई। अझा मैकोपुर नाम का कोई गांव इस थाने में नहीं बतलाया जाता।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन छः चोरियों की नामजद रिपोर्ट थाने में हैं, उनमें गिरफ्तारी क्यों नहीं की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--तिघरा की बाबत तो इसमें बता दिया गया है कि मुकदमा अदालत में है। बाकी एक मुकदमा खोजीपुर की बाबत है। बाकी ५ में कुछ पता नहीं लग सका।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या यह बात सच है कि रायपट्टी तिघरा, अझामैकोपुर, बराहिमपुर और विग्रहपुर सब घोसी तहसील में हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

कुमायूं डिवीजन के भूमिहीन हरिजनों का बसाया जाना

*६६--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बतलायेगी कि कुमायूं डिवीजन के कितने भूमिहीन हरिजनों को अब तक किन-किन स्थानों पर बसाया जा चुका है।

डाक्टर सीताराम--कुमायूं डिवीजन में जिन हरिजनों को बसाया गया है उनके सम्बन्ध में विवरण तैयार किया जा रहा है। अन्य लोगों की तरह उनको भी भूमि दी गयी है किन्तु किसी विशिष्ट क्षेत्र को उनके लिये सुरक्षित नहीं किया गया।

*६७--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास कुछ हरिजन भूमिहीनों की मांग आयी है कि उन्हें तोक वागजाला, हल्द्वानी तहसील, जिला नैनीताल काश्त के हेतु प्रदान किया जाय ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सीताराम--जी हां, कुछ प्रार्थियों के नाम यह वन्य भूमि कर भी दी गयी थी। किन्तु अब भूमि उनको नहीं दी जायगी। भूमि को गोला नदी से कटने का डर है। इसलिये उसको खेती के लिये न देकर जंगल विभाग के अधीन रखा जायगा और उस पर जंगल है उसको काटा नहीं जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या इस विवरण के एकत्रित हो जाने पर माननीय मंत्री जी उसे सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे।

डाक्टर सीताराम--जी हां।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि पुराने प्रश्नों के उत्तर में इस सदन में सरकार ने यह बतलाया था कि हरिजनों के लिये विशिष्ट क्षेत्र सुरक्षित किये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम--इसकी सूचना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो भूमि प्रार्थियों के नाम पर कर दी गयी थी यह भूमि कितने एकड़ थी और किन के नाम की गयी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह भूमि करीब साढ़े ८८ एकड़ थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि ये प्रार्थी भूमिहीन थे या कोई दूसरे थे और दूसरे थे तो कौन थे ?

डाक्टर सीताराम--इसकी सूचना चाहिये।

श्री गेंदा सिंह--यह साढ़े ८८ एकड़ जो भूमि दी गयी यह कितने परिवारों को दी गयी ?

डाक्टर सीताराम--यह तो प्रश्न में बतलाया गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

अरनौट, थाना सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ में चोरी की घटना पर पुलिस की कथित लापरवाही

*६८--श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २४ जून, १९५४ को अरनौट, थाना सिकन्दराराऊ, अलीगढ़ में चोरी हुई परन्तु चोरी का माल जिन मुलजिमों के यहां बरामद हुआ उनका चालान नहीं हुआ और पुलिस ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा कर केस समाप्त कर दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--२४ जून, १९५४ को अरनौट, थाना सिकन्दराराऊ में चोरी हुई और एक व्यक्ति जिसके यहां माल बरामद हुआ उसका तथा एक अन्य सम्बन्धित व्यक्ति का चालान किया गया। मामला अदालत में विचाराधीन है।

हरिजन सहायक विभाग के अन्तर्गत सामाजिक सेवा प्रशिक्षण शिविर, लखनऊ पर व्यय

*६९--श्री जोरावर वर्मा--क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरिजन सहायक विभाग के संचालन में जो सामाजिक सेवा प्रशिक्षण शिविर मई, ५४ को प्रथम सप्ताह में लखनऊ में हुआ था उसमें कितने हरिजन कार्यकर्ताओं को दीक्षा दी गई और उसमें कुल कितना व्यय हुआ ?

डाक्टर सीताराम--गत मई मास में बक्शी-का-तालाब लखनऊ में जो सामाजिक सेवा प्रशिक्षण शिविर खोला गया था उसमें कुल ६,२०० रु० व्यय हुआ था। उसमें कुल १८० व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसमें ५२ सामाजिक कार्यकर्ता और १०८ हरिजन कल्याण सुपरवाइजर थे।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह रुपया किन-किन मदों में खर्च हुआ है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जैसे ट्रेनिंग में खर्च होता आया है उसी तरह से ट्रेनिंग में खर्च हुआ है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह सेवा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का उद्देश्य क्या था ?

डाक्टर सीताराम—इस केन्द्र के खोलने का यह मतलब था कि इस डिपार्टमेंट में जो हरिजन कार्यकर्ता रक्खे गये थे उनको कुछ ट्रेनिंग दी जा सके जैसे देहात में जा कर कुछ छुआछूत की भावना को निकालना और लोगों के बीच में समावेश करना इस तरह की शिक्षा उनको दी गई।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि बख्शी के तालाब पर जो सेवा प्रशिक्षण केन्द्र है उसमें हरिजनों को ट्रेनिंग मिलने के बाद नौकरी मिलने में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—मेरे पास इसकी कोई इत्तिला है नहीं, आप को होगी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि हरिजनों के अलावा इस प्रशिक्षण केन्द्र में कुछ ऐसे लोग भी आये कि जो हरिजन नहीं थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री ऐसे लोगों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, १३ के करीब।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या यह सही है कि जो लोग बख्शी के तालाब पर ट्रेनिंग पा कर जाते हैं उनको सरकार सिलाई की मशीन देती है और कुछ सहायता भी प्रदान करती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां।

फर्रुखाबाद जिले के सौटीख, इन्दरगढ़ और ठठिया थानों में अपराधों की संख्या

*७०—श्री चिरंजीलाल पालीवाल (जिला फर्रुखाबाद)—क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के थाने सौटीख, इन्दरगढ़ और ठठिया में १९५३ में क्रमशः कितनी चोरी, डकैती, कत्ल, बलवे और दूसरे अन्य अपराधों की सूचनायें लिखी गईं ? उनमें क्या-क्या कार्यवाही हुई, कितने अपराधी पकड़े गये और कितनों को अब तक सजा हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी हुई सूचना संलग्न नत्थी में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३३५ पर)

जिला सीतापुर में बिसवां के दो व्यापारियों का सरसौली के पास क़त्ल

*७१—श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि ता० २२–२३ अगस्त, सन् १९५४ की रात को कस्बा बिसवां जिला सीतापुर के दो व्यापारी जो एक ट्रक से गल्ला लिये जा रहे थे बिसवां से कुछ दूर सरसौली गांव के पास ट्रक ड्राइवर तथा उसके साथियों द्वारा मार कर फेंक दिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

इलाहाबाद नगर के नागबासु के मन्दिर की मरम्मत के लिए पूछ-ताछ

*७२—श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु—क्या सरकार इलाहाबाद नगर के प्राचीन नागबासु का मन्दिर जो दारागंज मुहल्ले में है उसकी मरम्मत कराने पर विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न

कानपूर जिला बोर्ड द्वारा अकबरपुर में लड़कियों के स्कूल की इमारत बनाने के लिये सरकार से धन की मांग

१—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या यह सच है कि अकबरपुर (जिला कानपुर) कस्बे में लड़कियों के स्कूल की इमारत बनाने के लिये जिला बोर्ड कानपुर ने सरकार से दस हजार रुपये देने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां, धनाभाव के कारण अनुदान नहीं दिया जा सका।

संस्कृत विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में पूछ ताछ

२—श्री नरदेव शास्त्री (जिला देहरादून)—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष बजट सत्र के महामना राज्यपाल के संबोधन में जिस संस्कृत विश्वविद्यालय का संकेत किया गया था तत्सम्बन्धी विधेयक कब प्रस्तुत होगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—सरकार विधेयक पर विचार कर रही है और तैयार होने पर तुरन्त प्रस्तुत किया जावेगा।

उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट ऐक्ट के अवैध घोषित होने से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने की प्रार्थना

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से यह सदन करीब एक महीने के लिये स्थगित होगा। मैंने यहां पर ट्रान्सपोर्ट के बारे में एक काम रोको प्रस्ताव भी दिया था। उस समय माननीय मुख्य मंत्री ने मुझसे कहा था कि उनके पास फैसला नहीं आया था जिसकी बुनियाद पर उस समय कुछ निर्णय नहीं हो पाया था। इसके बाद मैंने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी दिये थे। कल सायंकाल उसका जवाब भी मुझको मिल गया कि सरकार इसका उत्तर भी साधारण प्रश्नों की तरह देगी। तो मेरी परेशानी यह है कि मेरे पास फैसले की नक़ल है और जहां तक मैं समझता हूं सरकार के पास भी फैसले की नकल आ गयी होगी। तो इस समय कुछ ऐसी दिक्क़त

[श्री राजनारायण]

हो गयी है कि ऐक्ट के इनवैलिड डिक्लेयर होने की वजह से सरकार की जो बसेज रन कर रही हैं उनसे प्राइवेट बसें आपरेटर्स का क्लैश होने की सम्भावना है। मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी ओर से बयान दे कि इसमें वह क्या व्यवस्था करेगी और सदन को किस प्रकार से कान्फिडेंस में लेगी। जो यह एक महीने का गैप होगा उसमें और भी विषम परिस्थिति पैदा हो सकती है। हम लोग किसी न किसी मामले में इधर उधर जाते रहते हैं और बसों पर ट्रवेल करते हैं। तो कहीं न कहीं से कोई सूचना मिल ही जाती है। मैं सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि बहुत से प्राइवेट मालिक बसों के यह कह रहे हैं कि जब सरकार ही बिना परमिट के अपनी खुद बसेज चला रही है तो सरकार खुद अपने कानून को तोड़ रही है। तो वह भी अपनी बसेज को, उन रास्तों पर जहां पर सरकार की बसेज चलती हैं, चलाने का प्रयत्न करेंगे। यदि सरकार इसमें विलम्ब करती है तो इससे विषम परिस्थिति पैदा हो सकती है। तो आप के जरिये से मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कोई व्यवस्था दे या अपना मन्शा बताये कि सरकार इसमें क्या करना चाहती है।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत महत्व का है इसमें रत्ती भर सन्देह नहीं है और माननीय राजनारायण जी को जो चिन्ता है उसके सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि वह चिन्ता उचित ही है। हम लोगों के सामने भी यह प्रश्न है लेकिन अभी फैसला हाल ही में सरकार के पास आया है और इतने महत्वपूर्ण मामले में बहुत जल्द किसी कदम का उठाना सम्भव नहीं है। उसको हर कानूनी पहलू से देखना होगा कि उसमें कोई अपील हो सकती है या नहीं और अगर अपील हो सकती है तो उसके लिये क्या करना होगा। और अगर अपील नहीं हो सकती है तो फिर क्या कोई नया कानून बनाना होगा। इस वजह से इस मामले पर इतनी जल्दी कोई फैसला कर लेना सम्भव नहीं है। इस प्रश्न पर हर पहलू से विचार किया जा रहा है और जिन दिक्कतों का राजनारायण जी ने जिक्र किया है वह सब हमारे सामने हैं। हम आशा करते हैं कि बगैर किसी किस्म के संघर्ष के यह सब बातें तय हो जायंगी।

जहां तक हाउस का कान्फिडेंस में लेने का प्रश्न है ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर सदन को कान्फिडेंस न हो। अब इस समय मजबूरी है कि हमारे पास कोई चीज नहीं है कि हम यहां पर रख सकें किन्तु जितना जल्दी हो सकेगा इस चीज को हम करने की कोशिश करेंगे।

प्रदेश से बेकारी दूर करने के हेतु गृह उद्योगों के पुनस्संगठन के सम्बन्ध में संकल्प

श्री अध्यक्ष—अब श्री देवकीनन्दन विभव के संकल्प पर विवाद जारी रहेगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प श्री विभव जी ने इस सदन में उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। हमारे देश में विदेशी हुकूमत के समय में हमारे राष्ट्र के जितने भी छोटे-मोटे व्यवसाय थे, जितने कुटीर उद्योग थे वे सब निष्प्राण हो चले थे। विदेशियों की सर्वदा यह कोशिश रही कि हमारे देश का जितना उत्पादन है, हमारे देश के अन्दर जितनी संपत्ति है, जितन निर्माण हमारे देश के अन्दर होता है, उसको भस्म किया जाय। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ-साथ उन्होंने हमारे देश के उत्पादन को बढ़ा कर हमारे राष्ट्र को अपने उत्पादन के लिये एक बड़े भारी मार्केट के रूप में तैयार किया और हमारे उत्पादन को खत्म कर के बड़ी-बड़ी रोक उसके ऊपर लगा दीं ताकि हमारे देश के अन्दर कोई भी व्यक्ति उस पैमाने पर उत्पादन न कर सके जिससे उसके मार्ग में खलल पड़ सके। मैं यह बता देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के बाद हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हमारे देश के जितने

भी व्यवसाय खत्म हो चले थे, जितने भी कुटीर उद्योगों को हमारे देश से खत्म कर दिया गया था, आज हमें फिर से उनको जीवन प्रदान करना है। हमारे देश में ३६ करोड़ जनता के लिये जितने बड़े भारी उत्पादन की जरूरत होती है उसका बहुत भारी भाग अन्य देशों से हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। जब तक हम अपने यहां चीजों का निर्माण नहीं करते, जितना रा मेटीरियल हमारे देश के अन्दर है, उसका हम उपयोग नहीं करते, कुटीर उद्योगों और दूसरे व्यवसायों को अपने देश में जारी नहीं करते तब तक हमें कोई आशा नहीं है कि हमारे देशवासियों की भूख मिट सकेगी। हमें बहुत बड़े पैमाने पर, इस कार्य को सारे देहातों में और गांव-गांव के अन्दर फैलाना है क्योंकि अभी हमारे देश के अन्दर ऐसी सुविधायें पैदा नहीं हुई हैं जिनसे बड़े पैमाने पर, उत्पादन किया जा सके मुल्क की जरूरतों को इस देश के अन्दर ही उत्पन्न कर सकें। इसके साथ ही साथ ही में यह भी देखना है कि अगर हमारे देश के अन्दर इंडस्ट्रिलाईजेशन बहुत बड़े पैमाने पर होता तो वे लोग जो गरीब और पिछड़े हुए हैं, जिनकी एक बहुप बड़ी तादाद है, जो गांवों में रहते हैं उनकी गरीबी का प्रश्न हमारे सामने उपस्थित रहेगा क्योंकि मशीनरी इतना भारी काम करती है जिससे हमारी बहुत सी लेबर बेकार हो जाती है। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर हमें अपनी लेबर को काम में लाना है और उसकी व्यवस्था हमें देहात के अन्दर करनी है तो जब तक हम खेतों के अतिरिक्त देहात के लोगों को स्वावलम्बी नहीं बनाते हैं, देहातों में लेबर के प्रश्न को हल नहीं करते तब तक हम अपने मुल्क की व्यवस्था को अच्छी तरह से नहीं चला पायेंगे। इसलिये हमें यही रास्ता उचित दिखाई पड़ता है कि हम अपने कुटीर उद्योगों को चारों ओर फैलायें। सरकार को भी यह नीति अपनानी होगी कि वह इस प्रकार के व्यवसायों की ओर अधिक से अधिक ध्यान दे और जनता के अन्दर एक नयी जागृति पैदा करे, उसके लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोले तथा उसकी शिक्षा-दीक्षा का इन्तजाम उन्हीं स्थानों में करे जहां कि रा मेटीरियल अवेलेबिल है। उसके मैन्युफेक्चर और उत्पादन के लिये प्रशिक्षण केन्द्र कायम करे। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि स्टेट गवनमेंट ही नहीं बल्कि सेंट्रल गवनमेंट का भी यह फ़र्ज है कि वह हमारी स्टेट गवर्नमेंट को इस दिशा में प्रोत्साहित करके मजबूती के साथ कुटीर उद्योग के आगे बढ़ाने में मदद करे और हमारे मुल्क के कर्णधारों का यह फर्ज हो जाता है कि वह पहले तो हम अपने देश का एक जनरल सर्वे करें जिससे हमको पता लग सके कि कितना हमारे पास लेबर फोर्स है जो मुल्क के व्यवसाय में उपलब्ध है और इसके लिये रा मैटिरिअल हमारे स्टेट के अन्दर मौजूद है। जब तक कि इसकी डिटेल सर्वे हमारे स्टेट में पूरी नहीं हो जाती तब तक हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम बतला सकें कि कितने लोगों के लिये हम कारबार दे सकते हैं। इससे तो यही उचित होगा कि हम एक ऐक्सपर्ट कमेटी बनावें जो स्टेट की सर्वे करके एक डिटेल रिपोर्ट सरकार के सामने पेश करे कि फलां-फलां छोटे-छोटे कुटीर उद्योग और दूसरे छोटे-मोटे व्यवसाय हमारे देहातों में उपलब्ध किये जा सकते हैं और उससे हमारे लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की जा सकती है। अब इससे आगे चल कर मैं यह बतला देना चाहता हूं कि बहुत से लोग हमारे देहातों के अन्दर हैं जिनके पास आमदनी के बहुत कम जरिये हैं और अगर उन्हीं के ऊपर वे रहते हैं तो उनकी बीबी बच्चों के भूख की समस्या की पूर्ति नहीं होती है। उनकी छोटी इनकम को हमें आगे बढ़ाना है और उनके लिये भी कुछ उद्योग धंधे उपलब्ध कराना है। इसके लिये हमारे सामने एक उदाहरण उपस्थित है। जापान जैसे देश ने अपने मुल्क के अन्दर छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन दे कर अपनी सारी जनता के अन्दर एक इंडस्ट्रिअल जाग्रति पैदा की है और सारे मुल्क के अन्दर बड़े-बड़े मार्केट को उसने कैपचर कर लिया है। बहुत बड़े पैमाने पर अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिये हमें जापान की तरह से काम करना होगा ताकि बाहर के बाजारों में हमारे यहां की चीजें सस्ती से सस्ती उपलब्ध हो सकें। यह तो आपने देखा ही होगा कि जब हमारे देश के अन्दर स्वदेशी का मूवमेंट चला तो जापान ने उसी प्रकार की सस्ती से सस्ती वस्तुएं पैदा करके हिन्दुस्तान के सारे मार्केट को कैपचर

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

करने की कोशिश की। इसलिये मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारे पास जो जनशक्ति है उससे हमारा देश समृद्धिशाली बनाया जा सकता है, हमको केवल एक बात से, केवल इस दृष्टिकोण से अपने देश का सर्वे आगे करना है और हमको बहुत दृढ़ता के साथ एक दृढ़ संकल्प के साथ उसके लिये एक जरिया ढूंढ़ना होगा। हमें खुशी है कि हमारी सरकार ने जनता से और ग़रीब लोगों से छोटी-छोटी पूंजी बचा कर भी नेशनल लोन्स प्लान में जमा करने की अपील की है ताकि उस पूंजी से जो एक बड़ा भारी रिजर्वायर हो जिससे छोटे मोटे उद्योग-धंधों और दूसरे कामों को चलाने के लिये रुपया वगैरह की इमदाद दे सकें। हमारे पास जो बड़ा भारी रिजर्व हो उससे मैं बतला देना चाहता हूं कि हमारे लोगों को ऐसा प्रशिक्षण होना चाहिये और उनको वही काम सिखलाना चाहिये जो काम कि उनको देहातों में, गांवों के अन्दर मिल सकता हो और जो चीजें बहुत ऊंचे पैमाने पर वहां पैदा की जा सकती हों और वह रा मैटिरिअल देहात के आदमियों को उपलब्ध हो सकती हों। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का विकेन्द्रीयकरण अगर हमारे देश में हो जायगा तो उससे हमारे लोगों को बड़ी फैसिलिटी होगी और उनकी भूख की समस्या हल हो सकेगी। मैं इस बात का हामी हूं कि हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को केवल इस बात के लिये नहीं छोड़ देना है कि हमें छोटे-मोटे कुटीर उद्योगों को ही पनपाना है और उसी में हम इस स्टेट को सेल्फ सफिसिएंट करना चाहते हैं। मैं समझता कि यह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बिलकुल झूठा पहलू है, गलत व्यू है। मैं चाहता हूं कि जहां बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे देश के अन्दर या हमारे स्टेट के अन्दर खड़ी की जा सकती हैं उनको किसी भी क़ीमत पर खड़ा कर देना चाहिये। हमारा देश जो बहुत सी वस्तुओं के लिये दूसरे देशों का मुख देखा करता है मैं समझता हूं कि इस तरह की हालत हम अपने यहां बहुत दिनों तक नहीं रख सकते कि हम दूसरों के उत्पादन पर निर्भर रहें और न यह कोई बुद्धिमानी का काम होगा। वह चीजें जो इस समय देश में विकास के स्तर पर नहीं पैदा की जा सकती हैं, जिन के पास मशीनरी नहीं हैं उसके लिये तो लाचारी है लेकिन जिन चीजों के उत्पादन के लिये मशीनरी मिल सकती है उनके लिये तो हमें देश में मशीनरी लानी ही होगी लेकिन वह चीजें जो छोटे मोटे उद्योगों से चल सकती हैं और जबकि आज हमारे देश में ऊंचे पैमाने का कैपिटल नहीं है जिससे हम बड़े-बड़े कारखाने खोल सकें तो हमें अच्छा मौका है कि हम उद्योग धंधों के जरिये से अपने देश के लोगों को काम दे सकें और अपने रा मैटिरियल का प्रयोग हम अपने ही लाभ के लिये कर सकें तो बहुत अच्छा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वह बहुत ही (हाफ हैंड) तरीके पर चल रहा है और जहां पर मर्जी आती है जिसका जोर सरकार के ऊपर पड़ जाता है वहीं पर सेंटर खुल जाता है। इस तरह की पालिसी नेशन की नहीं होना चाहिये। बुद्धिजीवी लोगों को इस बात को ले कर एक्सपेरीमेंट करना चाहिये कि वही काम हमारे देश में चल सकते हैं कि जिनके लिये यहां पूरे जरिये उपलब्ध हों। बाहर से मंगा कर जो हम अपने यहां चीजें इस्तेमाल करते हैं उनकी बिक्री हमारे यहां बहुत दिनों तक ऊंचे दामों पर नहीं हो सकेगी और हमें उनका उत्पादन स्वयं ही करना होगा। सब दृष्टिकोण से, हर पहलू से देख कर और एक्सपेरीमेंट करके हमें इस चीज का फैसला करना चाहिये और जिस प्रकार आज हम बहुत से छोटे मोटे एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं उसमें तो बहुत रुपया खर्च हो रहा है और इस तरह से हमें हाथ पैर फैलाना नहीं है। लोगों को उद्योग के लिये इस तरह से रुपया देना और उनसे छोटे-मोटे काम कराना यह तो मैं समझता हूं कि देश के लिये अभिशाप है और मुल्क बर्बाद करना है और इस तरह से मुल्क का व्यवसाय श्योरली पनप नहीं सकता है, यह मुल्क के लिये सेटबैक है और यह कोई इंसाफ की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि जितने भी काम आगे बढ़ रहे हैं और जितने भी छोटे-मोटे व्यवसाय देहातों में है सरकार को उन्हीं पर कनसंट्रेट करना चाहिये। इसी से सरकार सफल हो सकती है, वहां चाहे जैसा और जितना भी काम हो उससे कोई दिक्कत नहीं है और इससे

सरकार की इज्जत नहीं जाती, न कम होती है और यदि इससे राष्ट्र तरक्की करता है, बढ़ता है तो यह राष्ट्र सेवा है। इन बातों को सदन में उपस्थित करके मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि आज समय आ गया है कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिये।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान प्रस्तुत संकल्प न केवल हमारे प्रदेश के लिये बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिये बड़ा ही महत्वपूर्ण संकल्प है। कई दिनों से यह माननीय सदन इस संकल्प पर विचार कर रहा है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रश्न को यदि इतने ही महत्वपूर्ण ढंग से टेकिल करे . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप इस विषय पर पहले बोल चुके हैं।

श्री पद्मनाथ सिंह—यदि कोई वैधानिक आपत्ति न हो तो मैं कुछ थोड़ा-सा और निवेदन कर लूं।

श्री अध्यक्ष—कृपा करके आप अब बैठ जायं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न आज इस सदन के सामने है वह आज की बेकारी को देखते हुये हमारे प्रदेश के लिये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का है कि माननीय विभव जी ने कुछ बेसिक बातें इस अपने सुझाव में नहीं रखी हैं। यह जो कुटीर उद्योग चलाये जायेंगे इनको कौन चलायेगा। मेरा तो निश्चित मत है कि हमारे सहयोग उद्योग धंधे तभी इस प्रदेश में पनप सकते हैं जब कि उसका कोई आधार हो और वह आधार आज के दिन कोआपरेटिव सोसाइटीज के अलावा और कोई नहीं हो सकता है क्योंकि अगर सरकार इन उद्योगधंधों को चलाती है तो लोग यह कहने लगते हैं कि सरकार सब किस्म के उद्योग धंधों को अपने हाथ में ले रही है और अगर कोई पूंजीपति इन उद्योग धंधों को चलाते हैं तो वे अपनी पूंजी का ख्याल करते हैं और इस बात की हमेशा कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उसको अपने उद्योग से हो और इस प्रकार जो बहुत से गरीब आदमी हैं जिनके पास कम पूंजी है वे ऐसे उद्योग धंधों को जहां पर बहुत कम्पेटीशन बाजार में है नहीं चला सकते हैं। इसलिये हमारे सामने एक ही तरीका है जिससे हमारे कुटीर उद्योग धंधे इस प्रदेश में तरक्की कर सकते हैं और वह है कोआपरेटिव बेसिस पर। तो अगर आप इस प्रदेश के अन्दर हर इलाके में, हर जिले में जहां-जहां जिस-जिस किस्म के रा मैटीरियल्स हों अगर उनका उत्पादन बढ़ाया जाय और उनसे चीजें बनायी जायं तो मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में काफी चीजों की पैदावार बढ़ायी जा सकती है और साथ ही साथ हमारे यहां जो आज बेकारी की समस्या है वह भी बहुत हद तक हल हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय चन्द्रसिंह जी ने कहा कि आज जितना रुपया सरकार कुटीर उद्योग धंधों के उत्साह को बढ़ाने में खर्च करती जा रही है वह रुपया बेकार सा जा रहा है। जिसकी पहुंच सरकार के पास हो जाती है, कोई साइनबोर्ड छपवा करके, कोई लेटर हेड छपवा करके और एक दफ्तर सामने रख करके सरकार के पास अर्जी लेकर आ जाता है कि साहब हमने बड़ी भारी इंडस्ट्री खोल रखी है उसके लिये सरकारी मदद की आवश्यकता है। तो इस प्रकार जो अर्जी ले कर आता है सरकार उनपर विचार करते समय ध्यान तो अवश्य देती होगी पर फिर भी जिस तरह जितना रुपया खर्च किया जा रहा है प्रोपोर्शनेटली उतनी उन्नति कुटीर उद्योग धंधों की हमारे प्रदेश में नहीं हो पा रही है। इसलिये जब हम कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देते हैं तो आवश्यकीय है कि जहां कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाय वहां पर काम करनेवाले लोगों की जो इस काम को कर सकते हैं जैसे बढ़ई हैं हमारे कारपेंटरी के स्कूल्स हैं वहां जो पढ़ते हैं वहां के लोगों का एक संगठन उनकी एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहिये। इसी प्रकार

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

से जहां-जहां ऐसे काम हैं और उनकी कोआपरेटिव सोसाइटीज नहीं हैं तो सरकार को उसको किसी किस्म की इमदाद इसमें नहीं देनी चाहिये । अभी भी हमारे प्रदेश में ऐसी चीजें हैं जिनका उत्पादन हम कोआपरेटिव सोसाइटियों के जरिये से कराते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जंगलों में रा मैटीरियल्स बहुत ज्यादा है । हमारे यहां एक बैबग्रास होती है । वह लाखों मन की तादाद में हमारे यहां तराई के जंगलों में पायी जाती है । उसके लिये अध्यक्ष महोदय एक बाजोरिया कम्पनी है जो पेपर बनाती है । उसको हमारी सरकार ने २० साल के लिये मानोपली दे दी है । वह चार आना मन पर बैबग्रास इस जंगल से कटा लेते हैं और उनके अतिरिक्त तराई के जंगल में किसी दूसरे को काटन का हक नहीं है और वह कम्पनी क्या करती है ? जहां १० लाख मन बैबग्रास पैदा होती है वहां वह अपनी जरूरत के मुताबिक ढाई तीन लाख मन काट लेते हैं और बाकी बैबग्रास वह वहीं छोड़ देते हैं और वह वहीं सड़ जाती है और बेकार हो जाती है और दूसरा नहीं ले पाता है । अगर सरकार इमदाद करना चाहती है और जैसी उसकी इच्छा है तो उस बैबग्रास से जिससे रस्सी वह चारपाई का बांध जितनी चीजें ऐसी होती हैं वह सारी उसी से बनती हैं उसकी रक्षा होनी चाहिये और उत्पादन अधिक बढ़ाने में लगाना चाहिये । अगर सरकार इन इलाकों में जहां के रहने वाले इससे उत्पादन करते हैं बिजनौर वगैरह के पास के लोग रस्सी बनाने का और ऐसे ही बहुत से काम करते हैं । अगर जंगल से बैबग्रास इन कोआपरेटिव सोसाइटीज को उसी रायलटी पर, जिस रायलटी पर सरकार उसे इन बड़ी-बड़ी कंपनियों को दे देती है, तो हजारों आदमी जो बेकार हैं उनको काम मिल सकता है । हमारे यहां पहाड़ों पर रेजिन होता है । चीड़ के पेड़ से रेजिन निकलता है जिसका रोजन बनता है और जिसकी विलायत में बड़ी मांग है । यहां भी यह वार्निश और पेन्ट्स वगैरह में काफी काम आता है । बरेली में इसी की एक टरपेंटाइन आयल फैक्ट्री है उसमें ८२ लाख मन रेजिन की खपत हो जाती है लेकिन उसके बाते भी लाखों मन रेजिन मिल सकता है और उसमें हजारों आदमियों को काम मिल सकता है । हजारों आदमी टेपिंग का काम करते हैं, पेड़ से रस निकालते हैं उसमें लगाये जा सकते हैं और इस तरह से हजारों आदमियों की बेकारी दूर हो सकती है । अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह सब काम एक इंडविजुअल नहीं कर सकता है, कैपिटलिस्ट करेगा तो प्राफिट की सोचेगा, तो हमारा तो यह निश्चित मत है कि सरकार कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये काटेज इंडस्ट्रीज के रूप में यह सब चीजें कराये । उनको सरकार को इमदाद देनी चाहिये । आज हमारे प्रदेश में यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट है और जिसके बारे में सरकार कहेगी कि हमने इतना बड़ा कारखाना खोल दिया है । अध्यक्ष महोदय, इस हैन्डीक्रैफ्ट्स में सरकार को हजारों का घाटा सालाना उठाना पड़ता है । उसकी देखरेख के लिये बड़ी-बड़ी तनख्वाह वाले लोग हैं और यह जिस तरह सरकारी कारबार चलता है उसी तरह का चलता है और जिसकी वजह से हमारी सरकार को हजारों रुपया साल उनको देना पड़ता है । तो मैं चाहता हूं कि इसको किसी इंडस्ट्रियल कारपोरेशन की तरह से चलना चाहिये । इसके लिये विदेशी मार्केट्स का होना जरूरी होगा । लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात के बिलकुल खिलाफ हूं कि किसी आदमी को उद्योग-धंधे चलाने के लिये किसी प्रकार की सरकारी इमदाद दी जाय । वह सरकारी इमदाद पाने के बाद एक टाइप राइटर और कुछ फर्नीचर खरीद लेता है और फिर दूसरी दरख्वास्त दे देता है कि मुझको फिर इमदाद मिलनी चाहिये । माननीय विभव जी ने जो संशोधन रखा है उसका उद्देश्य बहुत अच्छा है । हमें बेकारी की समस्या को हल करना है । आज पढ़े लिखे लोगों में बेकारी बहुत ज्यादा है और मैं तो कहूंगा कि सरकार को बेकारी की समस्या को हल करने के लिये इसको फर्स्ट प्रायर्टी देनी चाहिये क्योंकि जब गांव के लड़के आते हैं शहरों के इस विशस एटमास्फियर में तो उनका दिमाग चकरा जाता है । आज कल जितनी भी इंडस्ट्रीज कायम हो रही हैं वह सब ज्यादातर शहरों की तरफ रखी जाती हैं गांव की ओर नहीं जातीं तो गांव के विद्यार्थी जो हैं वह शहरों में नौकरी की तलाश में या रोजगार की तलाश में आते हैं । तो अगर गृह मंत्री उद्योग गांवों में स्थापित किये जायं तो हमारे पढ़े लिखे लड़के वहीं उन्हीं में लग सकते हैं और उनकी रोजगार की समस्या हल हो सकती है ।

यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, चीन में इस बेकारी की समस्या को एक रीवर वैली प्रोजेक्ट के नाम पर लाखों आदमियों को उससे लगा कर हल कर लिया गया। उसमें पढ़े लिखे भी थे,और बे पढ़े लिखे भी थे। इसके लिये वहां कैम्प भी लगाये गये और जिस तरह से हमारे यहां सीनियर्स और माइनर्स भर्ती किये जाते हैं और उन्हें काम सिखाया जाता है, उन्हें नहरें खोदना और सड़कें बनाना सिखाया जाता है अगर इसी तरह से सरकार हमारी इस बेकारी की समस्या को दूर करना चाहती है तो करे। ऐसा करके वह एजूकेटेड अनएम्प्लायमेंट को दूर कर सकती है। और सरकार को उचित है कि इस तरफ कदम उठाये। संविधान के अनुसार यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ रोजगार दे और उसके खाने पीने का प्रबन्ध करे, इसकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, जब अखबार पढ़ते हैं तो ऐसा पता ही नहीं चलता कि यहां कहीं बेकारी या गरीबी भी है। सारी समस्यायें उनमें यूं ही हल हो जाती हैं। अभी कल मैं पढ़ रहा था कि हर जिले के अन्दर २,२ फिजिकल कल्चर के स्कूल खोले जायेंगे। कहीं एन०ई०एस० ब्लाक खोले जायेंगे, सब खुल जायं लेकिन बेकारी की समस्या आज किसी भी प्रकार हल नहीं हो रही है। मैं समझता हूं कि विभव जी का यह उद्देश्य था। अगर आज बेकारी न होती तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को पनपा सकते थे। लेकिन चूंकि बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे गांवों के अन्दर जो बेकारी है उसको दूर नहीं कर सकती हैं, इसलिये हमारे माननीय विभव जी ने इस प्रस्ताव को लाकर हमें मौका दिया कि हम अपने विचार प्रकट कर सकें। अध्यक्ष महोदय, इससे अच्छी एक चीज और बता सकता हूं कि जो सारी कैटेज इंडस्ट्रीज में हो सकती है। तीन करोड़ रुपये की स्पोर्ट गुड्स आज हिन्दुस्तान में बाहरी मुल्कों से ली जाती हैं और हमारे हिन्दुस्तान में काश्मीर और हमारे यहां के पर्वतीय इलाकों में, नैपाल में अंडू की लकड़ी, मलाबार की लकड़ी बहुत ज्यादा है जिससे खेल के सामान बनाये जा सकते हैं। हमारे सियालकोट के रहने वालों ने पाकिस्तान बन जाने के बाद मेरठ के पास आकर इन्हीं से स्पोर्ट्स गुड्स बनाने का प्रयत्न किया है। हम कहते हैं कि यह काम केवल एक ही जगह पर नहीं बल्कि इसके ऐक्सपर्ट के द्वारा हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सकती है, स्कूल खोले जा सकते हैं और जो हमारे पास रा मैटीरियल्स फारेस्ट प्रोड्यूज इन स्पोर्ट्स गुड्स के लिये पड़ा हुआ है उससे हम अपनी बेरोजगारी को कटेज इंडस्ट्रीज में लगा करके दूर कर सकते हैं। दो-दो हजार रुपये की मशीनें आ सकती हैं जिनको हमारे पढ़े-लिखे लड़के दो, तीन महीने में सीख सकते हैं और बेरोजगारी दूर हो सकती है। हमारे यहां लकड़ी इतनी अधिक है कि पेकिंग के लिये पेटी बनायी जा सकती हैं लेकिन ब्रुक बौंड चाय तक की पेटियां विदेशों से आती हैं। जब पेकिंग केसेज तक विलायत और डेनमार्क से बन कर आते हैं, अगर इस देश में उसकी तरक्की न की जाय, तो फिर कैसे हम अपने ग्रामोद्योग के धंधों को बढ़ा सकते हैं। पेटियों की इतनी आवश्यकता हमारे यहां होती है जब कि फल वगैरह और भी चीजें बाहर भेजी जाती हैं तो क्यों न ऐसा कारोबार शुरू किया जाय जिससे अपने प्रदेश के जंगलों में पड़ी हुयी लकड़ी का प्रयोग कर सकें और अपने प्रदेश का उद्धार कर सकें और अगर हम ऐसा करेंगे तो अवश्य ही हम अपने प्रदेश का उद्धार कर सकते हैं और काफी हद तक बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं।

मैं और बहुत ज्यादा इस पर कुछ न कह कर यह कहना चाहता हूं कि मेरा तो सिर्फ बेसिकली जो बेसिस है वह कोआपरेटिव है और उसकी ओर ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं ताकि उससे हम यह बचत कर सकें कि जो ऐसी गलत किस्म की फर्म्स बन जाती हैं, केवल सरकार से खाली उद्योग की सहायता मांगती हैं, उनको सहायता न मिले और जो सचमुच उद्योगधंधे करना चाहती हैं, बेकारी की समस्या दूर करना चाहती हैं, अगर उनको सरकार इमदाद दे तो हमारी काटेज इंडस्ट्रीज बढ़ सकती हैं। सब्सीडी वगैरह जो दी जाय वह कोआपरेटिव को दी जाय, इंडिविजुअल्स को न दी जाय। यू० पी० हैन्डक्राफ्ट वाले कहते हैं कि १० परसेंट कीमत कम हो गयी है, वह पहले ही १० परसेंट ऊपर बढ़ा देते हैं, कम क्या करते हैं। हमारे मंत्री जी कहते हैं कि क्यों नहीं वहां से खरीदते हो। क्या जरूरत है जब उससे

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

सस्ती चीज और अच्छी चीज बाजार में मिल जाती है। आप देखें कि हजारों बन्डल तौलिये के सड़ गये, हजारों, लाखों का नुकसान हुआ। किस लिये हुआ। इसलिये हुआ कि वह बिजनेस कन्सर्न तो है नहीं, वह तो सरकारी नौकर हैं, वह कहते हैं कि हमारा ग्रेड क्या होगा, उसमें सरकारी नौकर रखे हुए थे जो तनख्वाह की बात करते हैं कि साहब हमारा ग्रेड क्या होगा, हमारा ग्रेड इतने से इतना होना चाहिये। अगर वही चीज कोई व्यापारी करता कोई इंडिविजुअल करता या किसी सोसाइटी को वह चीज सौंपी जाती तो वह उसको बड़ी खूबी के साथ कर सकता था। तो मैं कोई मुखालिफत नहीं कर रहा हूं लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि इस तरह से हमारे देश की बेकारी नहीं दूर होने वाली है। इसलिये इस प्रस्ताव की मंशा का तो मैं हृदय से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि कुछ संशोधनों के साथ कि सरकार अगर इसे मान लेगी तो हमारे यहां बेकारी भी दूर हो जायगी और हमारे यहां के उद्योग धंधे भी काफी आगे बढ़ जायेंगे।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव विभव जी ने इस भवन के सामने प्रस्तुत कर रखा है उसके सिद्धांत से तो मैं पूर्णतया सहमत हूं। उसका स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं परन्तु जो उन्होंने इसमें ११ सूत्री कार्यक्रम रखा है उससे सहमत नहीं हूं और इसलिये मैं उस हिस्से को जब मैं कुछ आपके सामने अपने विचार प्रगट करूंगा तो छोड़ दूंगा। वास्तव में भारत जब स्वतंत्र था तो भारत के रहने वाले इस बात को भलीभांति समझते थे कि हर मनुष्य का समाज के प्रति कर्तव्य है। जहां उसका अधिकार है वहां उसका कर्त्तव्य भी है और इसके साथ ही साथ भारतवासी अपने प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन यानी उत्पत्ति और वितरण को नियमित रूप से हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते थे और उसे नियंत्रित रखते थे। यहां तक उनका प्रोडक्शन और वितरण पर नियंत्रण रहता था कि जो संतान की उत्पत्ति होती थी उस पर भी वह आश्रमों के द्वारा नियंत्रण रखते थे ताकि वह भी अधिक मात्रा में न बढ़ जाय और कोई संकट न उत्पन्न हो जाय। तो ऐसा नियंत्रण वह रखते थे और यह भी बात थी उस समय में जैसा कि आज हमारे देशवासी भी दुर्भाग्यवश और विदेशी भी हिन्दुस्तान को कृषि प्रधान देश मान बैठे हैं, ऐसा उस समय नहीं था। हर्षवर्द्धन के समय तक यह कभी भी कृषि प्रधान देश नहीं रहा बल्कि एक व्यापारिक देश था और यहां का व्यापार दूसरे-दूसरे देशों से होता था। यहां की बनी हुई चीजें दूसरे राज्यों में गौरव पाती थीं। बनारस की साड़ियां, जौनपुर का इत्र और दूसरे कला-कौशल, कश्मीर का पशमीना और दूसरे और तमाम सामान यह सब विलायत को और-और दूसरे देशों को हमारे ही जहाजों द्वारा पहुंचाये जाते थे और वहां से दूसरे और बहुत से सामान जो हमारी आवश्यकता के होते थे वह लाये जाते थे। परन्तु जब हमने स्वतंत्रता खोयी और हमारे देश में गुलामी आयी, उस समय के अन्दर, उस शासनकाल में हम अपने कर्तव्य को भूल बैठे और एक समय ऐसे आया कि जब हमने धीरे-धीरे अपने व्यापार को खोया, अपने कला कौशल को खोया और ऐसा हो गया कि जितने भी कला कौशल के करने वाले थे वह सब के सब कृषि की ओर चलने लगे और उन्होंने यह कार्य अपना लिया या इधर उनका ध्यान गया कि केवल रा मैटीरियल पैदा करना जिससे कि इंडस्ट्रियल गुड्स बन सकें, केवल यह उनका कर्तव्य है। वह रा मैटीरियल विदेशों को जाने लगा। इसके साथ ही साथ जैसा मैंने कहा भारतवर्ष हमेशा प्रोडक्शन और वितरण पर नियंत्रण रखता था। तो जो संतान की उत्पत्ति पर नियंत्रण था वह हमारे देश से उठ गया और सोसाइटी के प्रति जो हमारा कर्तव्य था उसे भी हम भूल बैठे। कुछ आंकड़ों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा कि किस प्रकार से हमारे देश के अन्दर और हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर विशेषतया, जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई। १८७२ में जहां हमारी मर्दुमशुमारी ४ करोड़ २७ लाख थी, वहां १९५१ में वह आकर ६ करोड़ ३२ लाख हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी और जहां तक डेंसिटी आफ पापुलेशन का सवाल है, १८७२ में वह ३७७ थी और १९५१ में आकर वह ५५७ हो गयी। अगर आप दूसरे बड़े-बड़े देशों की ओर देखें यू०एस०एस०आर० है, कैनाडा है, आस्ट्रेलिया है, चाइना है, यू० के० और आपका हिन्दुस्तान है, इनको आप देखें तो पता चलेगा कि हमारी डेंसिटी आफ पापुलेशन जो है वह इन सब देशों से कहीं अधिक है। हमारे हिन्दुस्तान की डेंसिटी आफ पापुलेशन जो है वह २८१ है और उत्तर प्रदेश की ५५७ है। यू०एस०एस०आर० की डेंसिटी आफ पापुलेशन २२, कैनाडा की ४ और चाइना जो कि एक बहुत बड़ा देश माना जाता है और जिसके लिये कहा जाता है कि उसकी पापुलेशन सबसे अधिक है, उसकी भी डेंसिटी आफ पापुलेशन केवल १२३ है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की डेंसिटी आफ पापुलेशन सिवाय बेल्जियम जैसे छोटे से देश को छोड़ कर, दुनिया के सब देशों से अधिक है। इसलिये केवल खेती से ही काम चलना बिलकुल असम्भव है। अब खेती में कोई गुंजाइश नहीं है और डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो गया है। हमारे देश के ७६ फीसदी आदमी अभी भी खेती पर लगे हुये हैं और बेकारी की समस्या भयंकर रूप धारण कर रही है। १९०१ में हमारे ६४ फीसदी लोग खेती करते थे तो १९५१ में ७७.६४ परसेंट करते थे और दूसरे पेशों में १९०१ में ३३.३३ परसेंट काम करते थे वहां १९५१ में उनकी संख्या केवल २६.३६ रह गयी है। तो इस प्रकार हमारे लोग बराबर व्यापार और दूसरे देशों की ओर से हटते जाते जा रहे हैं। स्वतंत्रता के ज़माने में हम आज भी कह सकते हैं कि हमारा कृषिप्रधान देश है मगर यदि यही बात हमारे यहां चलती रही तो यह हमारे देश का दुर्भाग्य होगा। इसलिये मुझे आपके द्वारा यह निवेदन करना है कि हमारे यहां पापुलेशन और बेकारी का प्रश्न बड़ा विषम है। बेकारी बढ़ती जा रही है। हमें अब धीरे-धीरे अपने आदमियों को हटाकर दूसरे धंधों की ओर लाना चाहिये और इसके लिये कुछ न कुछ नियंत्रित व्यवस्था करना होगी। हमें देखना होगा कि हमारी दूसरी चीजों की कितनी आवश्यकता हमारे प्रदेश और देश की है। इसके साथ यह भी देखना होगा कि हमारे यहां कितनी परचेजिंग कैपेसिटी है, यानी जो चीज हम बनावेंगे, लोग उन्हें खरीद भी लेंगे या नहीं। केवल छोटी इंडस्ट्रीज़ को ही अनियंत्रित रूप से प्रोत्साहन देने से काम नहीं चल सकता है। हम देखते हैं कि हम अपने लोगों को किन्हीं खास धंधों की शिक्षा देते हैं लेकिन जो सामान वे बनाते हैं वहां निकल कर उसकी बिक्री नहीं होती, लोगों के पास उनको खरीदने की कैपिसिटी नहीं है। इसलिये वे लोग अपने धंधे को छोड़कर बेकार हो जाते हैं या दूसरे काम में लग जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग बेकार हो जाती है। इसलिये जब देश की बागडोर हमारे ही हाथ में है तो हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को इस प्रकार नहीं चलाना चाहिये कि अपनी आवश्यकताओं का भी पता न हो। इससे किसी हालत में भी देश का हित नहीं होगा। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे यहां मैनपावर और बेकारी का प्रश्न है, जो दिन पर दिन भयंकर रूप धारण करता जा रहा है, हमें इस बात का गौरव है कि हमारी वेलफेयर स्टेट है। तो हमारा फर्ज़ है कि हम हर आदमी को काम दें, उसके आराम के साधन और खाने का भी प्रबन्ध करें, तभी एक वैलफेयर स्टेट वैलफेयर कहलाने की हक़दार हो सकती है। मैं मानता हूं कि इस कार्य में देर अवश्य लगेगी। यदि इसे अच्छे ढंग से करना है कि देश का भला हो। हमारी स्वतंत्रता को अभी ७ ही वर्ष हुये हैं और इस थोड़े से ७ वर्ष के समय में ही इस ऊंचे स्तर को पहुंचना कठिन था लेकिन धीरे धीरे हम अपना कदम इस ओर बढ़ाते हैं लेकिन मैं आशंका करता हूं कि इधर जो हमारा कदम उठ रहा है वह नियंत्रित रूप से नहीं उठ रहा है, नियमित रूप से नहीं उठ रहा है जैसे अंधेरे में हम कहीं हाथ डालें और कहीं पहुंच जायं। इसी तरह से आज हमारा कदम उठ रहा है। कभी हम कहते हैं कि खद्दर का व्यापार बढ़ायें, कभी कहते हैं कि जूते का व्यापार बढ़ायें और कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। जो भी चीज हमारे सामने आती है उसी का व्यापार बढ़ाने की बात हम सोचते हैं। लेकिन हम यह नहीं देखते हैं कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और हमारी आज परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर हम इसके अनुसार अपना व्यापार बढ़ायें तो हमारा काम आसानी से चल सकता है और हम तरक्की कर सकते हैं। इससे हमारे देश को और हमारे प्रदेश को भी लाभ पहुंच सकता है।

[श्री केशव गुप्त]

यही वजह है कि आज गवर्नमेंट का रुपया खर्च होने के बावजूद, पब्लिक का रुपया खर्च होने के बावजूद जितना लाभ इन स्कूलों से और इनकी शिक्षा से पहुंचना चाहिये था वह नहीं पहुंच रहा है। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का, अपने बहुमत का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप इसी प्रकार से जो काटेज इंडस्ट्रीज को अनियंत्रित रूप से, अनियमित रूप से बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उससे बजाय लाभ पहुंचने के उल्टे हानि पहुंचने की ही सम्भावना हो सकती है। इसलिये मैं अधिक न कहते हुए इसी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप कोई व्यवस्था बनायें और एक बोर्ड ऐसा बनायें जो यह देखे कि हमारे यहां कौन कौन सी इंडस्ट्रीज चल सकती हैं और उनकी कितनी मांग है। उन इंडस्ट्रीज की कितनी मांग हमारे प्रदेश में है, हमारे देश के अन्य हिस्सों में कितनी मांग है। फिर यह देखें कि इनका प्रोडक्शन कैसे हो सकता है। उसके अनुसार अगर आप अपना कार्य शुरू कर दें तो फिर आपकी काटेज इंडस्ट्रीज को सच्चे रूप में प्रोत्साहन मिलेगा और आपकी यह इंडस्ट्रीज आगे को बढ़ती चली जायेंगी। यह बात तो सिद्ध ही है कि आवश्यकता के अनुसार चीज बढ़ती है। जैसा कि आपने देखा कि लड़ाई के जमाने में जब चीजों की आवश्यकता हुई तो उस समय बिना गवर्नमेंट के प्रोत्साहन और सहायता के चीजें बन गयीं और उनको प्रोत्साहन मिल गया। लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद आपने देखा कि उनकी आवश्यकता नहीं रही तो उनका पैदा होना भी बंद हो गया और उन चीजों के बंद हो जाने के कारण हम बेकारी की ओर चल दिये।

इसलिये मैं आप से कह सकता हूं कि चीजें बन जायेंगी, लोग शिक्षण के लिये भी आ जायेंगे और उत्पत्ति भी जल्दी ही हो जायगी बशर्ते कि आप उन चीजों की खपत के लिये कोई रास्ता निकाल सकें जिनको कि आप पैदा करेंगे और जिनसे आपको पैसा मिलेगा। मुझे यही निवेदन करना है कि हमारी काटेज इंडस्ट्रीज का भला तभी हो सकता है जबकि हमारी मेन पावर की खपत हो सके।

मिकेनिज्म भी हमारे देश के लिये बुरा नहीं है और मैं समझता हूं कि उसकी हमारे देश को काफी जरूरत है। लेकिन हमारे देश के लिये जिसके कि पास काफी मेन पावर है तो वहां वही उद्योग धंधे चालू हो सकेंगे कि जिनमें हमारी मेन पावर की खपत हो सके और जिनसे हमारे यहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा भोजन तथा पहनने को कपड़े वगैरा मिल सकें। इसलिये काटेज इंडस्ट्रीज की तरफ जो आपने ध्यान दिया है उसमें मुझे केवल यही एक शिकायत है कि आपकी जो व्यवस्था है वह नियंत्रित नहीं है, नियमित नहीं है। आपने कोई प्रोग्राम अपना ऐसा नहीं बनाया है कि जिससे आपको पता हो कि हमारे यहां किस चीज की जरूरत है। आपको आज पता नहीं है कि हमारे यहां कौन-कौन सी चीजों की आवश्यकता है और कौन सी चीजें हमारे यहां पैदा हो सकती हैं। इन चीजों को न करके यदि आप काटेज इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देते हैं तो वह या तो शुरू में ही मृतप्राय हो जायगी या अगर चलेगी भी तो आगे नहीं चल सकेगी क्योंकि उनका कोई मारकेट नहीं होगा तो उनका अंत बुरा ही होगा।

मैंने आपके यहां का चुनार स्कूल देखा है। वहां जो विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है उसको भी देखा है। मैंने वहां के अधिकारी वर्ग से पूछा कि आपने कितने रिफ्यूजीज यहां से शिक्षित करके बाहर भेजे हैं। उन्होंने उनकी संख्या मुझे बतलायी। इस पर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने देखा है कि जो लोग आपके यहां से शिक्षा लेकर गये हैं वह बाहर कहीं काम कर रहे हैं या नहीं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जिन लोगों को हमने शिक्षित किया था वह वापस आ गये हैं और हमारे ऊपर उनका बोझा बढ़ गया है। वह कहते हैं कि हमारी शिक्षा की कोई कद्र नहीं है। हमारी बनायी हुयी चीजों की भी कोई खपत नहीं है और उनसे कोई भी काम नहीं कराता है क्योंकि जो चीज वह बनाना जानते हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। यह चीज आज हमारे यहां है। जो शिक्षा हमारे यहां दी जाती है उसकी कोई नियंत्रित व्यवस्था नहीं है और

जो चीज वह बनाते हैं उसके लिये कुछ मार्केट नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि मारकेट को ध्यान में रखकर, देश की तथा प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हम एक नियंत्रित और नियमित व्यवस्था बनायें। इससे हमारे देश का भला होगा, प्रदेश का भला होगा, तब हम उन्नति कर सकेंगे। यही मुझे आप से निवेदन करना था।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव रखता हूं।

श्री अध्यक्ष---११ तो साधन संकल्प में दिये ही हैं, यह आपका १२ वां होगा।

श्री देवदत्त मिश्र---जी नहीं। कि संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय "गृह-उद्योगों का पुनः संगठन तथा बेकारी को दूर करने में प्रदेश द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगने वाली पूंजी का चतुर्थांश व्यय करे।" श्रीमन, मैंने "१०० करोड़ रुपया व्यय करे" के स्थान पर "लगने वाली पूंजी का चतुर्थांश व्यय करे" कर दिया है।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, आप भाषण जारी रखिये।

श्री देवदत्त मिश्र---अध्यक्ष महोदय, विभव जी के प्रस्ताव पर तीन दिन से हम लोग बहस सुन रहे हैं। प्रत्येक सदस्य ने इस प्रस्ताव के महत्व को हृदयंगम किया है और अपने अपने विचार से प्रत्येक सदस्य ने तर्कान्तर विरोध किया है और ऐसा करते हुए भी उन्होंने विभव जी के प्रस्ताव का समर्थन ही किया है। जिन बंधुओं को इस प्रस्ताव में किसी प्रकार की आपत्ति है उनसे मैं यह आशा करता था कि वे इस प्रस्ताव को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और अपने इस प्रकार के व्यावहारिक सुझाव देंगे जिनसे यह प्रस्ताव अधिक विकसित हो और उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो किन्तु खेद की बात यह है कि माननीय उपाध्याय जी, माननीय केशव गुप्त जी और जिन अन्य मित्रों ने इस सम्बन्ध में भाषण दिये उन लोगों ने सिवाय विरोध करने के और कोई सुझाव इसको इम्प्रूव करने के नहीं दिये। हमारे विभव जी ने काफी अध्ययन के बाद इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है और हमारा यह विश्वास है कि यह प्रस्ताव तो उस भावना को व्यक्त करता है जिस भावना से उद्बुद्ध हो कर सरकार उनके प्रस्ताव को स्वीकार करे और कार्य में परिणत करने के लिये एक योजना प्रस्तुत करे। डिटेल्स में जाने की बात प्रस्ताव में नहीं है, केवल सजेशन के रूप में है कि हम बेकारी को दूर करने के लिये इस प्रकार कर सकते हैं। सरकार जब इस भावना को स्वीकार कर लेगी और इस सम्बन्ध में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी तब इन सारे सुझावों को कार्य मे परिणत करने के लिये एक कमेटी बनेगी और वह कमेटी इस प्रकार के सुझाव देगी कि हम फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में किन गृह उद्योग-धंधों को कार्य में परिणत कर सकते हैं। किन गृह-उद्योग-धंधों को ले सकते हैं और किन को नहीं ले सकते। इसलिये यह कहना, जैसा कि उपाध्याय जी या केशव जी ने कहा कि हमारे विभव जी ने कोई व्यावहारिक योजना नहीं रखी, यह बहुत ठीक नहीं है।

उपाध्याय जी ने एक बात का विरोध किया था वह यह कि गृह-उद्योग के मातहत व्यक्तिगत रूप से सरकार की तरफ से किसी को अनुदान न दिया जाय। एक तरफ तो यह स्वीकार करते हैं कि देश में बेकारी हद दर्जे बढ़ी हुई है तो यह अत्युक्ति नहीं होगी, दूसरी तरफ वह यह कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से बेकारी को दूर करने का प्रयास करने वाले जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की सहायता न दी जाय। यह दोनों ही परस्पर विरोधी बातें कैसे चल सकती हैं? आज यदि देश में इतनी पूंजी होती कि जिसके आधार पर व्यक्ति उद्योग धंधों को चला सकते तो शायद बेकारी इस रूप में नहीं होती। प्रश्न यह है कि हम पूंजी कहां से लायें? और व्यक्तियों को या सहयोग समितियों को यह पूंजी कहां से दें? हम यदि पिछले एक सौ वर्ष के देश के औद्योगिक इतिहास की तरफ दृष्टि डालें तो हमें ज्ञात होगा कि देश का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवदत्त मिश्र]

औद्योगिक इतिहास यह बताता है कि इस देश के विकास में उद्योगपतियों ने जिस अंश में चाहिये था हिस्सा नहीं लिया, देश के विकास की दृष्टि से कार्य नहीं किया, व्यक्तिगत विकास को ही लक्ष्य में रखकर के कार्य किया है। यह बात दूसरी है कि उससे देश का भी कुछ विकास हो गया हो। आज अगर बड़ी बड़ी बिजनेस और बिग इंडस्ट्रीज की सूची प्राप्त करें तो मालूम होगा कि करीब ३०० इस प्रकार की बिग बिजनेस हैं और इंडस्ट्रीज हैं जिनमें करीब करीब हम औसत निकालें तो प्रत्येक में १०-१० व्यक्ति इस प्रकार के हैं जिनको ५,००० से लेकर १०,००० रुपया तक मासिक वेतन मिलता है। इस प्रकार अगर हम इस औसत को निकालें तो यह मालूम होता है कि करीब ३,००० व्यक्तियों में देश की जो आय है वह २५ लाख रुपया प्रतिमास अर्थात् आर्थिक वर्ष में ९ करोड़ रुपया केवल ३००० आदमियों में खर्च होता है। तो इस प्रकार का जहां औसत हो वहां हमारे विभव जी ने इस प्रस्ताव में यह रखा है कि बिग इंडस्ट्रीज के ऊपर लेवी लगायी जाय तो हमारा ऐसा खयाल है कि वह अनुचित नहीं है। यह करीब ९ करोड़ रुपया, ३,००० आदमियों के ऊपर खर्च हो उसके बजाय अगर एक करोड़ रुपया इन ३,००० आदमियों के लिये कर दें तो ८ करोड़ रुपये से हम कम से कम उसके १० गुनी, २० गुनी संख्या को काम दे सकते हैं, बेकारी से मुक्त कर सकते हैं और देश को अधिक प्रगतिशील बना सकते हैं। तो हमारी सरकार से यह अपील है कि जबतक वह देश की बड़ी इंडस्ट्रीज और बिग बिजनेस को नियंत्रण में लाने की चेष्टा नहीं करेगी, उनके ऊपर अंकुश लगाने की चेष्टा नहीं करेगी, तब तक बेकारी को दूर करने की बात या स्माल इंडस्ट्रीज और काटेज इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने की बात लगो सी है, उसमें कोई तत्व नहीं है।

मैं श्रीमन्, आपकी मार्फत सरकार का ध्यान महात्मा गांधी के उस वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने सन् १९४५ में उस वक्त दिया था जब हमारे देश के बड़े-बड़े इंडस्ट्रीयलिस्टस अमेरिका और इंगलैन्ड से कुछ ट्रांजेक्शन करने के लिये एक डेपुटेशन लेकर इन दोनों देशों में जा रहे थे। गांधी जी उसके कुछ ही दिन पहले जेल से निकल कर आये थे। उन्होंने औद्योगिकों के उस मूव के सम्बन्ध में यह कहा कि यह मूव देश के लिये बड़ा घातक है और यह मूव शत प्रतिशत लाभ में पांच प्रतिशत लाभ के लिये उठाया गया है। और यह जो देश के बड़े-बड़े औद्योगिक अमेरिका और इंगलैन्ड से जो सम्पर्क स्थापित करने जा रहे हैं यह देश के साथ बड़ा भारी विश्वासघात कर रहे हैं। आप जानते हैं, श्रीमन्, कि महात्मा गांधी से बढ़ कर इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने बड़े बड़े औद्योगिकों का सम्मान और श्रद्धा प्राप्त की हो। परन्तु उद्योगपति और व्यवसायी गांधी जी के प्रति इतनी इज्जत रखने के बावजूद भी उन्होंने गांधी जी के व्यक्तित्व की परवाह नहीं की और अमेरिका और इंगलैन्ड को अपना डेपुटेशन ले कर गये। मैं उनकी मनोवृत्ति की तरफ, उनकी भवनाओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर हमें छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना है, बेकारी को दूर करना है तो यह उचित है कि जो इस प्रकार के बड़े बड़े उद्योग हैं उनके ऊपर सरकार अंकुश लगाये, उनकी आय का बहुत बड़ा हिस्सा लेवी के रूप में स्माल इंडस्ट्रीज के लिये प्राप्त करे।

इसके अतिरिक्त और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो इस प्रस्ताव में बतायी गयी हैं। मैं अपने माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। एक तरफ हमारी सरकार की यह नीति है कि हम छोटे-छोटे उद्योग धंधों के मार्ग में जो कठिनाइयां हैं, जो रुकावटें हैं उनको दूर करने की तरफ बहुत मंद गति से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बिक्रीकर, यह एक प्रकार का अवरोध है जिसकी वजह से छोटे-छोटे उद्योग-धंधे, जिसमें अधिकतर लोग देहातों के रहने वाले हैं और अशिक्षित हैं, वह सब हिसाब-किताब रखने की कला से अनभिज्ञ हैं किन्तु कारीगरी की कला में भिज्ञ हैं। उनको आज सेल्स टैक्स के जो नियम हैं, उपनियम हैं, उसके जो हिसाब किताब हैं, उनकी झंझट में डालने का परिणाम यह होता है कि नये उद्योगों की बात तो दूर रही जो पुराने उद्योग हैं वही धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। क्योंकि सेल्स टैक्स आफिसर एक तरह से तानाशाह, वह इस बात को कभी विचार नहीं करता कि आया इस कारीगर

की या उद्योग करने वाले व्यक्ति की आमदनी क्या होगी। उसने अपने मन से एक आंकड़ा तय कर लिया और यह निश्चय कर दिया कि इतना सेल्स टैक्स देना होगा। जो कुशल कारीगर पांच सौ रुपया साल में कमाता है उसपर तीन सौ रुपया सेल्स टैक्स, मैं यदि माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो उनकी सेवा में उदाहरण उपस्थित कर दूंगा। और मैंने एक बार उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित भी किया था। ठठेर रहते हैं जो पीतल गला कर पीतल के बर्तन बनाते हैं। उनका काम केवल हस्तशिल्प है जिसको हम यह कहते हैं कि किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं है, उनके ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया गया। परिणाम यह हुआ कि आज करीब ४००–५०० भगवंतपुर, जिला उन्नाव में जो ठठेर थे उनमें १०० से ज्यादा ठठेर बेकार बैठे हैं और उनको कोई काम नहीं मिलता। समय हो जाने की वजह से मैं अन्य बातों की ओर प्रकाश नहीं डाल सकता लेकिन माननीय उद्योग मंत्री से यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के हाथ से काम करने वाले कारीगर जैसे ठठेर वगैरह हैं उनको काम दिलाने का प्रयास करेंगे।

श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प की पंक्ति २ के शब्द "पुनः" तथा शब्द "संगठित" के बीच में शब्द "शीघ्र" रख दिया जाय।

संकल्प के खंड (३) की पंक्ति १ के शब्द "बड़े" तथा शब्द "उस"—उस शब्द भूल से रख दिया गया है—तथा शब्द "से" के बीच के शब्द हटा कर उनके स्थान पर शब्द "उद्योगपतियों के आय कर" रख दिये जायं।

संकल्प के खंड (३) की पंक्ति १ में शब्द "लगाया" के स्थान पर शब्द "लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की" रख दिये जायं।

श्रीमान्जी, पहले संशोधन से मेरा अभिप्राय यह है कि यह संकल्प बहुत आवश्यक प्रतीत होता है और मैं जब कभी देहाती क्षेत्र में गया हूं तो मैंने देखा कि कहीं कहीं उद्योग धंधे लुप्तप्राय हो रहे हैं और हमारे माननीय उद्योग मंत्री जो बहुत उद्योगी पुरुष हैं इसमें कोई शक नहीं कि उनमें उन्नति हो रही है लेकिन उन्नति की जो गति है इसके लिये मेरी प्रार्थना यह है कि यह "शीघ्र" शब्द लगा दिया जाय जिससे यह न हो कि कहीं और जो बहुत से कार्य हैं उनके सामने इसे प्राथमिकता न मिले और यह पीछे पड़ जाय और इस प्रकार से यह विचार बना रहेगा कि जो संकल्प है उसके अनुसार कार्यवाही हो लेकिन कोई अवधि न होने से बहुत संभव है और कार्यों को प्राथमिकता दी जाय और इसमें विलम्ब हो जाय। इसलिये विलम्ब को मिटाने के लिये "शीघ्र" शब्द रख दिया जाय।

दूसरा जो संशोधन है वह उद्योगपतियों के आयकर के सम्बन्ध में है। मैं कोई उद्योगपति नहीं हूं, न मैं उद्योगपति बनने के लिये कोई कार्य कर रहा हूं और न संभवतः आगे करूंगा। मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है लेकिन फिर भी मैं यह देखता हूं कि कभी कभी बड़े-बड़े उद्योगपतियों के प्रति रोष प्रकट किया जाता है और उनका विरोध किया जाता है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या हमारे देश में छोटे-छोटे ही उद्योग रहेंगे और बगैर बड़े उद्योगों के क्या हमारा देश संसार में अन्य देशों से होड़ कर सकेगा? क्या हमारा देश बड़े-बड़े देश जैसे अमेरिका आदि हैं ये जो बड़ी-बड़ी चीजें बनाते हैं जैसे जहाज और मोटर कारें उन पर ही भरोसा करके बैठा रहेगा? वहीं से ये चीजें मंगाते रहें? उस समय मुझे दुख होता है कि यह हमारा देश जो है, संविधान बनाने में और अन्य बातों में तो और देशों की तुलना करता है किन्तु उद्योगों के सम्बन्ध में ऐसी बातें होती हैं कि यह बड़े-बड़े जो उद्योग हैं यह बेकारी फैलाते हैं इसलिये उनका विरोध करना चाहिये। मैं यहां पर साहस कर के यह बात कह रहा हूं कि हमारा बहुमत ऐसा है कि जो बड़े बड़े उद्योगों का विरोध करता है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। इसीलिये मैंने यहां पर एक संशोधन पेश किया है

[श्री रणंजयसिंह]

कि जिससे इन बड़े-बड़े उद्योगपतियों का उद्योग भी होता रहे और यह कार्य भी होता रहे। इसके साथ साथ उनकी जो आमदनी है और उस पर जो कर लगाया जाता है तो उस कर के लिये ऐसा कर दिया जाय कि जिससे वह इस काम में लगाया जा सके। केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की जाय कि केन्द्रीय सरकार बड़े-बड़े उद्योगपतियों से जो कर प्राप्त करती है वह इन छोटे छोटे उद्योग-धन्धों में लगाया जाय जिससे इनको प्रोत्साहन मिले और सहायता मिले। मैं यह किसी पक्षपात से नहीं कह रहा हूं बल्कि पक्षपात रहित हो कर यह बात कह रहा हूं। इसी कारण से मैंने अपने यह तीन संशोधन यहां पर पेश किये हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे संकल्पकर्ता महोदय अपने संकल्प पर दृढ़ रहें और यह संकल्प इस सदन से स्वीकार हो जाने के उपरान्त जो हमारे यहां बेकारी बढ़ी हुई है वह दूर हो जाय और हमारे यहां जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनके लिये यह उपकार हो जाय। इसके साथ साथ यह भी है कि हमारे देश में जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं वे भी उन्नति करें और उनके द्वारा हमारे देश का कल्याण हो और हमारे देश के द्वारा संसार का कल्याण हो और हमारा देश संसार में अग्रसर हो। इसलिये मैंने इन शब्दों को यहां पर रखने का प्रयास किया है और माननीय विभव जी इस पर विचार करें और इसको मानने के योग्य समझें तो इसको मानने की कृपा करें।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—मैं प्रस्ताव करता हूं श्रीमन्, कि इस पर अब बहस बन्द की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस प्रश्न पर अब बहस बन्द की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो इस प्रस्ताव को उपस्थित करने के बाद इस सदन में इस प्रस्ताव पर जिस तरह से सब तरफ से स्वागत हुआ है उसके लिये मैं उन सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। श्रीमन्, इस प्रस्ताव पर बोलते हुये एक मौलिक प्रश्न श्री उपाध्याय जी ने उपस्थित किया कि यह जो कुटीर उद्योग होगा वह आखिर किसके द्वारा संचालित होगा और उसके लिये उन्होंने एक सुझाव भी दिया था कि वह अपनी सहयोग समितियों के द्वारा संचालित होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस सदन में कोई भी इस तरह का मतभेद नहीं हो सकता कि हमको सहयोग समितियों के द्वारा ही जहां तक हो अपने कार्य को आगे संचालित करना है। परन्तु वर्तमान परिस्थिति में यदि हम इसके ऊपर विचार करते रहें, हमारे कुटीर उद्योगों का संगठन उसी समय होगा जब कि इसके लिये सारे देश में सहकारी समितियां बन जायं तो वह कार्य पूरे तौर पर किया जा सकता है। हमने अपने देश में जहां इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे देश में सारा कार्य कोआपरेटिव आधार पर संचालित होगा। हमारे देश में एक कोआपरेटिव कामन वेल्थ का निर्माण किया गया लेकिन हम जानते हैं कि सरकार के भारी प्रयत्न करने पर भी कोआपरेटिव का उतना प्रसार नहीं हो रहा है जितना कि हम चाहते हैं। मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री देवकीनन्दन विभव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि मुझे समय १५ मिनट मिलने को था, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह ऐसा विषय है जिसके ऊपर कितने ही संशोधन हैं इसलिये मुझे विशेष रूप से १० मिनट और दे दिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—१० मिनट के लिये तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन ५ मिनट आप और ले लें तो बहुत अच्छा होगा। ४ मिनट आप बोल चुके हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव—अध्यक्ष महोदय, मैं यह बतला रहा था कि माननीय उपाध्याय जी ने जो प्रश्न इस सदन के सामने उपस्थित किया कि ये काटेज इंडस्ट्रीज कोआपरेटिव के आधार पर चलायी जायं, इस सम्बन्ध में मेरा तो ख्याल यह है कि कोई दो रायें नहीं हैं। परन्तु कोआपरेटिव के आधार पर चले तभी हमारे कुटीर उद्योग का काम आगे चले तो यह हमारे लिये उपयोगी नहीं होगा और उसके लिये हमको बहुत देर तक इन्तजार करना पड़ेगा। माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि यह काटेज इंडस्ट्रीज कहीं कैपिटलिस्टों के हाथों में न चली जायं। मेरा ख्याल है कि यदि उन्होंने इस प्रश्न को गम्भीरता से अध्ययन किया होता तो मेरा निश्चय है कि वे ऐसी बात नहीं कहते। क्योंकि पूंजीपति जो जायंगे वे बड़े बड़े उद्योग धंधों में जायेंगे, बड़े बड़े उद्योग धंधों में ही लाभ की ज्यादा आशायें हैं। काटेज इंडस्ट्रीज का लाभ मौलिक रूप से एक एक कुटीर तक पहुंचना है, उसमें पूंजीपति नहीं जायेंगे। गो पूंजीपति इसमें भाग लें और उनकी पूंजी का उपयोग हम काटेज इन्डस्ट्रीज और एक एक कुटीर में रहने वाले व्यक्तियों के लिये कर सकें तो मैं समझता हूं कि मुझे तो कम से कम उनके उपयोग करने में कोई गुरेज नहीं होगा। तो यह प्रश्न था कि अब कैसे होगा? सरकार अपने हाथ में इस काम को ले तो जो कुटीर उद्योग देश की लाखों कुटियों, घरों और झोपड़ों में फैला हुआ है उसको समेटने और संगठन का काम हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सरकार को अपना कुछ न कुछ इनिसिएटिव अवश्य लेना होगा। मैं एक बड़ी मौलिक बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है मार्केटिंग को संगठन करने का काम। मार्केटिंग का संगठन करने में हमें सरकार और पूंजीपतियों की शक्ति का अवश्य उपयोग करना चाहिये और हमें उनको उपयोग में लाना पड़ेगा।

एक और मौलिक प्रश्न जो हमारे एक और माननीय सदस्य श्री रणंजय सिंह ने उपस्थित किया कि बड़े बड़े उद्योगों का क्या स्थान होगा। क्या छोटे छोटे उद्योग धंधे ही देश में स्थापित रहेंगे और बड़े बड़े उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया जायगा? मैं समझता हूं कि ऐसी आशंका की बात ख्याल में लाना मेरे ख्याल से मुनासिब न होगा। मैंने अपने इस प्रस्ताव को पेश करते हुये कहा था कि हमें अपने देश के सारे उद्योग धंधों को २ विभागों में विभाजित करना होगा। एक सेक्टर या एक क्षेत्र वह होगा जहां हम बड़े उद्योगों का आश्रय लेंगे। बहुत सी बेसिक इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जिनको आज के युग में, इस टेक्निकल एडवान्समेंट के युग में हमें चलाना होगा और उनको चलाने के लिये हम मशीनरी के उपयोग से इन्कार नहीं कर सकते और हमें उन सेक्टर्स में मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने देश की परिस्थिति को देखते हुये, देश के महान् जन बल को देखते हुये हमें ऐसे अनेक क्षेत्र स्थापित करना पड़ेगा जहां पर हमें केवल काटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योगों का ही सहारा लेना पड़ेगा और उस महान् जन बल का प्रयोग कर के ही हम देश की बेकारी को दूर कर सकते हैं। जिन माननीय सदस्यों ने गम्भीरता से इस प्रश्न का अध्ययन किया है वह जानते होंगे कि इस की पृष्ठिभूमि में जो महान् बात छिपी हुई है वह यह है कि उद्योग ही सारे विकास की जड़ है और वह इस को एप्रिशिएट कर सकेंगे और उसके मूल को समझ लेंगे और मेरा ख्याल है कि किसी को यह शंका भी न रहेगी कि इससे हमारे बड़े उद्योग धंधे नष्ट हो जायेंगे। मैं तो चाहता हूं कि हमारे अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां बड़े उद्योग धंधे न केवल चलें बल्कि वे और आगे बढ़ें और उनका विकास हो लेकिन साथ ही हमें अपनी बढ़ी हुई बेकारी का भी ध्यान रखना चाहिये और इसके लिये हमें अपने अनेक क्षेत्रों में काटेज इंडस्ट्रीज को उपयोग में लाना पड़ेगा। एक सज्जन ने कहा कि इसका काम कैसे होगा और क्या प्रोसीजर होगा यह प्रस्ताव में नहीं है।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

यह जो प्रस्ताव आप के सम्मुख है वह सारे प्रश्न के विस्तार में या माइन्यूट डिटेल में नहीं जाता, वह तो मोटे मोटे सिद्धांत ही उसके लिये स्थापित करता है, उसके लिये आवश्यक होगा कि एक कमेटी एक्सपर्ट्स या विशेषज्ञों की स्थापित की जाय और वह सारे प्रश्न को गम्भीरता से अध्ययन करे और वह उसके बाद स्थान स्थान पर जा कर देखे कि हम कहां पर किस उद्योग को संरक्षण दे सकते हैं, किस क्षेत्र में हम किस उद्योग धंधे को, किस छोटे उद्योग के लिये कहां क्षेत्र स्थापित कर सकते हैं। उस कमेटी को पहले यह सारे डिटेल वर्क आउट करना होगा ताकि हम अपने देश के महान् जन-बल का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। यह एक गम्भीरता से विचार करने का प्रश्न है और इस छोटे से प्रस्ताव में यह तमाम डिटेल लाना सम्भव नहीं था। इसलिये इस तरह का कोई सन्देह किसी सज्जन को रहा हो तो आशा है कि वह दूर हो जायगा।

अब मैं आप के सामने जो अनेक संशोधन उपस्थित हुये हैं उनके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरा प्रयास रहा है कि यह प्रस्ताव सदन के अधिक से अधिक सदस्यों की सहानुभूति और एकता के साथ पास किया जाय। मैंने इन सारे संशोधनों को देखा और जिन संशोधनों को मैं स्वीकार कर सकता था उनको मैंने स्वीकार करने का प्रयत्न भी किया। मुझे खेद है कि मैं श्री शिव कुमार शर्मा के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। उनका यह विचार है कि एक व्यक्ति एक ही व्यवसाय को करे, लेकिन मैं समझता हूं कि यह सम्भव नहीं है। गांधी जी की विचारधारा से जो लोग अनभिज्ञ हैं वह जानते हैं कि अन्डर एम्प्लायमेंट होता है। हम इसी आधार पर कह सकते हैं कि जो लोग कृषि के काम में लगे हुये हैं उनको और कोई सहायक उद्योग धंधा दिया जाय तो यदि "एक व्यवसाय, एक व्यक्ति" के सिद्धांत को स्वीकार किया जाय तो फिर उस सिद्धांत की मूल ही गिर जाती है। इसलिये मुझे खेद है कि मैं उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

नारायण दास जी पासी का संशोधन केवल शाब्दिक रूप में है और मैं रतन लाल जी जैन के संशोधन को, जो आगे आ रहा है उसमें भी वही भाव है कि गृह-उद्योगों के साथ छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को शामिल कर लिया जाय, स्वीकार कर लिया है। इसलिये अब नारायण दास जी के संशोधन की आवश्यकता नहीं रह जाती।

रणंजय सिंह जी ने जो अपने संशोधन में "शीघ्र" शब्द प्रयुक्त करने को कहा है उसे मैं स्वीकार करता हूं।

बलवन्त सिंह जी ने कहा है अपने संशोधन में कि सहकारिता के आधार पर ही कुटीर उद्योग-धंधे चलाये जायं। चूंकि वर्तमान समय में वह व्यावहारिक नहीं है, सैद्धान्तिक तो है लेकिन चूंकि व्यावहारिक नहीं है इसलिये मुझे खेद है कि मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता।

रणंजयसिंह जी का एन्ड और संशोधन है कि बड़े बड़े उद्योग धंधों पर जो आय कर लगाया जाता है वही लगाया जाता और कोई सेस न लगाया जाय। मुझे खेद है कि मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि आय कर वालों का हिसाब भिन्न है। बड़े इंडस्ट्री और छोटी इंडस्ट्री जिसमें मशीनें अधिक प्रयोग में नहीं आती हैं अन्तर केवल इतना है कि छोटे छोटे उद्योग धंधे बड़ी मशीनों से चलाये जाने वाले उद्योग धंधों के सामने चल नहीं सकतीं। उनके कम्पेटीशन में उनका चलना असम्भव है। तो उन दोनों में सामंजस्य और समन्वय करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम जहां बड़ी मशीनें हैं और जहां पर लेबर सेविंग डिवाइसेज लगी हुई हैं वहां पर उन पर कुछ सेस लगावें और वहां से जो बचत होती है उसको लेकर छोटे छोटे उद्योगधंधों को थोड़ा सा सबसिडाइज करें। इस दृष्टि को रखते हुये मैं उनके इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

रामस्वरूप जी का जो संशोधन है कि "चार्ज" के स्थान पर "सेस" रख दिया जाय वह मुझे स्वीकार है क्योंकि सेस ही अधिक उपयुक्त शब्द है।

रणंजयसिंह जी ने एक और संशोधन रखा है कि "लगाया" के स्थान पर "लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की" रख दिये जायं। मैं समझता हूं वह ठीक है और मैं उसे स्वीकार करता हूं।

रामस्वरूप जी गुप्त का एक संशोधन और है "सहयोग समितियों और प्रामाणिक संस्थाओं के द्वारा" ही यह कार्य किया जाय। मैं बता चुका हूं कि यह व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है इसलिये मुझे खेद है कि मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री श्रीनाथ राम जी का जो संशोधन है वह शाब्दिक है लेकिन उससे मेरे प्रस्ताव में सुधार नहीं होता इसलिये मुझे खेद है कि मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता।

रतनलाल जी जैन का जो संशोधन है उसके लिये तो मैंने पहले कहा था कि वह मुझे स्वीकार है। मेरा भी यही आशय था कि छोटे छोटे उद्योग धंधों को भी उसके साथ मिला रहना चाहिये। इसलिये उनका यह संशोधन मुझे स्वीकार है।

बलवन्तसिंह जी ने एक और संशोधन उपस्थित किया है कि सरकार अपने कर्मचारियों को आदेश दे कि वह इन कुटीर उद्योग धंधों में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करें। कुटीर उद्योगों की बनाई हुई चीजों का ही उपयोग करें तो यह बात चूंकि एक जगह आ चुकी है और वहां इसकी पूर्ति हो जाती है और इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

रतनलाल जी ने एक और संशोधन उपस्थित किया है इस बात का कि बाहर विदेशों में कमीशन भेजे जायं जो वहां जाकर देखें कि किस चीज की खपत ज्यादा है और अगर वह काम प्रदेश में चल सकता है तो उसको चलाया जाय। मैं इसको स्वीकार करता हूं।

रामस्वरूप गुप्त जी का एक और संशोधन है और वह यह कि कुछ क्षेत्रों में यह निश्चित कर दिया जाय कि अमुक अमुक काम कुटीर उद्योग द्वारा ही चलाये जायेंगे और उन्हीं को संरक्षण दिया जायगा और उन कामों के लिये मशीनों को कोई संरक्षण नहीं दिया जायगा। मेरा खयाल है कि यह सिद्धान्ततः स्वीकार होना चाहिये और इसलिये मैं इसको स्वीकार करता हूं।

रामदास जी आर्य का जो संशोधन है वह प्रायः उसी आशय का है कि जिनको हम पहले स्वीकार कर चुके हैं, उनका आशय पहले के संशोधनों को स्वीकार करने से पूरा हो जाता है और इसलिये इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

रामस्वरूप गुप्त जी का एक और संशोधन है कि जो हम कुटीर उद्योगों पर खर्च करें उसका दस प्रति शत से अधिक प्रशिक्षण कार्य में खर्च न करें। यह बहुत डिटेल की बात है और जैसा कि मैंने निवेदन कर दिया है कि इसके लिये एक कमेटी बनेगी और वह सारे डिटेल्स को निश्चित करेगी इसलिये मेरा ख्याल है कि वह सवाल उसी में तय हो तो अच्छा है। और इसलिये इसको इस प्रस्ताव में मैं नहीं रखता हूं।

एक संशोधन देव दत्त मिश्र जी ने प्रस्तुत किया है और मैं उसे बहुत ही मुनासिब समझता हूं कि आखिर हम कितना इस पर खर्च करेंगे और वह कौन सा रुपया होगा इसका कुछ थोड़ा सा आशय आ जाना चाहिये। उन्होंने यह बात रखी है कि जो प्रदेश द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यय किया जाय उसका २५ प्रतिशत के करीब इस काटेज इंडस्ट्रीज और बेकारी को दूर करने में लगाया जाय। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब है और मैंने इसको सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

अब इन संशोधनों को स्वीकार करने के बाद प्रस्ताव का जो संशोधित रूप हो जाता है वह इस प्रकार है :—

"उत्तर प्रदेशीय विधान सभा का यह निश्चित मत है कि इस प्रदेश में बढ़ती हुई बेकारी को दूर करने के लिये गृह और छोटे उद्योगों को शीघ्र पुनः संगठित किया जाय और उनके लिये निम्न ग्यारह सूत्री कार्यक्रम अपनाया जाय :—

(१) गृह और छोटे उद्योगों पर से सेल्स टैक्स हटा दिया जाय।

(२) गृह और छोटे उद्योगों के लिये सस्ती बिजली उपलब्ध की जाय और उस पर से लगने वाले सरचार्ज को हटा दिया जाय।

(३) गृह और छोटे उद्योगों को संरक्षण देने के लिये बड़े उद्योगों पर सेस लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की जाय और उससे जो धन प्राप्त हो वह गृह उद्योगों के संरक्षण में लगाया जाय।

(३-क) "जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उद्योगों में खास खास उद्योग चुन लिये जायं जो गृह-उद्योगों के रूप में ही चलाये जायेंगे और उनको यंत्रोद्योगों की प्रतिस्पर्द्धा से संरक्षण दिया जायगा।"

उपरोक्त सब बातों पर विचार करने और प्रादेशिक सरकार से सिफारिश करने के लिये विशेषज्ञों की एक कमेटी नियुक्त की जानी चाहिये जो तीन मास में अपनी रिपोर्ट दे देगी।

(४) गृह और छोटे उद्योगों के लिये उचित मूल्य पर कच्चा माल उपलब्ध किया जाय और उसे कारीगरों को बिना मध्यवर्गीय लाभ के दिये जाने की व्यवस्था की जाय।

(५) गृह और छोटे उद्योगों से उत्पादित माल के वितरण और विक्रय के लिये मार्केटिंग बोर्ड बनाया जाय और उसके लिये भीतरी और बाहरी बाजारों को संगठित किया जाय एवं स्टैंडर्ड माल तैयार कराया जाय।

(६) विदेशों में गृह और छोटे उद्योगों की वस्तुओं के प्रचार और मांग को संगठित किया जाय और केवल अच्छी क्वालिटी के माल को भेजा जाय जिससे वहां उनकी खपत और इनकी ख्याति बढ़े।

(६-क) भारत के बाहर भिन्न भिन्न देशों में कमीशन भेजे जायं जो उन देशों में प्रचलित गृह उद्योग-धंधों का अध्ययन करें जो उद्योग-धंधे उत्तर प्रदेश में व्यवहृत होने के योग्य हों उनकी रिपोर्ट सरकार को दें और सरकार उनको इस प्रदेश में प्रचलित करने की व्यवस्था करे।

(७) गृह और छोटे उद्योगों के लिये छोटी छोटी मशीनें तथा कच्चा माल कम ब्याज की क़िस्तों पर दिया जाय।

(८) विदेशों के मुख्य-मुख्य शहरों में गृह और छोटे उद्योगों की चीजों के लिये प्रदर्शनालय खोले जायं।

(९) मुख्य मुख्य गृह उद्योगों के केन्द्रों में तत्सम्बन्धी शिक्षणालय खोले जायं जहां नवयुवकों को उस कार्य की व्यावहारिक शिक्षा दी जाय।

(१०) गृह तथा छोटे उद्योगों के माल तथा डिज़ाइन को सुधारने के लिये प्रयत्न किये जायं और उसके लिये प्रयोगशालायें खोली जायं।

(११) सरकारी आवश्यकताओं की पूर्ति जहां तक सम्भव हो गृह तथा छोटे उद्योगों की चीजें खरीद कर ही की जाय। गृह तथा छोटे उद्योगों को पुनः संगठित तथा बेकारी दूर करने में प्रदेश द्वितीय पंच वर्षीय योजना के कुल व्यय का २५ प्रतिशत व्यय किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां सिर्फ केवल एक बात कह करके अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा। मुझे आश्चर्य हुआ उपाध्याय जी की इस बात को सुन कर कि वह यह चाहते हैं कि छोटे उद्योगों पर से सेल्स टैक्स न हटाया जाय। मैं समझता हूं कि कम से कम उनकी पार्टी का उनके लिये यह आदेश नहीं होगा। मैं यह कह रहा था कि अगर वह यह देखेंगे कि छोटे उद्योगों और गृह उद्योगों पर किस तरह सेल्स टैक्स लगा हुआ है और उससे वह किस तरह उजड़ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वह अपनी राय बदल देंगे।

दूसरे मुझे यह भी आश्चर्य हुआ कि हमारे कुछ भाइयों का केवल इसी तरफ ध्यान रहता है कि फलां नौकरी में हमारा इतना प्रतिशत है वहां इतना क्यों नहीं हुआ, उस तरफ विशेष ध्यान होता है लेकिन जब कि उनके लाखों करोड़ आदमियों को इस प्रस्ताव से कार्य मिलने वाला होता है तो उसमें मुझे आशा है कि वह अधिक उत्साह दिखायेंगे क्योंकि देश की और उनकी समृद्धि केवल इसी बात से हो सकती है कि हम अधिक से अधिक लोगों को एम्पलायमेंट दे सकें, अधिक से अधिक लोगों की बेकारी दूर कर सकें। और केवल नौकरियों के द्वारा या पदों के द्वारा किसी भी राष्ट्र की, व्यक्ति की समस्या हल नहीं हो सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार अपने माननीय उद्योग मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह से इस प्रस्ताव को सहानुभूति के साथ लिया है, मैं समझता हूं कि वह उसको इसी भावना से कार्य रूप में लाने का प्रयत्न करेंगे। मैं जानता हूं कि उनमें कार्य-क्षमता है, उनमें उत्साह है और यदि उनको पैसा और उपयुक्त मशीनरी दी जाय तो मैं समझता हूं कि वह प्रदेश के उद्योगधंधों में एक क्रांति ला सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं अपने प्रस्ताव को सदन के सामने रखता हूं।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुमसिंह)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोस्त माननीय विभव जी का बड़ा आभारी हूं और मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि यह प्रस्ताव ला करके इस सदन के माननीय सदस्यों का तथा और साथियों का ध्यान इस कुटीर उद्योग-धंधे की तरफ दिलाया। जहां मुझे उनको धन्यवाद देने का अवसर मिला, मुझे इस बात का खेद भी है कि हमारे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के केवल दो महानुभावों ने अपनी राय का इस प्रस्ताव से सम्बन्ध में इजहार किया और साथियों की राय का फायदा मुझको नहीं पहुंचा। उससे मैं यही अन्दाजा निकालता हूं कि उद्योग वगैरह के विकास के सम्बन्ध में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी अगर है तो ऐसी चीजों में है जिससे उसका ह्रास हो, विकास न हो, वर्ना मैं तो आशा करता था कि मैं उनकी राय को सुन कर के कुछ सबक़ लूंगा और कुछ उससे फायदा उठाऊंगा जो कि इस विभाग के इंतजाम, इस उद्योग के विकास के कार्य में हमको सहायता पहुंचाती। इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि हमारे देश में अनइम्पलायमेंट का क्वेश्चन काफी महत्व रखता है। इसमें भी दो रायें नहीं हो सकतीं, ज्यादा आकड़ों से साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे देश की आबादी बढ़ती जा रही है और बड़े जोरों के साथ बढ़ती जा रही है और यह प्रश्न हमारे सामने खाने का और इम्प्लायमेंट का इतना बड़ा है हमारे देश के और हमारे सूबे के सामने कि इसको हम और आप मिल कर हल कर सकें उतना ही इससे देश का कल्याण होगा। हमारे सभी मित्रों ने इस प्रश्न की ताईद में अपनी-अपनी तक़रीरें की हैं। जहां तक इस प्रस्ताव के सिद्धांत का ताल्लुक है मैं भी उससे पूर्णतया सहमत हूं। कोई इससे इन्कार कर नहीं सकता। दौरान तक़रीरों में मैंने हर एक की बात को बड़े ध्यान से सुना और उनको फालो करने की चेष्टा की। कुछ मित्रों ने यह भी फरमाया कि कुटीर उद्योग-धन्धों की

[श्री हुकुमसिंह]

बड़ी-बड़ी फैक्टरियों से तरजीह दी जाय। किसी ने इसके खिलाफ भी राय का इजहार किया। यह कंट्रोवर्सी बड़ी पुरानी है। बड़े बड़े इकोनामिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट और पालिटियंश कभी भी इस पर एक मत नहीं हुए और यह एक ऐसा मसला है जिस पर कि करीब भविष्य में एक मत फैसला होने की कोई गुंजाइश मालूम नहीं होती है। मैं तो ज्यादा इसमें दखल रखता नहीं लेकिन मेरी नाकिस राय में हमको आप को इन दोनों के दरमियान में कोई एज-स्टमेंट निकालना पड़ेगा, कुछ क्षेत्र का बटवारा करना पड़ेगा कि फलां क्षेत्र में तो बड़ी बड़ी फैक्टरियां काम करें और फलां फलां चीजें उद्योगधंधों के जरिये से बनाई जायं क्योंकि मशीनरी का युग है, दुनियां से कम्पीट करना जरूर पड़ेगा, हिन्दुस्तान अलग नहीं रह सकता और और देशों ने बहुत काफी तरक्की इसमें कर ली है। उनके यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन एक हद तक पहुंच चुका है। अगर हम उनसे कम्पीट करना चाहते हैं तो यह मुमकिन नहीं है कि हम इन बड़ी बड़ी मशीनरियों को अपने काम में न लावें। हमको लाना पड़ेगा। लिहाजा यह जरूरी मालूम पड़ता है जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि हमको क्षेत्र का बटवारा करना पड़ेगा। अगर हम बड़ी बड़ी फैक्टरियां रखें तब भी हमारा अनइम्प्लायमेंट का क्वेश्चन हल नहीं होता। उद्योगधंधों में जितने आदमी खपेंगे और अपनी रोटी उससे पैदा करेंगे उतने आदमियों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जरूरत नहीं पड़ा करती। लिहाजा अनइम्प्लायमेंट को हल करने के लिये दोनों को हमें बढ़ाना है और उनका विकास करना है। हमारे मित्रों ने कई तरह की तजवीजें सजेस्ट की हैं और हमको उन पर विचार करने का काफी मौक़ा दिया है। जहां तक इस प्रस्तव का ताल्लुक़ है, प्रस्ताव में ११ प्वाइंट दिये हुये हैं और यह बताया गया है कि इन प्वाइंटों को सामने रख कर के कुटीर उद्योगधन्धों को सरकार अपने हाथ में ले कर उसके विकास के काम में लग जाय। मैं अपने मित्रों की इत्तिला के लिये जरूर कुछ बतलाना चाहता हूं कि जहां तक इस सरकार का ताल्लुक़ है सरकार इससे गाफिल नहीं है। इन ११ प्वाइन्टों में बहुत से ऐसे प्वाइंट हैं जिनके आधार पर सरकार बहुत काफी आगे बढ़ चुकी है और काम कर रही है। पहली बात सजेस्ट की गयी है कि काटेज इंड-स्ट्रीज सेल्स टैक्स से मुस्तसना कर दी जावे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सेल्स टैक्स से मुस्तसना कर दी गई हैं जैसे हैंडलूम की दरियां, नेवाड़, ऊनी कम्बल और कार्पेट जो एक्सपोर्ट भी की जाती हैं और वुडेन कार्विंग, आइवरी और मार्बिल गुड्स, हैंडमेंड सीजर्स और चाकू, मैथेमेटिकल सर्वे इन्स्ट्रूमेंट्स और लखनऊ की चिकन। एक एडहाक कमेटी बिठाई गई है जो तमाम चीजों को एग्जामिन कर रही है। उसकी रिपोर्ट आने पर सरकार उस पर जरूर मुनासिब फैसला करेगी।

दूसरे यह तजवीज की गयी है कि सस्ती बिजली की पावर दी जाय। इस सम्बन्ध में पावर डिपार्टमेंट और डाइरेक्टर आफ काटेज इंडस्ट्रीज को तैनात किया गया है कि वह तमाम कुटीर उद्योगों को देखें और जिन पर बिजली की क़ीमत का ज्यादा बोझ पड़ता हो उसके बारे में अपनी सिफारिश पेश करें। उस पर सरकार विचार करेगी। सरकार यह अवश्य चाहती है कि बिजली का इतना बोझ न पड़े कि कारबार ठीक न चल सके। इसलिये सरकार उस पर पहले ही से अमल कर रही है।

तीसरी बात यह तजवीज की गयी है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पर लेवी लगा दी जाय और वह अपनी आमदनी छोटे उद्योग-धंधों पर सर्फ की जाय। माननीय सदस्यों को विदित है कि १ पैसा फ़ी टैक्सटाइल पर केन्द्रीय सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगाई है और उसकी आमदनी में से लगभग ३७ लाख रुपया केन्द्रीय सरकार ने आप की सरकार को दिया है जो कि हैंडलूम इंडस्ट्री पर खर्च किया जा रहा है, उसके विकास के लिये। हैंडलूम इंडस्ट्री में काफ़ी तेजी के साथ काम किया जा रहा है और जो बुनकर हमारे बेकार हो गये थे उनको पूरी पूरी सहायता दी जा रही है, हैंडलूम के कपड़े पर रिबेट भी दिया जा रहा है और उसको बिक्री के लिये पब्लीसिटी एक मोबाइल वान द्वारा की जा रही है।

चौथी बात यह है कि कच्चा माल बिना इंटरमिडियेरीज के सस्ते दाम पर लोगों को दिया जाय। इसके लिये भी सरकार ने पहले ही से सहकारी समितियां क़ायम की हैं। इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव फ़ैडरेशन के ज़रिये कच्चा माल ख़रीद कर उसके बनाने वालों को दिया जाता है और बीच में जो लोग फ़ायदा उठाते थे वह अब उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं और उनके मुनाफे तक दामों में कमी हो गई है। तो इस तरह से यह काम भी पहले ही से किया जा रहा है। और काटेज वर्कस की कोआपरेटिव सोसायटीज बनाई जा रही हैं और उनको इस तरीके से कच्चा माल इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव फेडरेशन के जरिये से दिया जा रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक मैथमेटीकल सर्वे आफ इंडिया रुड़की में खोली है और इसमें एक लाख दस हजार रुपये के करीब खर्चा होगा जिसमें कुछ गवर्नमेंट आफ इंडिया भी देगी। इस सम्बन्ध में सरकार काफी सहायता कर रही है।

इसके अलावा गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग का भी इन्तजाम किया है और लोगों को उसमें हर तरह से सरकार सहायता पहुंचा रही है और चीप से चीप मेटीरियल उनको देने का सरकार ने इन्तजाम किया है। पांचवें नम्बर पर मार्केटिंग बोर्ड बनाने के लिये तजवीज किया गया है जिसका काम यह होगा कि वह देश में और विदेशों में काटेज इंडस्ट्रीज के सामान की बिक्री का इन्तजाम करेगा। इस सम्बन्ध में मैं यह कह देना चाहता हूं कि आपके सूबे में यू० पी० हेन्डीक्रैफ्ट्स आर्गेनाइजेशन पहले ही से मौजूद है और उसका एक डिवीज़न यह भी है जो फारेन ट्रेड के बारे में काम करता है और एक ट्रेड आफिसर भी मुकर्रर है उनका काम यह है कि वह बाहर विदेशों में काटेज इंडस्ट्रीज की चीजों के लिये मार्केट पैदा करें और वह वहां से आर्डर रिसीव करें और किस तरह के सामान की जरूरत है वह यहां तैयार कराया जाय। इसका भी प्रबन्ध है। ऐसी सूरत में जब कि काफी अर्से से यह संस्था काम कर रही है अब उसकी जगह पर अगर कोई नया बोर्ड बनाया जायगा तो उसको फिर ए० बी० सी० से काम शुरू करना होगा और उसको डेवलप होने में काफी समय लगेगा। जो संस्था इस समय काम कर रही है उसी में यदि कुछ कमियां हैं तो उसमें सुधार करके उसी से काम लिया जाय। इस संबंध में सरकार पहले से ही प्रयत्नशील है।

पब्लिसिटी के बारे में कहा गया है कि इसकी पब्लिसिटी काफी हो और इसकी चीजों के लिये बाहर भेजने के लिये मार्केट होना चाहिये, इसका इन्तजाम किया जाय। इसके सम्बन्ध में मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि यू० पी० हैंडीक्रैफ्ट के जरिये से, ट्रेड आफिसर के जरिये से और मोबाइल वैन के जरिये से बाहर तथा देहातों में काफी प्रचार किया जा रहा है। इसके अलावा हमने शो रूम्स भी खोले हैं और तमाम जिलों में खोले हैं। देहली में खोला है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में खोलने जा रहे हैं। इस तरह से काफी प्रचार किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस जानिब भी आपकी सरकार कभी भी उदासीन नहीं रही और न आगे भी रहेगी।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)—कानपुर में।

श्री हुकुमसिंह—माननीय सदस्य चाहते हैं तो वहां भी खोल दिया जायगा। नम्बर ७ में यह कहा गया है कि छोटी छोटी मशीनें और कच्चा माल लोगों को सस्ते दामों पर दिया जाय जिससे वह मैन्यूफेक्चरिंग वग़ैरह का इन्तजाम आसानी से कर सकें और अपना काम ठीक तरह से चला सकें। माननीय सदस्यों को यह तो भली-भांति मालूम है कि लोन्स एन्ड ग्रान्ट स्कीम आपकी सरकार चला रही है। इस स्कीम के मातहत जो लोग छोटे छोटे उद्योग-धन्धे करते हैं वह दरख्वास्त देते हैं। उसके लिये एक कमेटी कायम

[श्री हुकुमसिंह]

हैं और वह उनकी दरख्वास्तों पर विचार करती है और जो व्यक्तिगत मांगते हैं यानी इंडिविजुअल काम करते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ५,००० रुपया कर्जे के रूप में २, ३ हजार रुपया ग्रान्ट के रूप में दिया जाता है और जो कोआपरेटिव सोसायटीज होती हैं उनको १०,००० रुपया लोन और ६,००० रुपये की ग्रांट देते हैं इसके जरिये से छोटी-छोटी मशीनें खरीद कर, कच्चा माल लेकर अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसी स्कीम सरकार के सामने है, लोग इससे फायदा उठा सकते हैं अगर चाहें। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं और मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि इसमें हमारा तजुर्बा बड़ा तल्ख है। रुपया लेकर के भी लोग ठीक काम नहीं करते हैं, कुछ अवश्य करते हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ठीक काम नहीं करते हैं। इससे यह मालूम होता है कि रुपये पैसे की कमी की वजह से रुकावट नहीं है बल्कि वह स्पिरिट नहीं है लोगों में काम करने की, वर्ना स्कीम आपके सामने है, मौका है और अगर लोग एप्रोच करें तो उनको माली सहायता मिल सकती है और कम सूद पर उनको रुपया मिलता है और इन्सटालमेंट्स में अदा करना पड़ता है। हर तरह की सहूलियत उनको दी जाती है।

शो रूम के बारे में कहा गया। जैसा कि मैंने पहले कहा, शो रूम्स काफी हैं और जैसा कि गुप्ता जी ने कहा, मैं बात करूंगा कि कानपुर में अगर हो जाय तो बहुत अच्छा हो। मैं तो गुप्ता जी की बात इस मामले में हमेशा फायदेमन्द पाता हूं और जैसा कि मैंने कहा, दिल्ली में भी आपका शो रूम खुला है जो काफी अच्छा चल रहा है। अब कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में भी हम खोलने का विचार कर रहे हैं। एक तजवीज इसमें है कि हम फारेन कन्ट्रीज में भी करें। फारेन कंट्रीज में अकेले स्टेट नहीं कर सकती है वह सेंटर के जरिये से हो सकता है। आल इंडिया बोर्ड इस प्रश्न पर विचार कर रहा है और खयाल ऐसा है कि यह भी आशा पूरी हो जायगी।

इंडस्ट्रियल इंस्टीटयूशन्स के लिये कहा गया कि लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाय। मैं कानपुर ही से शुरू करूंगा। हारकोर्ट बटलर टेक्नीलाजिकल इंस्टीटयूट है, टेक्सटाईल इंस्टीटयूट है वहां भी काफी लोग ट्रेनिंग पा रहे हैं। आपके प्रदेश में ५४ टेक्निकल एडेड इंस्टीटयूशन्स हैं जो कि काम कर रहे हैं और ३८ टयूशनल क्लासेज हैं जो गवर्नमेंट चला रही है और उनमें मुख्तलिफ तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। किसी हमारे मित्र ने कहा कि यह चीजें देहात में हों। तो इसमें काफी तादाद ऐसी है जो देहातों में ये टयूशनल क्लासेज चल रहे हैं और इसके साथ साथ १० लाख रुपया अनइम्प्लायमेंट को हल करने के सिलसिले में काम करने के लिये रखा गया है। लखनऊ में भी डालीगंज में एक टेलरिंग स्कूल खोला गया है जिसमें सौ-सवा सौ पढ़े लिखे, एन्ट्रेन्स और एफ० ए० पास लड़के सीख रहे हैं। टेक्निकल इंस्टीटयूट, लखनऊ में भी कुछ वायरमैन का काम और कई तरह का काम सिखाया जा रहा है। गोरखपुर में भी टेक्निकल स्कूल है, झांसी में भी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार इस तरफ भी कदम उठा रही है। यह भले ही मुमकिन हो कि जितने हैं उतने नाकाफी हैं लेकिन फिर भी इस तरफ तवज्जह है सरकार की और जैसे जैसे जरूरत महसूस होती जायगी और पर्याप्त मात्रा में धन मिलता जायगा इसमें भी सरकार काफी इजाफा करेगी ताकि लोगों को काफी मौका सीखने का मिले।

१०वें नम्बर पर इस बात की तजवीज की गयी है कि इस बात का प्रयत्न किया जाय कि माल अच्छी क्वालिटी का बने और उसके लिये रिसर्च इंस्टीटयूट कायम हो, डिजाइन अच्छे अच्छे बनें। तो इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि हमारी क्वालिटी मार्किंग स्कीम भी चल रही है और अलीगढ़ के ताले और आगरे के फुटवीयर की स्कीम भी चलाई गयी और गवर्नमेंट का विचार है कि भदोही के कालीन

के बारे में भी कोई कदम उठाया जाय और जहां तक रिसर्च का ताल्लुक है, हमारे बनारस में एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीटयूट है, उसको गवर्नमेंट आफ इंडिया लेकर के आल इंडिया सेंट्रल इंस्टीटयूट बनाने की बात सोच रही है और मैं समझता हूं कि वह काफी बड़ा इस्टीटयूट हो जायगा। अलावा इसके हमारे, आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्स स्कूल लखनऊ में हमने डिज़ाइनर्स रखे हैं नये नये, जो नये नये डिज़ाइन्स तैयार करते हैं। इस तरह से मैं बताना चाहता हूं अपने मित्र देवकीनन्दन जी को कि सरकार इस तरफ भी पहले से ही कुछ काम कर चुकी है और करने की चेष्टा कर रही है।

११वें नम्बर पर कहा गया है कि जहां तक मुमकिन हो सरकार अपनी जरूरियात को इन्हीं उद्योगों-धंधों की बनी हुई चीजों से पूरी करे तो अच्छा है। सरकार ने पहले ही से आर्डर दे रक्खे हैं कि खादी का इस्तेमाल हो, हैंडलूम के कपड़ों का इस्तेमाल हो, १५ परसेंट प्राइस में भी छूट सरकार ने दे रखी है उद्योग के लिए, लेकिन मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं इसी सम्बन्ध में, कि खाली सरकार की जरूरियात को पूरा करने के लिये जो खरीदारी होगी उससे यह विकास का कार्य पूरा नहीं हो सकता। जब तक कि आम जनता इन चीजों को अपनाने के लिये तैयार नहीं होगी तब तक कुटीर उद्योग धंधों की चीजों की खपत सरकारी जरूरियात से नहीं हो सकती। मैं तो अपने माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि बजाय बाटा के जूते पहिनने के गांवों के चमरौधे जूते पहिनें और वह गांव के जो कारीगर लोग हैं उनके उत्साह को बढ़ायें। हम आप तो बाटा के जूते पहिनें, फ्लेक्स के जूते पहिनें और बड़ी बड़ी फैक्टरियों के बने हुए जूते पहिनें और शिक्षा दें उद्योग की, तो यह अच्छा लगता नहीं है। हमको भी तहैया कर लेना है आज से और जिन महानुभाव ने इस प्रस्ताव का किसी ने विरोध तो किया नहीं---लिहाजा जितने इसके मुआफिक हैं, वह तहैया कर लें कि कल चमरौधा जूता गांव वाला पहिनें, तो मेरी समझ में बात आवे कि आप बड़े अर्नेस्ट हैं और मैं भी दिल लगा कर कोशिश करूं। खाली व्याख्यान से काम नहीं चलेगा और सरकारी जरूरियात को पूरा करने से काम नहीं चलेगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---कुछ आवश्यक काम रचनात्मक होना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह---और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, सस्ता पड़ेगा। तो मैं अर्ज करता हूं कि जहां तक सरकार का ताल्लुक है, सरकार इन सब बातों के, जहां तक इस प्रस्ताव के सिद्धान्त का ताल्लुक है, उससे सहमत हैं। जो ११ प्वाइंट्स हैं उसमें तो करीब करीब ९ से तो जरूर सहमत है---क्योंकि उस पर अमल कर रही है और सरकार की भी यह दिली ख्वाहिश है कि हमारे उद्योग-धंधे जो छोटे छोटे हैं वह बढ़ें, इनका विकास हो, हमारे जो अनएम्पलायड लोग हैं उनको रोजगार मिले, उनको ४ पैसे कमाने का मौका मिले, उससे वह अपनी जीविका बसर करें। यह तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसके खिलाफ कोई राय रखता हो।

लिहाजा मैं इन शब्दों के साथ फिर अपने मित्र के इत्मिनान के लिए दोहरा देना चाहता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव के सिद्धान्त से इत्तफाक रखती है।

श्री राजनारायण---बारहवां प्वाइंट आपने छोड़ दिया। एक संशोधन रखा था माननीय सदस्य कानपुर ने...

श्री हुकुमसिंह---जहां तक इन तरमीमों का ताल्लुक है मैं तो सिद्धान्त का हामी हूं। डिटेल्स पर तो सरकार जब अमल करती है तो जो मुनासिब समझती है करती रहती है।

[श्री हुकुम सिंह]

एक बात मैं अपने मित्र मदनमोहन जी की इत्तला के लिये निवेदन कर दूं। उन्होंने ठीक बताया कि स्पोर्ट्स गुड्स बाहर से आते हैं। हमारे देश में काफी मैटीरियल है। लिहाजा ऐसा कोई उद्योग यहां चलाया जाय तो ज्यादा अच्छा हो और बाहर से इम्पोर्ट भी न करना पड़े। यहां के लोगों को कुछ काम भी मिल जाय। नैनीताल में भी एक स्कूल हम खोलने जा रहे हैं जिसमें खेल का सामान बनाने की तालीम दी जायगी। पहाड़ों में मैटीरियल भी काफी है। और वन विभाग द्वारा शहतूत के बहुत से पेड़ लगाये गये हैं क्योंकि शहतूत का पेड़ ऐसा है जिससे खेल का काफी सामान बनता है और मेरठ में शरणार्थी भाई बहुत से हैं जिन्होंने यह कारखाना खोला है, और सरकार उनको हर प्रकार की मदद दे रही है और देने का इरादा रखती है। तो इस तरह से इस सूबे में खेल के सामान का भी इन्तजाम सरकार कर रही है। तो ऐसी सूरत में मैं समझूंगा कि जो बातें मैंने चन्द शब्दों में माननीय सदस्य की सेवा में कही हैं उनसे यह इत्मीनान जरूर होगा कि सरकार उदासीन नहीं है बल्कि प्रयत्न-शील है। जय हिन्द!

श्री उपाध्यक्ष—संशोधनों के विषय में, उसमें जो माननीय प्रस्तावक ने स्वीकार किया है, उसमें भी कुछ भाषा का भेद बतलाया है और उसको उन्होंने स्वीकृत नहीं किया है और इसमें एक तीसरा पक्ष भी है। गवर्नमेंट की तरफ से संशोधनों की बाबत कुछ कहा नहीं गया है। इसलिये यह उचित होगा कि इन संशोधनों को ही सदन के सामने पहले रख दूं।

प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति २ में शब्द "बेकारी को दूर करने के लिए" के बाद के वाक्यांश के स्थान पर शब्द "प्रदेश के गृह उद्योगों तथा कृषि का पुनः संगठन कर 'एक व्यक्ति एक व्यवसाय' के सिद्धान्तानुसार प्रदेश के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को काम में लगाया जाय" रख दिये जायं तथा संकल्प का शेष भाग (१) से (११) तक निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति २ में शब्द "गृह-उद्योगों" के बाद शब्द "तथा अन्य छोटे-छोटे नागरिक व ग्रामीण उद्योगों को पुरातन व्यवस्थित ढंग पर" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति २ के शब्द "पुनः" तथा शब्द "संगठित" के बीच में शब्द "शीघ्र" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति ३ के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"और यह सब कार्य सहकारिता के आधार पर हो किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गृह-उद्योग वही माना जायगा जहां कोई व्यक्ति अपने स्थान पर अथवा बहुत से व्यक्तियों की सहकारी समिति के स्थान पर ही किसी वस्तु का उत्पादन किया गया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संकल्प के खंड (३) की पंक्ति १ के शब्द "बड़े" तथा शब्द "से" के बीच में के शब्द हटा कर उनके स्थान पर शब्द "उद्योगपतियों के आयकर" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संकल्प के खंड (३) की पंक्ति १ में शब्द "चार्ज" के स्थान पर शब्द "सेस" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संकल्प के खंड (३) की पंक्ति २ में शब्द "लगाया" के स्थान पर शब्द "लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संकल्प के खंड (४) के आरम्भ में शब्द "सहयोग समितियों और प्रामाणिक संस्थाओं के द्वारा" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति २ में शब्द "और" तथा शब्द "उनके" के बीच में शब्द "बड़े-बड़े कारखानों और मशीनों के प्रयोग से हमारे प्रदेश की जो प्राचीन कारीगरी समाप्त हो गई है" रख दिये जायं और शब्द "उसके" और शब्द "लिये" के बीच में शब्द "पुनर्जीवन के" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संकल्प में जहां जहां शब्द "गृह उद्योगों" आया है उसके आगे शब्द "छोटे" बढ़ा दिया जाय तथा खंड (५) के अन्त का "पूर्ण विराम" हटा कर निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"एवं मार्केटिंग बोर्ड द्वारा स्टैंडर्ड (Standard) माल तैयार कराया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संकल्प के खंड (६) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

"और इस माल की खपत करने के लिये सभी सरकारी अथवा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को आदेश दिया जाय कि वह गृह-उद्योग द्वारा बनी हुई वस्तुयें ही काम में लायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संकल्प के खंड (६) के बाद निम्नलिखित नया खंड (६-क) बढ़ा दिया जाय :--

"(६--क) भारत से बाहर भिन्न-भिन्न देशों में कमीशन भेजे जाँय जो उन देशों में प्रचलित गृह-उद्योग धंधों का अध्ययन करें। जो उद्योग-धन्धे उत्तर प्रदेश में व्यवहृत होने के योग्य हों, उनकी रिपोर्ट सरकार को दें और सरकार उनको इस प्रदेश के उचित स्थानों में प्रचलित करने की व्यवस्था करें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संकल्प के खंड (११) के बाद खंड (१२) निम्नरूप में जोड़ दिया जाय—

"(१२) जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उद्योगों में खास-खास उद्योग चुन लिये जायं जो गृह-उद्योगों के रूप में ही चलाये जायंगे और उनको यंत्रोद्योगों की प्रतिस्पर्द्धा से संरक्षण दिया जायगा अर्थात् ऐसे गृह-उद्योगों के क्षेत्र के लिये तय की हुई वस्तु यंत्रोद्योग के जरिये न बनने दी जाय।

उपरोक्त सब बातों पर विचार करने और प्रादेशिक सरकार से सिफारिश करने के लिये विशेषज्ञों की एक कमेटी नियुक्त की जानी चाहिये जो तीन मास में अपनी रिपोर्ट दे देगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संकल्प के खंड (११) के बाद निम्नलिखित नये खंड जोड़ दिये जायं—

"(१२) प्रत्येक गृह-उद्योगों के लिये पर्याप्त मात्रा में सहायता तथा तकावी दी जाय,

(१३) गृह-उद्योगों के कार्य की जांच-पड़ताल तथा प्रोत्साहन के लिये सरकार विशेष प्रबन्ध करे,

(१४) प्रत्येक जिले में उद्योगों की हर प्रकार से उन्नति, कच्चे माल की उपलब्धि और बने हुए सामान की बिक्री तथा किस स्थान पर कौन सा उद्योग सफल हो सकता है आदि कार्य के लिये व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाय जिसमें उद्योगों के अनुभवी सरकारी कर्मचारी १, उद्योगों को करने वाले ३, जिलाधीश, एम० एल० ए० ३ होंगे,

(१५) गृह-उद्योगों को करने वालों को उनके बनाये सामान की बिक्री कर से मुक्ति सरकार द्वारा हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय —

"गृह उद्योगों का पुनः संगठन तथा बेकारी को दूर करने में प्रदेश द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगने वाली पूंजी का चतुर्थांश व्यय किया जाय"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं इस सम्पूर्ण प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं जिसमें यह सब संशोधन जोड़ दिये गये हैं जो यहां पर स्वीकृत किये गये हैं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेशीय विधान सभा के इस सदन का यह निश्चित मत है कि इस प्रदेश में बढ़ती हुई बेकारी को दूर करने के लिये गृह और छोटे उद्योगों को शीघ्र पुनः संगठित किया जाय और उनके लिये निम्न ग्यारह सूत्री कार्यक्रम अपनाया जाय —

(१) गृह और छोटे उद्योगों पर से सेल्स टैक्स हटा दिया जाय।

(२) गृह और छोटे उद्योगों के लिये सस्ती बिजली उपलब्ध की जाय और उस पर से लगने वाले सर चार्ज को हटा दिया जाय।

(३) गृह और छोटे उद्योगों को संरक्षण देने के लिये बड़े उद्योगों पर सेस लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की जाय और उससे जो धन प्राप्त हो वह गृह-उद्योगों के संरक्षण में लगाया जाय।

संकल्प के खंड (३) के बाद उपखंड (क) निम्नरूप में जोड़ दिय जाय:--

"(क) जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उद्योगों में खास-खास उद्योग चुन लिये जायं जो गृह-उद्योगों के रूप में ही चलाये जायेंगे और उनको यंत्रोद्योगों की प्रतिस्पर्द्धा के संरक्षण में दिया जायगा।"

उपरोक्त सब बातों पर विचार करने और प्रादेशिक सरकार से सिफारिश करने के लिये विशेषज्ञों की एक कमेटी नियुक्त की जानी चाहिये जो तीन मास में अपनी रिपोर्ट दे देगी।"

(४) गृह और छोटे उद्योगों के लिये उचित मूल्य पर कच्चा माल उपलब्ध किया जाय और उसे कारीगरों के बिना मध्यवर्गीय लाभके लिये किये जाने की व्यवस्था की जाय।

(५) गृह और छोटे उद्योगों से उत्पादित माल के वितरण और विक्रय के लिये मार्केटिंग बोर्ड बनाया जाय और उसके लिये भीतरी और बाहरी बाजारों को संगठित किया जाय एवं स्टैंडर्ड माल तैयार कराया जाय।

(६) विदेशों में गृह और छोटे उद्योगों की वस्तुओं के प्रचार और मांग को संगठित किया जाय और केवल अच्छी क्वालिटी के माल को भेजा जाय जिससे वहां इनकी खपत और इनकी ख्याति बढ़े।

(क) भारत के बाहर भिन्न भिन्न देशों में कमीशन भेजे जायं जो उन देशों में प्रचलित गृह-उद्योग धंधों का अध्ययन करें जो उद्योग धन्धे उत्तर प्रदेश में व्यवहृत होने के योग्य हों उनकी रिपोर्ट सरकार को दें और सरकार उनको इस प्रदेश में प्रचलित करने की व्यवस्था करे।

(७) गृह और छोटे उद्योगों के लिये छोटी छोटी मशीनों तथा कच्चा माल कम ब्याज की किस्तों पर दिया जाय।

(८) विदेशों के मुख्य-मुख्य शहरों में गृह और छोटे-उद्योगों की चीजों के लिये प्रदर्शनालय खोले जायं।

(९) मुख्य-मुख्य गृह-उद्योगों के केन्द्रों में तत्सम्बन्धी शिक्षणालय खोले जायं जहां नवयुवकों को उस कार्य की व्यावहारिक शिक्षा दी जाय।

(१०) गृह तथा छोटे उद्योगों के माल तथा डिजाइन को सुधारने के लिये प्रयत्न किये जायं और उसके लिये प्रयोगशालाएं खोली जायं।

(११) सरकारी आवश्यकताओं की पूर्ति जहां तक सम्भव हो गृह तथा छोटे उद्योगों की चीजें खरीद कर ही की जायं। गृह तथा छोटे उद्योगों को पुनः संगठित तथा बेकारी दूर करने में प्रदेश द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कुल व्यय का २५ प्रतिशत व्यय करे"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४

श्री रामसुमेर (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से....

श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विधेयक प्रस्तुत हो रहा है लगभग इसी प्रकार का विधेयक यहां सदन में पहले आ चुका है और उस पर यहां आशा से अधिक वादविवाद हो चुका है तो मैं समझता हूं कि इसके लिये कम से कम समय निश्चित कर दिया जाय। क्योंकि इसके लिये अधिक समय की आवश्यकता नहीं है तथा आगे और भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने वाले हैं इसलिये इस पर कम से कम समय लिया जाय तो उचित होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—श्रीमान् जी, यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है इसलिये इसके सम्बन्ध में कोई समय निश्चित न किया जाय। माननीय रणंजय सिंह जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है मैं उसका विरोध करता हूं। आम तौर पर ऐसे विधेयकों के लिये समय निश्चित भी नहीं होता। मेरा खयाल है कि इस सदन में ऐसा कोई विधेयक भी पास नहीं हुआ। और सिलसिलों में इस विषय पर चर्चा हुआ ही करती है इसलिये इसके यह तो मानी नहीं हैं कि इस पर व्यापक रूप से चर्चा न हो। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैं श्री रणंजयसिंह जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता नहीं है कि कोई इस प्रकार का विधेयक पहले कभी यहां पर पेश किया गया हो। मैं नहीं कह सकता कि माननीय रणंजय सिंह जी ने किस प्रकार से कह दिया। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और माननीय रणंजय सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें।

श्री रणंजयसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा नहीं हुआ था। मेरा अभिप्राय तो यह था कि इसके आगे और भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव आये हैं अगर इस पर थोड़ा समय लिया जाय तो अच्छा हो। आज कल मैं देख रहा हूं कि गो माता के नाम पर एक खेल खेला जा रहा है और वास्तविकता को अंधेरे में रक्खा जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो माननीय सदस्यों के समझने की बात है कि वे कितना समय लेते हैं।

श्री रामसुमेर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४, को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुमेर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ३३६–३३७ पर)

*श्री रामसुमेर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो मैं भवन में उपस्थित कर रहा हूं यह विशेष रूप से इस प्रदेश की १/५ भाग पर प्रभाव डालेगा और साधारणरूप से पूरे प्रदेश पर संभवतः जैसा कि हमें ज्ञात है हमारे प्रदेश में हरिजनों की आबादी १/५ है, यह विधेयक उन्हीं की सेवाओं के संबंध में है। इसके संबंध में संविधान की धारायें इस प्रकार हैः--

"335. The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State.

16 (4) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

श्रीमन्, यह विधेयक जैसा कि यहाँ उपस्थित किया गया है इस प्रकार से हमारी सरकार ने और भारतवर्ष की और सरकारों ने एक स्टैंडिंग आर्डर निकाला था जो श्रीकान्त जी ने अपनी प्रथम रिपोर्ट के एपेंडिक्स में स्पष्ट रूप से मेंशन किया है। उस एपेंडिक्स में प्रत्येक प्रदेश को सर्विसेज के बारे में सीट्स का रिजर्वेशन किया गया है और हमारी सरकार ने कुछ दिन पूर्व १० परसेंट रिजर्वेशन रखा था जिसको बाद में १८ परसेंट कर दिया है। सन् ४७ के बाद जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे प्रदेश में इस प्रकार की आज्ञा निकाली गयी थी लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक इन सब चीजों के बावजूद किसी भी विभाग में हरिजनों का निर्धारित कोटा पूर्ण नहीं किया गया है। इसका कारण कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार से और ऐसी बहुत सी चीजें हुईं जिनके बारे में आर्डर हमारे ज्यों के त्यों रह गये और एक को भी कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया। एक मिसाल मुझे मालूम है कि फैजाबाद के डी० एस० ओ० ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे पास स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट का कोई आर्डर रिजर्वेशन का नहीं आता है। इसलिये इस बिल की बहुत बड़ी जरूरत पड़ गयी कि इसको पेश किया जाय। इस बिल के बारे में श्रीमन्, मुझे कोई विशेष बात तो नहीं कहनी है लेकिन जहां तक हरिजन इंटरेस्ट का प्रश्न है, हरिजनों के बारे में यह एक बहुत बड़ी चीज होगी यदि हम इस बिल पर विचार करते हैं तो इस प्रदेश के इतिहास में एक नवीन पन्ना जोड़ेंगे और इस नवीन पन्ने को जोड़ कर मैं तो यह कहूंगा कि जिस कार्य को बहुत दिन पहले गौतम बुद्ध ने प्रारम्भ किया था और उसके बाद फिर महात्मा गांधी ने प्रारम्भ किया था हम उसी इतिहास को फिर रिपीट कर रहे हैं। लेकिन श्रीमन् इन सब चीजों के ऊपर भी बहुत से सवाल किये जाते हैं कि और कहा यह जाता है कि कानून बनाने से क्या होगा। जब कभी भी इस प्रकार की बात होती है तो मुझे बहुत अफसोस होता है। अफसोस यों होता है कि कानून जिसकी सैंकटिटी बहुत कुछ है उसके लिये कहा जाय कि कानून से कुछ नहीं होगा, तो कानून के अलावा और कौन सी ऐसी चीज होगी जिससे यह रिजर्वेशन पूरा होगा। जब कानून पर ही विश्वास नहीं किया जायगा तो ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है कि जो हमारे लिये सीट्स का रिजर्वेशन किया गया है वह पूरी हो सके। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यही एक जरिया हो सकता है जिससे कि हम एक प्राचीन चीज जिसके लिये गांधी जी ने स्पष्ट लिखा है कि हमें हर प्रकार से अछूतपन को नष्ट करना होगा। मैं समझता हूं कि उसके लिये यह एक बहुत बड़ा कदम होगा और संभवतः हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी के दर्शन में तीन तरीके स्पष्ट रूप से दिखलाये गये थे। पहली बात तो श्रीमन् यह कि नानकोआपरेशन, तो संभवतः इसके अन्दर फारेन रूल को दूर कर फेंकने की भावना थी, दूसरे काटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की बात थी, यहां संभवतः इकनामिक कंडीशन को ठीक करने से मतलब था और तीसरे में अनटचेबिलिटी को एबालिश करने की भावना थी। उसमें

[श्री रामसुमेर]

स्पष्ट रूप से यह भावना थी कि जीवन के हर क्षेत्र में कोई भी अछूत नहीं होगा और उसी भावना से जो हमारे संविधान की आर्टिकल १७ है वह इस प्रकार से है--

"Untouchability" is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of "Untouchability" shall be an offence punishable in accordance with law.

श्रीमन्, मैं इस "Shall be an offence" पर ज्यादा जोर इसलिये दे रहा हूं कि यहां जो जाति पांति की भावना है वह सर्विसेज में भी है और उसकी तरफ यह इशारा है। इस प्रकार से यह चीज होती तो इसका परिणाम होता लेकिन इस प्रकार का आर्डर हमारी सरकार ने कुछ नहीं दिया है। नतीजा उसका यह है कि जो रिजर्वेशन के लिये आर्डर हुआ था, जो उसके लिये आर्डर निकाला गया था उसको हमारे अफसरों ने बिलकुल हीं नहीं माना है। इसका नतीजा यह हुआ कि जो हमारे लिये रिजर्वेशन किया गया था वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। मैं तो यहां तक कहूंगा और इस विश्वास के साथ कहूंगा कि सरकार इस चीज की खोज करे कि सन् ४७ से १० परसेंट से १८ परसेंट तो रिजर्वेशन हो गया लेकिन क्या किसी विभाग में वह पूर्ण है? अगर पूर्ण नहीं है तो क्या कारण है कि वह पूर्ण नहीं है। उस का साफ कारण यह है कि संविधान की जो स्पिरिट है उसकी जो भावना है कि अनटचेबिलटी को दूर किया जाय और जो जन सेवा की बात है वह अभी तक यहां नहीं आई है। जहां तक सेवा का संबंध है यह 'सेवा' हमारा बहुत प्राचीन टर्म है और हमारी जाति व्यवस्था के अनुसार भी यह हमारा धर्म रहा है और हम जानते हैं कि 'सेवा' के कारण ही शूद्र को क्षुद्र कहा गया था और सेवा करना हमारा प्रथम धर्म बताया गया था। मुझे उस सेवा के लिये आज यह बिल लाते हुये अफसोस होता है, सेवा जो कि हमारी परम्परा में थी और आज हम उसी सेवा के लिये कानून के हिसाब से सेन्कटिटी चाहते हैं। प्राचीन धर्म के हिसाब से वह हमारा हक था लेकिन अब इस कानून के हिसाब से सर्विसेज के बारे में ऐसे एक्ट का बनना हम बहुत आवश्यक समझते हैं। जहां तक इसकी और चीजों के बारे में है इस बिल में कोई विरोध की बात नहीं है और न तो कोई ऐसी बात है कि मैंने इसमें कोई नई बात जोड़ी है। जो बात सरकार कहती रहती है और माननीय मुख्य मंत्री जी बार-बार कहते हैं उसी चीज को मैं ऐक्ट के रूप में देखना चाहता हूं और इसका भी कारण है, और वह कारण एक ही है कि आजकल यहां से जो आर्डर जाते हैं वह पूर्ण नहीं होते, क्यों वह पूर्ण नहीं होते? इस का कारण यह है कि पूरा न करने में कोई सजा नहीं है। अगर इस तरह का ऐक्ट बन जाता है कि सजा जरूर होगी और जब सजा होगी तो हमारी सब बातें पूरी होंगी, और फिर बाद में हमें यह कहने की गुंजाइश न होगी कि हमारी मांग पूरी नहीं होती है। यह बहुत ही साधारण सा तर्क है। जहां तक एफिशियेंसी की बात है, तो संविधान में जो एफिशियेंसी शब्द है उस के ही नाम पर उनके तमाम हक छीने जाते हैं जिस से एफिशियेंसी के बारे में तमाम उलझन पैदा हो गई है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैंने हिन्दुस्तान के तमाम ग्रामों में भ्रमण किया है और जहां-जहां मैंने दौरा किया है वहां मेरी अनेक हरिजनों से भेंट हुई है और मैं यह मानता हूं कि बहुत मानों में हरिजन दूसरे लोगों से ज्यादा एबिल हैं यह मेरे पास एक किताब है 'बापू और हरिजन' इसके पेज १०८ पर जो लिखा है वह इस तरह से लिखा है कि गांधी जी ने कहा था कि 'हिन्दुस्तान के बहुत से हिस्सों में मैंने ऐसे बहुत से अछूत देखे हैं जो छूत भाइयों से बुद्धि या नीति में जरा भी हलके नहीं हैं।' मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो कहा जाता है कि उनमें लोग एफिशियेंट नहीं मिलते यह ठीक नहीं है। महात्मा गांधी ने कई बार कहा है कि उनमें एफिशियेंसी है और बहुत ही प्राचीन काल के यदि हम उस युग को याद करें तो प्रथम संस्कृत का कवि जो आदि कवि कहलाता है बाल्मीकि, वह हरिजन ही था और युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा नहीं हुआ जब तक शपच अछूत ने घंटा नहीं बजाया। लेकिन आज कहा जाता है कि चूंकि उनमें एफिशियेंसी नहीं है इसलिये वह नहीं लिये जाते। मैं आप को उन के बारे में बताऊं कि सरकार की तरफ से जो फिगर निकले हैं कि कितने हरिजन

मुख्तलिफ परीक्षाओं में बैठे। इस पत्रिका के पेज ८ पर जो टेबिल दिया है उसके अनुसार सन् ४९–५० में एक लाख ९३ हजार ४८७ लड़के बैठे, ५०–५१ में २,१७,४८२ और ५१–५२ में ३,८५,४२० विद्यार्थी बैठे। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह लड़के जो इतनी बड़ी तादाद में बैठते हैं वह एफिशियेन्ट नहीं होते और वह सब इनएफिशियेंट ही होते हैं? अगर ऐसी बात है तो सरकार का जो रुपया उन पर व्यय हो रहा है वह सब बेकार जा रहा है। मैं कहूंगा कि या तो वह विभाग जो यह सब कार्य उन के लिये कर रहे हैं वह ठीक काम नहीं करते या यह फिगर जो मैंने पढ़ी वह गलत है। मेरा ख्याल है कि उन में से कम से कम ८० फीसदी तो एफिशियेंट जरूर होंगे और अगर हैं तो कोई वजह नहीं है कि हमारा परसेंटेज सर्विसेज में पूरा न हो।

हमारा रिजर्वेशन पूरा नहीं होता है और हमारे यहां जो क्लास की भावना है उसके हम पक्षपाती हैं यह इससे स्पष्ट झलक रहा है और ऐसी झलक आ रही है कि महात्मा जी ने जहां से आरम्भ किया था उसी को यह सरकार जिसको कांग्रेस की सरकार कहा जाता है ठुकराती जा रही है। मैं जब हाउस में आता हूं तो ऐसा मालूम होता है कि महात्मा जी का जो चित्र है उसमें जो उनके हाथ में पत्र है वह साफ कहता है कि अछूतों के हकों को मारा जा रहा है। महात्मा जी की आत्मा अगर सरकार द्वारा दिये गये आज्ञाओं के पत्रों को देखती होती तो यह कहती होगी कि हरिजनों के हकों का हनन किया जा रहा है। इसलिये अगर हम चाहते हैं कि हरिजनों के हकों की रक्षा की जाय तो जो विधेयक हमने उपस्थित किया है उसके शब्द शब्द का समर्थन करें।

अब श्रीमन्, माननीय सदस्यों के पास बिल की प्रति नहीं है इसलिये जिस्ट रूप में उनको थोड़ी सी बातें बता देना चाहता हूं।

पहली बात जो रखी गयी है वह यह है कि सर्विसेज में हमारी सीट्स २० प्रतिशत होंगी। हमारी सरकार ने १८ फीसदी का रिजर्वेशन किया है लेकिन यह १८ फीसदी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अगर नई सेंसस रिपोर्ट को देखा जाय और इसके पूर्व की सेंसस रिपोर्ट को भी देखा जाय तो मैं विश्वासपूर्वक कहूंगा कि हमारी पापुलेशन को कम किया गया है और इस वास्ते जो १८ फीसदी का कलकुलेशन है वह भी गलत है। हमारी सीट्स २० प्रतिशत क्यों हो उसके कारण को मैं संदर्भ रूप में बताना चाहता हूं। मैं इस कलकुलेशन को १८ फीसदी वाले को गलत इस कारण से बता रहा हूं कि यह बिलकुल माना हुआ तथ्य है कि अमीरों की बनिस्बत गरीबों की तादाद बढ़ती है। बच्चे गरीबों के यहां ज्यादा पैदा होते हैं लेकिन जब सेन्सस रिपोर्ट को देखते हैं तो अमीरों की तादाद बढ़ती है जब गरीबों की तादाद कम हो गई है। इसलिये जो नेचर का सिद्धांत है उसी को दृष्टि में रखते हुये हमारी पापुलेशन कम आंकी गयी है। और जब पापुलेशन कम लिखी गई है तो फिर उसी हिसाब से रिजर्वेशन कम हो गया है। अगर अपने हिसाब से मैं २० फीसदी के हिसाब से ही देखूं तो सन्दर्भ रूप में मैं कह सकता हूं कि इस हाउस में सदस्यों का स्थान ८० के बजाय ११३ हो जाता है और उसी प्रकार १८ फीसदी से २० फीसदी ही हमारा स्थान सर्विसेज में हो जाता है। इसके अतिरिक्त हमने एक विशेष बात रखी है कि जो ऐप्वाइन्टमेंट वगैरह होते हैं, कम्पेटीशंस होते हैं वह भी हरिजनों के रिजर्व स्थानों में हरिजनों में से ही हों, जैसे अगर १० स्थान हरिजनों के रिजर्व हैं, और २५ स्थान और हैं तो कुल ३५ स्थान हैं। तो यह है कि, अगर कम्पेटीशन हो तो हमारा कहना यह है कि जितने शिड्यूल्ड कास्ट्स हों उनमें ही उन १० सीट्स के लिये कम्पेटीशन हो जाय न कि कम्पेटीशन कुल ३५ को मिलाकर करें। मेरा मतलब यही है कि जो रिजर्वेशन रखा गया है उसकी पूर्ति हो जाय और और जब वह हो जायगा तो हमारी दिक्कतें भी हल हो जायेंगी।

तीसरी बात यह है कि जनवरी सन् १९५४ में जितने भी आदमी हरिजन गवर्नमेंट की सर्विसेज में थे और उनका एक साल तक काम सैटिसफैक्ट्री रहा और उस सर्विसेज की तमाम योग्यताओं में वह क्वालिफाइड हैं तो उनको बगैर किसी इम्तहान के कंफर्म कर दिया जाय। जब कोई कम्पेटीशन होता है तो हरिजन होने के बावजूद और रिजर्वेशन होने के बावजूद भी

[श्री रामसुमेर]

आठ-आठ साल से लोग टेम्पोरेरी चल रहे हैं और होता क्या है? कहीं इम्तहान होने के बाद फेल हो जाते हैं और कहीं कुछ हो जाता है। तो अगर रिजर्वेशन को कार्य रूप में लाना है तो फिर उस आदमी को वहां स्थायी कर देना चाहिये। इससे दो फायदे होंगे। एक तो वह अपने हक से वंचित नहीं होगा और सरकार की भी बचत हो जायगी और उसको उस स्थान के लिये इम्तहान कराने में रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। हमारी भी दिक्कतें दूर हो जायगी और सरकार को भी असानी हो जायगी लेकिन मैंने इसमें यह नहीं रखा है कि इस प्रकार से जब हम विशेष प्राविजन रख रहे हैं, जब हम अपने हक की मांग कर रहे हैं तो उसी समय दूसरों के हक को लेने के लिये हम तैयार नहीं हैं। इसमें मैंने स्पष्ट वर्णन कर दिया है कि इस तरह से कंपीटीशन वगैरह से या और तरह से जो रिजर्वेशन होगा वह किसी विभाग में २० फीसदी से ज्यादा न होगा। हम हमेशा से इसको अलग कर देते हैं और करते रहेंगे ? जहां हम अपने हक के लिये लड़ रहे हैं वहां हम दूसरे के हक पर कब्जा नहीं जमाना चाहते और इसीलिये मैंने यह स्पष्ट कर दिया है। जहां हमने २० फीसदी की डिमांड की है वहां हमने किसी और के हक के बारे में कुछ नहीं कहा। इसके अलावा यह बात भी है कि इसमें दंड की व्यवस्था की गई है। जब कोई ऐक्ट बनेगा तो उसमें दंड होना आवश्यक है क्योंकि यह वह चीज है कि जिसके बगैर काम चलता नहीं। आज इतनी सहूलियत होने के बावजूद भी जब कि सन् ६० में हमारी सब सहूलियतें समाप्त हो जायंगी, किसी बात की पूर्ति नहीं हुई है। इसके कारण एक डर रहेगा और आफिसर्स लोग या दूसरे अधिकारी पूर्ण रूप से काम करेंगे। यह इसकी मोटी-मोटी बातें हैं और इसको मैंने चार अध्यायों में समाप्त किया है। इस प्रकार से श्रीमन्, इस विधेयक को देखते हुये और आज कल की जो हमारे हरिजनों की दशा है उस पर विचार करते हुये और देश में एफीशियेंट आदमियों की, सेवा करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता को देखते हुये श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को पास होना चाहिये। सेवा तो हमारी पैतृक संपति है, सेवा तो हमारा मूल धर्म है और जिसे हमने कभी नहीं छोड़ा है। सभी वर्ण अपने धर्म से कुछ न कुछ डिगे हैं लेकिन हम आज भी अपने धर्म पर स्थायी रूप से खड़े हैं। तो सेवा तो हमारी एक बहुत बड़ी चीज है जो कि हमारे अन्दर नेचुरल तरीके से मौजूद है। उसके लिये कुछ अधिकार मांगने के के लिये हमने एक ऐक्ट की आवश्यकता समझी, एक कानून की आवश्यकता समझी और इसकी पूर्ति के लिये इस ऐक्ट को हम आपके संमुख उपस्थित करना चाहते हैं।

इसके अलावा आज हमारे देश को हमारी जरूरत है। हम भी अपना फर्ज अपने देश के प्रति अदा करना चाहते हैं और अपना कर्तव्य देश के प्रति पालन करना चाहते हैं लेकिन अगर हमें अपना कर्तव्य पालन करने का मौका नहीं दिया जाता, अगर हमें कोई अपरचुनिटी नहीं मिलती तो श्रीमन्, यह हमारे लिये बहुत ही असंभव हो जायगा। हम देश को दिखा देना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर डाक्टर अम्बेदकर जैसे ला मिनिस्टर हो सकते हैं तो क्या वजह है कि हम में ऐसे ही दूसरे एफीशियेंट आदमी नहीं पैदा हो सकते ? गांधी जी ने भी इसको माना है और इसलिये ऐसा हो सकता है। इसलिये श्रीमन्, एफीशियेंसी और दूसरी बातों का विचार करते हुये इस ऐक्ट में चार साधारण बातें हैं हमारे देश के गरीबों और हरिजनों के लिये जो अपंग रहे हैं और इस हिसाब से यह विधेयक बहुत ही अहमियत रखता है और इसको पास करने से देश में एक अजीब लहर पैदा हो जायगी और समाज में और अफसरों में एक अजीब लहर पैदा हो जायगी और हमारी मांग अच्छी तरह से पूरी हो सकेगी। इसके अलावा संविधान की जो स्प्रिट है उसके हिसाब से हमारा कार्य होगा। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि यह भवन इस विधेयक पर सद्भावना पूर्वक विचार करेगा और इसको पास करेगा।

*श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव संशोधन के रूप में प्रस्तुत करता हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

"उक्त विधेयक एक प्रवर समिति को विचार के हेतु निर्दिष्ट कर दिया जाय"

उपाध्यक्ष महोदय, साधारण रूप से मेरे लिये उचित भी नहीं था कि मैं यह संशोधन भवन के सामने प्रस्तुत करता। लेकिन जो विधेयक हमारे मित्र ने प्रस्तुत किया है उसको देखने के बाद यह मालूम होता है कि इस विधेयक में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसके लिये मैं संदेह करता हूं कि वह कार्य रूप में परिणत हो सकेगा या नहीं। अगर विधेयक जिस रूप में इस समय है उसी रूप में पास कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि भविष्य में जाकर बहुत सी कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। यह कठिनाइयां क्या हैं इसके लिये मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पूर्व मैं यह बतला देना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमारे मित्र ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है वह बहुत उचित है और मैं तो समझता हूं कि जो रास्ता अपनाया है वह उचित ही नहीं बल्कि एक वैधानिक रास्ता है। सरकार की घोषणा हो चुकी है, जितनी राजनीतिक पार्टीज हैं उनकी घोषणा हो चुकी है कि देश में जाति वर्गहीन समाज की स्थापना की जाय। यह शुभ दिन कब आयगा जिसके लिये हमारे देश की जनता बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही है। मैं समझता हूं कि आज देश में जो पिछड़ा वर्ग हो या शेड्यूल कास्ट हो, मैं समझता हूं कि बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हमारा देश जातियों के वर्ग में बंटा हुआ है। वास्तव में हम लोग वह स्वप्न देखते हैं जब कि हमारे देश में न तो कोई पिछड़ा वर्ग होगा, न कोई और निम्नवर्ग होगा बल्कि भारतवर्ष में एक जाति होगी। मैं तो यह भी कह देना चाहता हूं कि वह जाति हमारे भारतवर्ष में न मुसलमान जाति हो, न हिन्दू हो बल्कि वह एक भारतीय जाति होनी चाहिये। वह जाति जो कि हमारे देश में एक ही होगी और जो सरकार का उद्देश्य भी मालूम पड़ता है, उसकी पूर्ति कैसे हो सकती है। इसमें कोई सन्देह नहीं जैसा हमारे मित्र ने प्रकाश डाला कि वास्तव में सरकार ने जो संरक्षण शेड्यूल कास्ट का किया है वह उचित है। लेकिन सरकार की जो नीति है वह वास्तविक रूप में कार्य रूप में परिणत नहीं हो रही है। यह ठीक है कि कभी-कभी सरकार के सामने जो शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार हुआ करते हैं वह योग्यता के आधार पर नियुक्त नहीं किये जाते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि काफी संख्या, जिस संख्या में सरकार चाहती है कि शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार लिये जायं तो वह नहीं मिल पाते। यह तो ठीक है लेकिन फिर भी हम लोगों के ज्ञान में यह है कि कभी-कभी सरकारी कर्मचारियों की तरफ से बेरुखाई का रुख धारण किया जाता है। मैं इस सम्बन्ध में भवन के सामने एक उदाहरण उपस्थित कर देना चाहता हूं कि कृषि विभाग में एक हरिजन उम्मीदवार, मैं नहीं समझता कि वह हरिजन था या बैकवार्ड क्लास का था, वह उदाहरण कल हम लोगों के सामने आया। हमारे डाइरेक्टर महोदय ने उसका इन्टरव्यू करते हुए एग्रीकल्चरल आफिसर को यह लिख दिया कि इस अमुक कैंडिडेट का इन्टरव्यू मैंने कर लिया है और उसको मैं ठीक पाता हूं, इसकी नियुक्ति कर दी जाय। लेकिन जब यह आफिसर के सामने जाता है तो वह उसको डी० पी० ओ० के पास भेज देते हैं और बहुत से अड़ंगे लग जाते हैं। बाद में वह उम्मीदवार डाइरेक्टर महोदय के सामने आता है और उनसे प्रार्थना करता है कि इस तरह की कठिनाई है और एग्रीकल्चरल आफिसर किसी दूसरे में दिलचस्पी रख रहे हैं और उसी को लेने के लिये तैयार हैं। खैर डाइरेक्टर महोदय एक बड़े अधिकारी होते हैं, उनकी समझ अधिक होती है अपेक्षा उनके जो उनके मातहत काम करते हैं। उन्होंने जिले के कर्मचारी को लिखा कि जो आदेश मैंने दिया था उस सम्बन्ध में क्या हुआ और उसकी नियुक्ति क्यों नहीं की गई? तो ऐसी बातें आ जाती हैं जब कि कर्मचारियों की तरफ से ऐसे अड़ंगे लगाये जाते हैं। मेरे यह ज्ञान में है कि अगर इसके सिलसिले में सरकार की तरफ से खास तौर से आदेश नहीं होते हैं तो बराबर अड़ंगे लगाये जाते हैं। मैं तो समझता हूं कि आज हमारे भवन में यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, इसके लाने की आवश्यकता ही नहीं होती अगर ऐसा न होता। इसकी आवश्यकता हमारे

[श्री वीरेन्द्र पति यादव]

हरिजन भाइयों को केवल इसीलिए हुई कि वह समझते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की तरफ से आदेशों का उल्लंघन किया जाता है। इस सम्बन्ध में मैं यह कह देना चाहता हूं जैसा मैंने अभी कहा, यह वर्गविहीन और वर्णविहीन समाज की स्थापना तभी हो सकती है जब कि संविधान की मंशा की पूर्ति हो। संविधान की मंशा तो यह है कि जितनी जातियां हैं, वह एक समानता के स्तर पर लायी जायं। अगर नहीं लायी जाती हैं तो कभी वह दिन नहीं आयेगा जब कि यह पिछड़ेपन की समस्या हल हो सकेगी। इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि मुझे यह आवश्यकता क्यों हुई कि इस बिल को प्रवर समिति के समक्ष भेजने का प्रस्ताव मैं करूं। यह जो विधेयक हमारे मित्रों ने रखा है, इसकी ड्राफ्टिंग जैसी की गई है, उसमें मैं समझता हूं काफी खामियां हैं। जैसा कि इस विधेयक का नाम दिया गया है, उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण विधेयक, मैं समझता हूं संरक्षण तो हरिजनों का होता ही है और होना भी चाहिए और यह भी मांग उनकी ठीक है कि १८ प्रतिशत या २० प्रतिशत रिजर्वेशन कर दिया जाय लेकिन यहां संरक्षण का प्रश्न नहीं है। जो कुछ प्रश्न है वह उचित संरक्षण का है। उचित संरक्षण, जो कि संविधान की रूह है, उसकी मंशा है, उसकी पूर्ति नहीं होती तो अच्छा होता इसमें यह शब्द उचित बढ़ाया जाता। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह विधेयक जो है, बड़ा क्रान्तिकारी विधेयक है और इसका प्रभाव अच्छा पड़े या खराब पड़े, इसका प्रभाव सरकारी कर्मचारियों के ऊपर बड़ा व्यापक होगा। लेकिन इस विधेयक में मुझे बड़ी कठिनाइयां मालूम पड़ती हैं और मैं नहीं समझता कि उनका फल भविष्य में क्या होगा। उदाहरण के रूप में जैसा हमारे मित्र ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी की तरफ से हरिजन जातियों का संरक्षण जो १८ प्रतिशत है, वह पूरा नहीं किया जाता है तो यह समझा जायगा कि उन्होंने कोई स्पेशल जुर्म किया है जो कि इस विधेयक के अन्तर्गत आता है। सरकारी कर्मचारियों से जब पूछा जायगा कि यह २० प्रतिशत का पालन क्यों नहीं किया गया? तो मैं समझता हूं कि उनकी तरफ से यही एक्सप्लेनेशन आ सकता है कि उम्मीदवार हमको अच्छे खासे नहीं मिले, उनमें योग्यता नहीं थी, वह क्वालीफाइड नहीं थे, या दूसरी बातें और भी आ सकती हैं, उनके प्रार्थना-पत्र में कुछ कमियां थीं, इसलिये उनको रिजेक्ट कर दिया गया था या। उनका प्रार्थना-पत्र देर में पहुंचा इसलिए उन पर विचार नहीं किया गया। लेकिन जब कर्मचारियों की तरफ से यह कहा जायगा कि ये आधार थे जिसके कारण २० प्रतिशत का कोटा पूरा नहीं हो सकता तो हम ही लोगों में से लोग यही कहेंगे कि इनका एक्सप्लेनेशन जो है वह उचित नहीं मालूम पड़ता। तो ऐसी सूरत में यह कैसे तय होगा कि अमुक कर्मचारी ने कोई जुर्म किया या नहीं किया? वह मसला किसके सामने जायगा? किसके द्वारा यह तय होगा कि उसने उचित किया या अनुचित किया? मैं तो समझता हूं अधिकतर यही होगा कि वह कर्मचारी लोग डिपार्टमेंटल हेड्स के पास ऐसे एक्सप्लेनेशन भेज दिया करेंगे। तो जब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उचित अनुचित की परिभाषा कैसे हो और उस पर निर्णय कैसे दिया जाय, तब तक मैं यह समझता हूं कि यह जो हमारे सामने विधेयक है वह बिल्कुल अधूरा ही मुझे मालूम पड़ता है। इस तरह से जो मेरे संशोधन का उद्देश्य है वह यह है कि अच्छा हो यदि यह प्रवर समिति के समक्ष भेज दिया जाय और वहां शायद कोई हल निकले। अगर कोई हल नहीं निकलता है तो मैं समझता हूं कि ऐसे केसेज होंगे जब यह समझा जायगा कि उन्होंने अधिनियम का उल्लंघन किया है। हो सकता है कि सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से वह केसेज अदालत में भेज दिये जायं। मैंने देखा है कि यह जुर्म होंगे जिसमें पुलिस भी दस्तन्दाजी कर सकेगी। लेकिन यह भी खतरा है कि सरकारी और पुलिस कर्मचारी यह समझें कि कोई जुर्म नहीं बनता है तो उन केसेज में दस्तन्दाजी के साथ-साथ उनके इस्तगासे भी आ सकते हैं। तो इसमें अनेक कठिनाई है और

इनका हल हमारी सरकार को निकालना है। इसलिये मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं कि यह जो विधेयक है उसको प्रवर समिति के सामने भेज दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं। केवल दो शब्द आखिर में कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका मंशा बिल्कुल उचित है और मैं समझता हूं कि आज जो सरकारी आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, परवाह नहीं की जा रही है तो मैं समझता हूं कि सरकारी कर्मचारी समझने लगेंगे और मानना पड़ेगा कि वास्तव में संविधान की नीति है, उसकी पूर्ति करना है। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के समक्ष भेज दिया जाय।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मैं माननीय राम सुमेर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस आशय का प्रस्ताव उपस्थित करके सदन का ध्यान दिलाया है। माननीय वीरेन्द्रपति जी का जो संशोधन इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का है, उसका मैं विरोध नहीं करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि यदि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जायगा तो सम्भवतः जो रूप आज इसका है उससे कुछ सुधरा हुआ रूप आये।

(इस समय ४ बजकर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं इस सम्बन्ध में दो चार बातें निवेदन करना चाहता हूं। सब से पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कभी इस प्रकार के विधेयक के समर्थन करने का अर्थ यह न समझा जाय कि हम भारतवर्ष या सारे संसार में किसी जाति विशेष की विशेषता रखना चाहते हैं। हम अवश्य चाहते हैं कि हमारे देश में और सारे संसार में ऐसी व्यवस्था हो जिसमें न धन के ऊपर कोई वर्ग में भेद हो, समाज में कोई भेद हो, न किसी जाति विशेष में कोई भेद हो। यह हमारा उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यदि आवश्यकता इस बात की पड़ती है कि जो लोग दलित कहे जाते थे या आज भी दलित हैं, जिनके अधिकार पहिले से छिने हुये थे उनको बराबरी में लाने के लिये, समाज के ढांचे में समाज को ठीक करने के लिये यदि इस तरह की आवश्यकता पड़ती है कि उनका संरक्षण होना चाहिये तो मैं समझता हूं कि वह संरक्षण उनको दिया जाना चाहिये। महात्मा गांधी के स्कूल में रहते हुये और थोड़ी सी उनकी तालीम पाने के बाद मैं यह समझता हूं कि हमारे देश में जो हरिजन भाइयों की अवस्था है वह ऐसी है कि उनको संरक्षण मिलना चाहिये और इस बात की हमें व्यवस्था करना चाहिये कि वह जल्द से जल्द इस अवस्था से ऊपर उठें। और फिर उनको इस बात के कहने की जरूरत न पड़े कि वह फिर इस सदन में आकर इस बात की मांग करें कि हमें संरक्षण दिया जाय और इसीलिये मैं इस विधेयक का आज समर्थन कर रहा हूं। हमारे देश में जो हरिजन भाइयों की हालत केवल इस विधेयक से सुधर जायगी ऐसी भी हम आशा नहीं करते हैं। यह तो कुछ थोड़े से लोगों की नौकरियों के लिये बात हो सकती है। अगर इस विधेयक में कहीं इस बात की भी गुंजायश रखी गयी होती कि जो समाज में धन के बटवारे में इतनी विषमता है उसकी भी चर्चा कहीं इस विधेयक में होती तो सोने में सुगन्ध होती। मैं यह समझता हूं कि आखिर उनके भी लिमिटेशन्स हैं हमारे उन माननीय मित्रों के जिन्होंने इस विधेयक को सामने रखा है और उन सीमाओं की वजह से उन्होंने इस विधेयक को इस प्रकार रखा है। उनकी सिन्सियारिटी पर मुझे शुबहा नहीं है, मैं जानता हूं कि वे कितने दुःखी हैं अपने भाइयों की इस दीन और दरिद्र अवस्था को देख कर, लेकिन उनको कुछ मजबूरियां हैं और उन मजबूरियों को ध्यान में रखते हुये मैं समझता हूं कि जल्द ही वह वक्त आयेगा कि वे न सिर्फ नौकरियों की चर्चा करेंगे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

बल्कि अपने देश में ऐसी व्यवस्था का भी सपना देखेंगे जिसमें कि हमारे हरिजन भाई या कोई भाई जो कि हमारे देश में दरिद्र है उसको कमर सीधी करके और गर्दन उठा कर चलने का सहस होगा। मेरा यह विश्वास है कि देश में वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के चलते हुये जो आज निर्धन वर्ग का कोई व्यक्ति है वह अपनी कमर सीधी नहीं कर सकता और भले ही हम उसको किसी जाति के नाम पर अछूत न कहें लेकिन दरिद्र होने की वजह से उसके कपड़े में इतनी बदबू आयेगी कि वह अछूत माना जायगा चाहे वह ऊंची से ऊंची जाति का हो। मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में जहाँ इस बात की एक तरफ शिकायत है कि हम बड़े अनुदार हैं, हम जो सब से अधिक परिश्रम करते हैं उनको अछूत कह कर पुकारते हैं वहां हम अपने देश के पूज्य उन लोगों की जिन्होंने इतनी उदारता बरती है उनकी तारीफ भी करते हैं। जब संविधान बनाने की आवश्यकता हिन्दुस्तान में पड़ी तो मैं समझता हूं कि उस आदमी को अछूत कहने का साहस तो हम रखते नहीं हैं, डाक्टर भीमराव अम्बेदकर को इस संविधान बनाने वाली सब से बड़ी समिति का अध्यक्ष बनाया। वह उदारता भी नहीं थी, उनका वह हक था, वह हक ही देकर अपना जो अधिकार था उसका हमने उपयोग किया। तो ऐसी हालत में, हम तो आज की बात कहते हैं। इससे पहले भी भारतवर्ष ऐसा देश रहा है कि जब-जब इस बात की आवश्यकता पड़ी तो भारतवर्ष के जो लोग महान कहे जाते थे उन्होंने इस बात को दूर करने की चेष्टा की कि जिस प्रकार भी हो सके उस प्रकार यह अछूतपन की भावना दूर हो। इसके लिये मैं कोई उदाहरण की आवश्यकता नहीं समझता। राम का शबरी के आश्रम में जाना या अभी हमारे मित्र रामसुमेर जी ने जो युधिष्ठिर के यज्ञ की बात कही तो शपच भक्त की चर्चा किये बिना मैं नहीं रह सकता। तो इस तरह की उदारता के उदाहरण हमारी संस्कृति में मिलते हैं जिससे हमें कुछ सबक मिलता है। फिर हम सोचते हैं कि हमारे देश में जो हमारे हरिजन भाइयों ने इतनी तपस्या की है, जो हमारी आर्थिक स्थिति को इतना ऊंचा उठाने के लिये इतनी कुर्बानी उन्होंने की है उसका बदला हम तभी दे सकते हैं, हम भाई-भाई के, भाईचारे का बर्ताव तभी उनके साथ कर सकते हैं जब आज जो भेदभाव है उसको हटा करके हम उनको ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न करें। यह बात ठीक है कि ऊंचा उठाने में राज्य के पदों का काफी महत्व है। एक जिला मैजिस्ट्रेट होता है, चाहे वह किसी जाति का हो, उसकी इतनी महत्ता होती है कि किसी आदमी के दिमाग में यह बात नहीं उठ सकती कि यह अछूत है, ऊंची जाति का है। मैंने पहले, कुछ दिन हुए इस बात की चर्चा की थी कि आखिर यह राजनीतिक सवाल उठा करता है, चर्चा उठती है, हमारे हरिजन भाइयों की तरफ से कि क्लर्कों में से कितने हरिजन भाई रखे गये, चपरासियों में से कितने रखे गये, कलेक्शन अमीन कितने हरिजन भाई रखे गये? मैंने एक बार चर्चा की थी कि किसी माननीय सदस्य ने, जो हरिजन भाइयों में से हैं, किसी ने यह नहीं पूछा कि कितने कलेक्टर रखे गये इस प्रदेश भर में हरिजन लोगों में से? कितने कमिश्नर रखे गये? यह मैं उनको दोष नहीं देता। मैं यह कहता हूं कि उनको यह पूछना चाहिये। हमारे प्रदेश में ५१ जिले हैं। उनमें यह सोच करके कि आखिर यह हरिजन भाई भी शासित होते हैं कलेक्टर और कमिश्नरों से और हमारे जो बड़े-बड़े ओहदे के हाकिम हैं उनसे, तो फिर उनको जब शासित करना है तो ऐसे लोगों को उठा कर उन पदों पर क्यों न ले जायं जिससे वह स्वयं यह सोचें कि हम खुद ही शासन कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि इससे बड़ा अच्छा वातारण पैदा होगा। हमने कहीं-कहीं पर ओहदे दे रखे हैं। हुकूमत ने कलेक्टरी का ओहदा दे रखा है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि हरिजन जाति का जहां हाकिम है वहां कोई ऐसी बात पैदा हो गयी जिससे वहां के शासन में कोई गड़बड़ी पैदा हो गयी हो? एक अंदाजे के लिए यह पर्याप्त है। अगर नहीं होती है तो मैं समझता हूं कि उस वर्ग के लोगों को जिनके मन में एक अविश्वास की भावना पैदा होती है, एक टीस पैदा

होती है कि हमारी बिरादरी के लोगों को दूसरी दृष्टि से देखा जाता है, तो क्यों नहीं उन्हें कलेक्टर बनाया जाय? अगर उन्हें कलेक्टर बनाया जाय और इस तरह से प्रोत्साहन पाने का उन्हें मौका दिया जाय और इस बात का मौका न दिया जाय कि वह अपने अनुपात के हिसाब में कमी देखें तो मैं समझता हूं कि एक विश्वास की भावना बढ़ेगी और शासन अधिक क्षमता से चलाने में सरकार कारगर होगी।

जहां तक एफिश्येंसी और इनएफिश्येंसी की बात कही जाती है, तो मैं इस अवसर पर एक सच्ची बात कहना चाहता हूं, भले ही सरकार उसको छींटाकशी समझे, कि जो लोग बड़ी ऊंची बिरादरी के कहे जा सकते हैं और बड़ी ऊंची-ऊंची जगहों पर हैं उनके कारनामों की और हरिजन जाति के कलेक्टर के कारनामों की तुलना की जाय और हम इस नतीजे पर पहुंचें कि दोनों में कोई भेद नहीं है, बल्कि जो हरिजन जाति का है, जो कुचला हुआ था सैकड़ों और हजारों वर्षों से, उसने थोड़ा गरीबों की सेवा में अपने मन को लगाया और जो गड़बड़ी हो सकती थी, जो संपत्तिवान वर्ग का साथ देकर के और कुचले हुए वर्ग के विरुद्ध काम किये जा सकते थे उनको छोड़ करके उसने इन्साफ का रास्ता लिया, तो मैं समझता हूं कि सरकार इसलिए तो बैठी नहीं है कि बेइंसाफी करावे। अगर उसने इन्साफ का रास्ता लिया है तो इस विधेयक का समर्थन सरकार को करना चाहिये। मैं नहीं जानता हूं कि सरकार का क्या रुख होगा, सरकार इस विधेयक को स्वीकार करेगी या इसका विरोध करेगी। अगर यह बात मालूम होती तो फिर मैं उसको ज्यादा समझाने की चेष्टा न करता, लेकिन मुझे यह कहने की जरूरत इसलिये पड़ती है कि सरकार की मंशा मुझे नहीं मालूम हुई और सरकार, का जो ढंग है, उस ढंग से मैं बड़ी नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि वह कुछ बिरादरी कायम रखना चाहती है। वह अनुसूचित जातियों को कायम रखना चाहती है। भले ही अनुसूचित जातियों में से कुछ को तो वह सफ़ेदपोश समझ करके अपने से मिला लेना चाहती है। और अभी तक जो समाज हमारे देश का है हमारी सरकार उसमें नई प्रकार की अनुसूचित जाति बनाना चाहती है। सरकार कहेगी कि बड़ी गुस्ताखी की बात कर रहा है कि सरकार गरीबी बढ़ाना चाहती है। इतना बड़ा ऐक्ट जमींदारी का पास हुआ उसमें भी विषमता को दूर करने का उद्देश्य माना गया लेकिन सरकार की जो आज योजना है, जो धन और सम्पत्ति के लिये उसकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में यह नई अनुसूचित जाति बनाने की व्यवस्था है। नये लोग दरिद्र होते जायंगे और जो दरिद्र होंगे वे अनुसूचित होंगे। पुराने जमाने में भी यही बात थी। डिवीजन आफ लेबर पर उस समय यह बात की गई थी और वह बड़ी साइंटिफिक बात थी कि फलां तरह के लोग इस काम में जायंगे और फलां तरह के लोग इस काम में जायंगे। मैं बहुत विद्वान उस मामले में नहीं हूं कि वर्णाश्रम व्यवस्था किस बुनियाद पर की गई थी लेकिन मोटे तौर पर राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते यह समझता हूं कि इसकी जड़ में डिवीजन आफ लेबर की बात थी। आज सरकार वैज्ञानिक ढंग पर इस लेबर आफ डिवीजन के प्रिंसिपुल पर नहीं जाना चाहती। आज तो वह चाहती है कि जिसके पास ५ बिस्वा खेत हो वह उसी ५ बिस्वा पर जमा रहे। मैं नहीं समझता कि ५ बिस्वा खेत से किस प्रकार वह अपने बालबच्चों को तालीम दे सकेगा और बन्दोबस्त कर सकेगा। कोई बन्दोबस्त सरकार के पास नहीं है और न अगली पंचवर्षीय या दस वर्षीय योजना में उसका कुछ बन्दोबस्त है।

श्री अध्यक्ष--आप कुछ असंगत हो रहे हैं।

श्री गेंदासिंह--आज तो केवल नई अनुसूचित जाति बनाने की बात सरकार कहती है और अगर नई अनुसूचित जाति बन जायगी तो बड़ा खतरा हो जायगा! इस बात को छोड़कर मैं यह सोचता हूं कि कुछ ऐसी बात माननीय राजस्व मंत्री ने कही है जिसे मैंने सुना नहीं है लेकिन मैं बहुत अच्छा समझता कि वह कह दिये होते.....

श्री अध्यक्ष--मैंने कह दिया, इसलिये नहीं कहा।

श्री गेंदासिंह--मैं इस विधेयक के सिलसिले में यह जरूर कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति जो है उसकी जड़ में है आर्थिक विषमता और जब तक उस आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये कोई विधेयक नहीं आता तब तक अनुसूचित जाति बनी रहेगी।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह विषय आर्थिक विषमता से सम्बद्ध नहीं है। जाति बनाने से आप यदि विधेयक पर कायम रहें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री गेंदासिंह--मैं इसके सिद्धान्त पर ही कुछ चर्चा करना चाहता था लेकिन मैं आपकी आज्ञा माने लेता हूं...

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--आप विरोध कर रहे हैं या समर्थन?

श्री गेंदासिंह--मैं बिल्कुल समर्थन कर रहा हूं। मैंने खड़े होते-होते ही जो कहा था उसे अगर माननीय सदस्य याद कर लिये होते तो यह सवाल करने की आवश्यकता न होती। अगर यह विधेयक सिलेक्ट कमेटी में जा रहा है तो सिलेक्ट कमेटी में जाते समय सरकार यह सोच ले तो जाने के पहले अगर कोई कमी रह गई है तो वहां ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे वह कमी दूर की जाय। इसलिये मैं चाहता था कि इस सिलसिले में कुछ चर्चा कर दूं। सरकार की ओर से क्या विचार इस विधेयक पर प्रकट होने चाहिये, उन्हें तो सरकार स्वयं प्रकट करेगी लेकिन सरकार ने कुछ ऐसी स्थिति पैदा की है जिसकी वजह से सरकार को कम से कम इस बात को महसूस करना चाहिये कि ऐसा विधेयक सामने न आये और जब हमारा कांस्टीटयूशन बना उसमें दबे हुए लोगों को पिछड़े लोगों को संरक्षण देने की बात रक्खी गई और संरक्षण देने के बाद सरकार यह सोच ले कि १८ फीसदी या १० फीसदी जो कुछ भी हो कि कितनी फीसदी पर उसने उनको नौकरियों में संरक्षण दिया है। उसका जवाब जो सरकार यहां पर देती है उससे मुझको बड़ी लज्जा आती है और मैं इस तरह के किसी प्रश्न के भी सप्लीमेंटरी करने को तैयार नहीं होता क्योंकि मुझे लज्जा आती है। जब सरकार से यह पूछा जाता है कि फलां नौकरी में हरिजनों को क्यों नहीं जगह मिली तो सरकार का जवाब यही होता है कि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं था। अध्यक्ष महोदय, अगर उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर है। उपयुक्त उम्मीदवार अगर मिलता और उपयुक्त उम्मीदवारों की भरमार अगर होती तो फिर संरक्षण क्यों उनको दिया जाता? जब उनको संरक्षण दिया जाता है तो उसमें यह बात निहित है कि वह ऐसा वर्ग है जिसको संरक्षण दिया जाना चाहिये। तो फिर क्या उसके बाद सरकार का यह धर्म नहीं है कि वह उपयुक्त उम्मीदवार पैदा करने की कोशिश करे? मैं रामसुमेर जी की दलील को मानता हूं कि जितने गरीब हैं उनके ही बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं और इसको हमारे राजस्व मंत्री ने बहुत बढ़ाया है वह रोज यहां पर यह कहा करते हैं कि देवरिया में बच्चे बहुत ज्यादा हैं इसलिये वह गरीब हैं और वहां पर लोग बच्चे पैदा करने कम शुरू करें तब देवरिया की समस्या हल होगी, नहीं, तो नहीं सुधरेगी। मैं उनके इस उपदेश को मानता हूं और गांव में भी लोगों से जाकर कहता हूं कि इस मामले में वह और हम दोनों एक जगह पर हैं। वह कहते हैं कि बच्चे कम पैदा करो और हम भी यही बात उनसे कहते हैं कि बच्चे कम पैदा करो। यह बात अलग है कि लोग मानें या न मानें लेकिन आर्थिक व्यवस्था तभी ठीक हो। यह सम्भव हो सकता है अगर स्त्री और पुरुष के लिये अलग-अलग झोपड़ी हो। अगर दो झोपड़ी अलग-अलग हों तो फिर मैं इसके बाद क्या कहूं शायद औलाद कुछ कम पैदा हो। इस बात की आर्थिक बीमारी है। मैं सोचता हूं कि हरिजनों के औलाद बढ़ती चली जाती है, मैं यह नहीं चाहता कि उनके औलाद कम हों लेकिन अगर औलाद बढ़े अच्छा है तो उसके साथ-साथ

उनके लिखाने-पढ़ाने और रहने का भी इन्तजाम होना चाहिये। आप उनको तालीम दिलायें, नौकरी दिलायें। यह सब व्यवस्था उनके लिये करनी चाहिये। फिर सरकार की यह शिकायत हो ही नहीं सकती है कि चूंकि हरिजनों के बच्चे नहीं पैदा होते हैं इसलिये उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलता है। इसलिये बच्चे पैदा करना हरिजनों का काम है वह पैदा करें लेकिन सरकार का काम है कि वह उनके लिये लालन-पालन का और उसी प्रकार से रहने का इन्तजाम करे, उसी प्रकार की उनकी व्यवस्था करे जिससे वह इस योग्य हो सकें कि सरकार को उनमें से उपयुक्त उम्मीदवार मिल सकें। जब सन् १९४६ से यह संविधान लागू हुआ है तब से इस संरक्षण की बात हुयी। तब से आज तक सरकार ने क्या किया है और यह वह क्यों कहती है कि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं? रोज यहां पर सवाल किये जाते हैं। माननीय धर्मसिंह जी, माननीय पिपल जी, माननीय बाबूनन्दन जी इस प्रकार के सवाल बराबर करते रहते हैं कि इनको संरक्षण की ज्यादा जरूरत है। सरकार की तरफ से जो जवाब मिलता है उसको सुनकर मुझे लज्जा आती है। जब सरकार को यह मालूम है कि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलता है तो उसने न मिलने का कोई उपाय किया है? सरकार की तरफ से क्या उनके लिये कोई ऐसी व्यवस्था की गयी है कि कम से कम हरिजनों के बच्चे स्कूल में भूखे तो न जायं? अगर एक बच्चा जो पेट भर कर स्कूल में पढ़ने जायगा तो वह उस बच्चे से जो भूखा जाता है उससे उसकी बुद्धि बराबर नहीं रह सकती है। मैं निवेदन करता हूं कि सब से पहले आप इस बात की व्यवस्था करें और मैं समझता हूं कि आप इसके लिये स्वयं एक विधेयक ले आयें।

श्री अध्यक्ष---आप कृपया विषयान्तर कह रहे हैं, विधेयक के विषय पर ही क़ायम रहें।

श्री गेंदासिंह---मैं सरकार से सिर्फ इतना कहता हूं कि यह विधेयक जो आया है वह केवल सरकार की नाराजी का कारण है। सरकार ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। इसलिये यह महसूस हुआ कि सरकार को किसी तरह से मजबूर करें और सरकार पर उनकी आस्था है, वह इस बात को समझते हैं कि यह विधान सभा इस वक्त सरकार के हाथ में है वह सरकार को मजबूर कर सकती है कि सरकार इससे बाहर न जाय इसलिये यह विधेयक वे लाये हैं। इस विधेयक के लिये सरकार को क्या करना है? अगर सरकार समझे तो मैं उसको बता देना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य जो इस विधेयक को लाये हैं या माननीय सदन जो इस पर विचार कर रहा है उन सबको इन सब बातों के इधर-उधर सोचना चाहिये और सोच कर इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करना चाहिये और पहले उस उम्मीदवार लाने वाली बीमारी का इलाज करना चाहिये। यानी उनकी जो संख्या निश्चित है यानी १८ या २० प्रतिशत वह पूरी नहीं हो पाती। इसलिये पहले उसका इलाज किया जाय और पहले इसका इलाज उनको पढ़ा कर किया जाय, उनके पढ़ाने की व्यवस्था की जाय। माननीय रामसुमेर जी का जो प्रस्ताव है कि इन लोगों को कंपीटीशन्स में न बैठने दिया जाय यह एक मनोवैज्ञानिक चीज है जो फीअर कम्प्लेक्स के कारण है। उनका यह अन्दाजा है कि जब दूसरे लोगों के साथ हरिजन लोग बैठते हैं तो वे पिछड़ जाते हैं, यद्यपि उस पिछड़ने के दूसरे ही कारण हैं लेकिन उस दूसरे कारण को रामसुमेर जी छूना नहीं चाहते; और यदि छूना चाहते हैं तो न मालूम उस कारण को क्यों नहीं छूते हैं। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। तो जब यह विधेयक आ गया है तो इसके पेश हो जाने के बाद मैं यह बात पेश कर रहा हूं और अगर यह सेलेक्ट कमेटी में भी जाय तो वह भी इस बात पर विचार करे कि उम्मीदवार किस प्रकार से पैदा किये जा सकते हैं। इसके लिये भूख से मरने वाली चीज भी आये बिना न रहेगी और उसके लिये यह भी सोचना होगा कि उन बच्चों के लिये दूध और खाने आदि का ऐसा प्रबन्ध किया जाय

[श्री गेंदासिंह]

जिससे वे तालीम हासिल कर सकें, जिससे वे ऐसी बुद्धि प्राप्त कर सकें कि दूसरे लोगों के साथ बैठ कर वे कंपीटीशन में आगे आ जायं क्योंकि यह बहुत अच्छी बात न होगी कि वे प्रतियोगिता से भागें । वे इसीलिये प्रतियोगिता से सरक्षण की बात कहते हैं कि वे डरते हैं कि प्रतियोगिता में बैठ कर वे आने वाले नहीं हैं । यदि ऐसा न होता तो यह संरक्षण की बात ही क्यों आती। आज यह चीज सरकार के ऊपर निर्भर करती है। सरकार समझती है कि बहुत ही धीमी गति से और विश्वास के साथ समझती है कि जो कुछ उसने किया है उससे ५–१० वर्षों में ही लोगों की स्थिति सुधर जायगी, प्रत्येक की आमदनी बढ़ जायगी और तब जो आज हरिजनों को प्रतियोगिता में बैठने से डर लगता है वह भी चला जायगा ? इधर संविधान में १९६० तक यह गुंजाइश है आगे यह भी न रहेगा और फिर यह चीज भी समुद्र में पड़ जायगी जब वे १९६० में प्रतियोगिता में बैठेंगे तो उनको यह महसूस होगा । इसलिये १९६० के पहले मैं यह जरूरत समझता हूं और सब समझदार लोग भी यही समझते होंगे कि उनको ऐसा अवसर मिलना चाहिये कि जिस अवसर का लाभ उठा कर वे समाज में अपने को उस जगह ला सकें जहां कि समाज आज है। इन बातों को कह कर मैं वीरेन्द्रपति जी के उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जो उन्होंने सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के लिये रक्खा है तथा मुझे रामसुमेर जी के विधेयक का भी विरोध नहीं, उसका तो मैंने स्वागत किया है, उनको भी मैंने बधाई दी है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, माननीय रामसुमेर जी ने विधेयक को प्रस्तुत करते समय जिन भावों को प्रकट किया है मैं उनका आदर करता हूं और उनसे काफी हद तक सहमत भी हूं लेकिन उसके साथ मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस विधेयक को पेश करने का न यह उचित समय था और न इसकी कोई आवश्यकता है। मैं सोच सकता हूं यद्यपि उन्होंने जो बहुत सी बातें कहीं उनकी शिकायतें कीं, मैं मानता हूं और उनका मुझे दुःख भी है, मैं यह मानता हूं कि बहुत सी बातें अधिकांश रूप में सत्य भी हैं परन्तु मैं यह नहीं समझ पाया कि इस विधेयक को लाने से और इसके ऐक्ट बन जाने से स्थिति में कहां तक कोई खास सुधार हो जायगा। मैं समझता हूं कि हमारा जो कांस्टीटयूशन है वह हमारे देश की सब से बड़ी देन है और जब उस कांस्टीटयूशन के अन्दर उनके लिये १८ परसेंट सीट्स का रिवेंजशन हर चीज में हो गया है और उसके बाद भी उनके सामने कठिनाई है तो मैं नहीं समझ सकता कि इतने बड़े विधान में संरक्षण होते हुये छोटे ऐक्ट के बन जाने से उन परिस्थितियों में कोई विशेष परिवर्तन हो जायगा। उनकी शिकायत यह है कि जो अधिकारी लोग हैं वे सरकारी कर्मचारी हैं वे सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। मैं इसको माने लेता हूं कि यह बात कुछ हद तक ठीक है। तो क्या इस ऐक्ट के बन जाने के बाद उनकी मनोवृत्ति में एक ही रात में चेंज हो जायगा, क्या वे बदल जायंगे ? ऐसी बात मैं तो नहीं समझता हूं। जहां तक उन्होंने गांधी जी की बात कही है इससे किसी को इन्कार नहीं है कि हमारे देश का, हमारे समाज का और विशेष तौर पर हिन्दू जाति का सबसे बड़ा कलंक अछूत पन है और जब तक हम इस अछूत पन को जड़ से नष्ट नहीं करते हैं तब तक हमारा जो समाज है उसकी जड़ मजबूत नहीं बन सकती। इसको मैं मानता हूं लेकिन साथ ही साथ यह भी समझता हूं कि इस समाज का सदियों का नहीं हजारों वर्ष का हमारे ऊपर जो यह अभिशाप चला आता है वह एकदम से कोई जादू का मंतर होकर उड़ जाय, ऐसी बात होने वाली नहीं है। कानून की दृष्टि से हमारे इस प्रदेश की सरकार ने और दूसरे प्रदेश की सरकारों ने भी वक्तन-फवक्तन इस प्रकार का कानून बनाया है कि हमारे देश से अछूत पन मिटना चाहिये। जहां तक सर्विसेज का ताल्लुक है उसके लिये स्पष्ट हिदायत है कि १८ परसेंट सीट्स हर जगह दी जाय। कहा गया है कि सीट्स नहीं मिलती हैं। हो सकता है कि कहीं-कहीं सीट्स के न मिलने में अधिकारियों की

भी कुछ खता हो लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो बड़ी-बड़ी सर्विसेज हैं, जहां कम्पटीशन के जरिये लोग रखे जाते हैं वहां योग्यता की कमी के कारण लोग न लिये जाते हों। मैंने श्रीमन्, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें यह लिखा है कि हम उन हरिजन भाइयों को ले लेते हैं जो हमारी निर्धारित योग्यता के नीचे से नीचे के स्तर तक भी पहुंच पाते हैं। हमें आज सोचना यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जब किसी आफिसर की नियुक्ति हो तो उसके लिये एक योग्यता का स्टैंडर्ड होना चाहिये और वही उसके लिये लिए जाय जो कि वह उस योग्यता के अन्दर आ जायं। श्री रामसुमेर जी ने कहा कि वे चाहते हैं कि कम्पटीशन हरिजनों के लिये उन्हीं के बीच में होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इसके माने यह हुआ कि एक ही किस्म की सर्विस के लिये दो तरह का कम्पटीशन हो, एक तो ऊंचे स्टैन्डर्ड से हो और एक नीचे स्टैन्डर्ड से हो। मेरे ख्याल से यदि इस तरह की बात एडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में मान ली जायगी तो इससे भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। आज यूं ही हमारी सर्विसेज का स्टैन्डर्ड गिर रहा है, इस उसूल को मानने से एफीशियेन्सी और भी गिर जायगी जो अन्त में शासन के लिये अहितकर ही सिद्ध होगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज प्रश्न यह नहीं है कि कितनी संख्या में या कितने परसेंट हरिजन भाइयों को सरकारी नौकरी मिल जाय। आज प्रश्न तो यह है कि हरिजन भाइयों का जो एक वर्ग है उस पूरे वर्ग की आर्थिक उन्नति किस प्रकार से हो। इसका दूसरा पहलू भी है और मैं पूछना चाहता हूं कि आज किसी गांव के अन्दर दो आदमी रहते हैं। एक गरीब ब्राह्मण है जिसके पास किसी प्रकार का कोई उद्योग धंधा नहीं है और एक हरिजन है जिसके पास खेती भी है और दूसरे उद्योग धंधे भी हैं, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह अन्याय नहीं होगा कि गरीब ब्राह्मण के बच्चे को तो स्कालरशिप या अन्य सहायता न दी जाय और हरिजन भाई के बच्चे को स्कालरशिप दी जाय? सिर्फ इसलिये कि वह हरिजन है श्रीमन्, मान लीजिये कि आज मैं इस हाउस का मेम्बर हूं, आज एम० एल० ए० हूं और दूसरे हरिजन भाई भी इस हाउस के मेम्बर हैं। तो जहां तक आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध है उनकी और हमारी आर्थिक स्थिति एक सी है। तो क्या वजह है कि मेरा जो बच्चा हो उसको तो स्कालरशिप न दी जाय और उनके बच्चे को स्कालरशिप दी जाय? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हरिजन भाई इस बात के लिये तैयार हैं कि जो हरिजन स्थिति में आ चुके हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वे इस बात को तय करने के लिये तैयार हैं कि आगे से वे कोई प्रोटेक्शन, किसी किस्म का कोई फेवर पढ़ाई या नौकरियों में अपने बच्चों के लिये सरकार से नहीं चाहते हैं, यही नहीं बल्कि वह अपनी आय में से भी कुछ अंश अपने अन्य अधिक दलित भाइयों के उत्थान हेतु देंगे।

मैं समझता हूं कि जो आज अच्छी स्थिति में आ गये हैं उनको वह हक व संरक्षण नहीं मिलना चाहिये। जैसे कोई हरिजन भाई आई० ए०एस० या पी० सी० एस० हो जायं तो वह उस स्तर पर आ जाता है कि उसको हरिजनों की सूची से ही हटा देना चाहिये क्योंकि वह तो उस स्तर पर आ गया जिस पर हम उन्हें लाना चाहते हैं। मेरा अभिप्राय यह है कि अगर कोई पी० सी० एस० हो गया, उसके बाद भी उसके बच्चों को हरिजन होने के नाते वही संरक्षण रहते हैं। यह ठीक नहीं है। असल चीज हमें यह लानी है कि हमारे समाज में कोई आर्थिक विषमता, कोई मतभेद, व ऊंचनीच की भावना न रहे। हम यह भी देखते हैं कि पोलिटिकल फील्ड में, राजनैतिक क्षेत्र में भी ऐसा ही चल रहा है मैं किसी पर एक्सपरशन नहीं डालता, फैक्ट कहता हूं मान लीजिये कि मैं हरिजन हूं और मेरा खानदान ऐसा है कि किसी वजह से मेरे घर वालों को ७, ८, ९ सीट्स के लिये टिकट मिल जाते हैं तो मैं स्वयं यह नहीं सोचता कि मेरे और गरीब हरिजन भाई भी हैं उनको भी अपने में से ५ टिकट दे दूं और अपनों के लिये केवल एक दो ही रखूं ताकि उन गरीब भाइयों का भी स्टैंडर्ड कुछ उठ सके बल्कि सब अपने लिये

[श्री नवलकिशोर]

ही रखना चाहता हूं। हम देखते हैं कि हरिजन के नाम पर कुछ व्यक्तियों की एक मानोपली सी बनती जाती है और जहां तक कि पिछड़े वर्ग विशेष को या दलित वर्ग को उठाने की बात है उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं है। मैं जिस प्वाइन्ट पर आ रहा था वह यह था कि यह ठीक है कि जो समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है, विशेष कर हरिजन या और जितने भी हैं उनके लिये सहायता मिलनी चाहिये और उन को उन्नति करने का अवसर होना चाहिये, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिये। इस तरह का स्पून फीडिंग भी जब तक समाज की स्थिति ऐसी है तब तक चले परन्तु केवल कुछ समय के लिये। लेकिन उस की आड़ में चन्द आदमियों को उसका फायदा पहुंचे और आम जनता को फायदा न पहुंचे यह कोई अच्छी और उचित बात नहीं है। कहा गया कि गांधी जी चाहते थे कि हम क्लास लेस व कास्ट लेस सोसाइटी का निर्माण करें, उचित बात है सब भाइयों को चाहे वह किसी भी पार्टी में हों यही भावना है कि हम अपने देश में जाति व वर्गविहीन समाज की स्थापना करें लेकिन क्या उसका तरीका यही है कि हम दिन रात इस बात पर जोर दें कि हमें अमुक बात का अधिकार नहीं मिला और उस बात का अधिकार नहीं मिला। मेरा तो इस विषय में स्पष्ट मत है कि इस तरह की बातें बार-बार होने से, चाहे भवन में हों या भवन के बाहर हों एक इस तरह की साइकोलोजी पैदा होती है कि जिससे जाति-हितों के आगे सोचा ही नहीं जा पाता। हमारा ढांचा ज्वाइंट एलेक्ट्रेट पर निर्भर है...

श्री अध्यक्ष--मैं जानना चाहता हूं कि आप इसका विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं।

श्री नवलकिशोर--यों तो मैं इस बिल की भावना का समर्थन करता हूं, वह बहुत सुन्दर है लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस वक्त इसकी आवश्यकता नहीं थी..

श्री अध्यक्ष--इसके माने हैं कि आप इसका विरोध कर रहे हैं..

श्री नवलकिशोर--श्रीमन् यदि इसके माने विरोध समझा जाय तो विरोध ही समझ लिया जाय। मैं यह कह रहा था कि जब हमारे यहां ज्वाइंट एलेक्ट्रेट है तो हमें इस तरह से चलना चाहिये कि सभी वर्गों का आपस में एक दूसरे पर विश्वास पैदा हो, हालांकि मैं यह समझता हूं कि हमारे बहुत से हरिजन भाइयों को कष्ट है और वह अपने दुःखों से दुखी होकर ही ऐसी बात करते हैं लेकिन इस मनोवृत्ति की पृष्ठ भूमिका में जब मैं देश के भविष्य का चित्र अपने सामने रखता हूं तो मुझे ज्यादा आशा प्रतीत नहीं होती। मैं सोचता हूं कि इससे न तो समाज का और न हमारे हरिजन भाइयों का ही कल्याण होने वाला है। मैं चाहता था कि इस दस साल के अन्दर हम सभी और सरकार भी इस तरह से अपना काम करें कि इस दस साल के बाद इस तरह की चीजें बिरादरी या जातिपांति या हरिजन या अछूत या बैकवर्ड आदि के प्रश्न सब मिट जायं तो अच्छा है मगर मैं देखता हूं कि ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है त्यों-त्यों बजाय इसके कि यह चीज कम हो मुझे यह आभास हो रहा है कि यह चीज बढ़ती जाती है।

जहां तक गेंदासिंह जी ने बहुत सी बातें कही हैं उनके सम्बन्ध में मैं यही कह सकता हूं कि जहां तक उनकी सिन्सियारिटी का सम्बन्ध है मैं जानता हूं कि वे एक बहुत ही सिन्सियर आदमी हैं और उनकी जो सहानुभूति हरिजन वर्ग के साथ रही है वह भी छिपी हुई नहीं है मगर मैंने महसूस किया कि भाई गेंदासिंह जी ने इस मौके को इस बात के लिये इस्तेमाल किया है जिससे उनको सरकार के ऊपर कुछ कहने का मौका मिले। इससे अधिक मैं इस समय न कह कर अपने भाइयों से कहूंगा कि वह मुझको

गलत समझने की कोशिश न करें। जहां तक वह यह चाहते हैं कि अछूतपन खत्म हो मैं उनके साथ हूं बल्कि जहां तक विधान ने उनको प्रोटेक्शन दिया है मैं चाहता हूं कि हर एक उसको ईमानदारी के साथ निभावें। और यदि हमारे अधिकारी जानबूझकर ऐसा करते हैं तो मुझे इसमें भी आपत्ति नहीं है कि उसको दंड मिलना चाहिये लेकिन इसी के साथ-साथ मैं उनसे भी इस बात की प्रार्थना करूंगा कि वह जरा ठंडे दिल से सोचें और यह भी सोचें कि वे समाज के अंग हैं और हम सबको मिल कर ऐसा कार्य करना है जिससे सारे समाज का कल्याण हो और सच्चे मानों में हम अपने देश में जाति व वर्गविहीन समाज की स्थापना कर सकें।

*श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जो विधेयक आज सदन के सामने प्रस्तुत है उसके उद्देश्यों का मूलतः समर्थक हूं परन्तु उसमें मैं दो तीन त्रुटियां भी देखता हूं इसलिये जो दूसरा भाग संशोधन का है मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा डेलीकेट सवाल है जो सदन के सामने है। मुश्किल इसमें यह है कि इसमें जरा गलतफहमी होने का अंदेशा हो जाता है कि इसके उद्देश्यों को पूर्णतः मानते हुये भी हर सदन का सदस्य इसका सिद्धान्ततः विरोध करेगा। इसलिये मैं जिन्होंने इस विधेयक को सदन के सामने प्रस्तुत किया है उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे गलत न समझें इसका जो उद्देश्य है उससे हर एक को सहमत होना चाहिये। लेकिन सोचना यह है कि अब तो केवल पांच वर्ष का अवसर रह गया है और इस अवसर में जो संविधान ने शक्ति दी है संरक्षण की, उसका उद्देश्य यही थी कि उन लोगों को भी उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जाय जिस जगह पर राष्ट्र के और लोग खड़े हुये हैं तो यदि यह इस ५ वर्षों के अवसर में पूरा नहीं होता और पांच वर्ष खत्म हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। एक यह वैकुअम रह जायगा और जो चीज आज पेश की गयी है उससे उसके लिये और खराबी हो जायगी। तो इसलिये यह बड़ा डेलीकेट सा सवाल है। हमको यह भी सोचना चाहिये कि अगर संविधान में यह संरक्षण दिया हुआ है तो उसको ईमादारी के साथ मानना चाहिये और हर आदमी का यह फर्ज मन्सबी है कि उसको पूरा किया जाय और अगर वह उद्देश्य पूरा नहीं होता तो हमारे लिये यह एक कलंक रह जायगा क्योंकि संविधान हमारे लिये सब से बड़ी आवाज है और उससे अधिक पवित्र वस्तु हमारे लिये हो नहीं सकती जिसके आगे हम झुक सकें। अब जहां तक उद्देश्य हैं उसके लिये हमको यह देखना है कि क्या तीन चार वर्ष जो रह गये हैं इस अरसे में यह जो विधेयक आया है उस विधेयक से उस उद्देश्य की पूर्ति हम कर सकते हैं या नहीं। बस हमें केवल यही देखना है कि अगर इस विधेयक से उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और हरिजन उस जगह पर खड़े हो जाते हैं जहां कि और लोग खड़े हुये हैं तो अगर इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तब तो ठीक है लेकिन अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तब तो यह विधेयक उचित नहीं है और इसमें सोच-विचार करना पड़ेगा। इस दृष्टि से हमें इसको देखना है। मुझे ज्यादा सिद्धान्तवादी बातों को, गांधी जी की या बड़े-बड़े महात्माओं की बातों को बताना नहीं है। हमें सिर्फ एक वकील की हैसियत से यह देखना है कि यह विधेयक पास होकर स्टैटचूट बुक पर जायगा इसलिये इस विधेयक में जितनी खामियां हैं वह दूर होजायं। अगर खामियां हैं तो उनको दूर करने का प्रयत्न किया जाय।

मैं इसको दो हिस्से में बांट देता हूं। पहले हिस्से में कुछ ऐसी खराबियां मालूम पड़ती हैं कि जो विधान से संबंधित हैं जिनको अंग्रेजी में फार्मल मिस्टेक्स कह सकते हैं और उसमें पहली बात यह है कि २० प्रतिशत संसद में या दूसरी सर्विसेज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नौरंगलाल]

में रिजर्वेशन किया जाय। तो ऐसा करने से बड़ी मुश्किल पड़ जायगी और जिन साहब ने यह विधेयक रखा है वह भी इस बात को तस्लीम करेंगे कि ऐसा करने से बड़ी गड़बड़ी हो जायगी। आज हरिजनों की आबादी २० प्रतिशत है, कल २७ प्रतिशत हो सकती है आगे चल कर ४० प्रतिशत हो सकती है। यह अनुपात भी आ सकता है, जैसा कि बतलाया कि हरिजनों की आबादी ज्यादा बढ़ रही है उस हिसाब से, कि फिफ्टी-फिफ्टी हो जाय तो इसमें यह जो आपने २० परसेंट रखा है यह तो उस हिसाब से बड़ा इलास्टिक हो जायगा। इसको तो आपको स्टेशनरी तरीके पर रखना चाहिये था तो वैसा करने से यह फार्मल मिस्टेक न होती। इसीलिये मैंने यह कहा है कि इसको प्रवर समिति में जाना चाहिये और उस संशोधन का मैं समर्थन करता हूं। दूसरी मिस्टेक यह है कि आपने इसमें सजायें देने की बात रखी है। सजायें अफसरों को मिलनी चाहियें, किन अफसरों को मिलनी चाहिये कि जो गवर्नमेंट के डाइरेक्शन्स को न मानें या डाइरेक्शन के हिसाब से २० प्रतिशत की पूर्ति न करें। इसके लिये आप यकीन रखिये कि अगर आपने यह पास कर दिया तो एक भी अफसर सजा नहीं पा सकता। एक भी अफसर इसकी गिरफ्त में नहीं आ सकता। उसका कारण स्पष्ट है कि जिस समय गवर्नमेंट यह २० परसेंट का रिजर्वेशन हरिजनों के लिये रखेगी और उसके लिये डाइरेक्शन्स अपने अफसरों को देगी उस समय वह उसके लिये क्या प्रोसीजर हो यह भी अफसरों को बतायेगी, उनके लिये क्या क्वालीफिकेशन्स होनी चाहिये यह भी उनको बतायेंगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिये और फार्मल प्रोसीजर कम्पटीशन वगैरह का क्या हो इस सब के डाइरेक्शन्स उनको जायंगे। तो अफसर जब फार्मल प्रोसीजर पूरा कर देगा, डाइरेक्शन्स पूरे कर देगा और उसके बाद भी आपके हरिजन नहीं मिलेंगे, क्योंकि वह पढ़े लिखे और होशियार हैं और वह अपने काम में कोई भी गलती या खामी नहीं रहने देंगे तो उसके बाद भी आपका एम कैरी आउट नहीं हो सकता। जब १८ या २० परसेंट लोग नहीं मिलेंगे तो वह कह देंगे कि हमारा प्रोसीजर तो बिल्कुल सही था लेकिन इसमें क्वालीफाइड आदमी नहीं मिले तो फिर सजा किसे होगी? तो यह जो चीज इसमें रखी है कि उसको सजा दी जाय यह बिल्कुल नामुमकिन हो जायगी। तो इसलिये अगर आपको विधेयक बनाना है और इस तरह का कोई क्लाज लाना है तो पहले सोचिये कि किस तरह पर उसको लाया जा सकता है। जब तक यह चीज पूरे तौर पर सोच समझ कर न रखी जाय उस समय तक यह विधेयक सेल्फ सफीशियेंट नहीं होता है क्योंकि पैनल क्लाज ही विधेयक की जान होता है, लाइफ होता है और जो कि हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आता है। अगर वह पैनल क्लाज ही ठीक नहीं है तो वह ला बिल्कुल बेकार हो जाता है। दूसरी जो मिस्टेक मैंने प्वाइन्ट की है सदन के सामने वह यह है कि इसमें जो पैनल की व्यवस्था की गई है वह क्लीयर नहीं है (बेग है) इसलिये यह फार्मली करेक्ट नहीं है। मैं समझता हूं कि वह सब करेक्ट हो सकता है अगर हमको मौका दिया जाय बहस करने का। अब दूसरी बात पर मैं आता हूं और वह सैद्धान्तिक मिस्टेक है। तो यह अवश्य मैं चाहूंगा कि जिस वक्त इस विधेयक को बनायें और संशोधन करें तो दो बातों का विचार करना पड़ेगा। पहली तो यह है और उस पर ज्यादा जोर देता हूं इस बात को मानते हुए कि मैं हरिजनों को पूरी तरह से सहयोग देना चाहता हूं और जो संरक्षण उनको संविधान से मिला है उसको मानता हूं, लेकिन एक प्रवृत्ति जो सैपरेटिस्ट की है यह दिमाग में नहीं आनी चाहिये। यह नहीं आना चाहिये कि एक उच्च कोटि का हिन्दू जो है वह और है और हम और हैं यह टेंडेंसी विधेयक में नहीं आनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं होता है तो सारा विधेयक बेकार हो जाता है कि आखिर कब तक हरिजनों को कानून के सहारे खड़ा किया जाय। आपको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये और अगर कानून पर ही खड़ा होना चाहेंगे तो आप गिर जायंगे। तो यह इस तरह का विचार रखना कि केवल कानून की सहायता पर ही

या अपने को अलग करके हम काम करें, तो काम नहीं चलेगा। जैसा कि इस विधेयक में है, वह खतरनाक है और वह यह है कि केवल हरिजनों का कम्पटीशन होना चाहिये और उनके साथ किसी का न हो। यह सेपरेशन की टेन्डेन्सी बहुत खतरनाक है और वर्ग के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा, वह समझेंगे कि हरिजन लोग अपनी लंका अलग बसाना चाहते हैं। इसलिये इस चीज को विधेयक से निकाल दीजिये और इसकी वजह यह है कि अगर आप कामन कम्पटीशन में शामिल होते रहेंगे, आपके लड़के अच्छे राष्ट्र के लड़कों के साथ कम्पटीशन में बैठेंगे तो उनको अपने को उन्नत करने का मौका मिलेगा, उनमें उत्साह बढ़ेगा, कम्पटीशन में तभी कोई चमकता है जब कि होशियार लड़कों के सामने आता है। और केवल अपने ही में बैठकर आप आ गये तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए इस सेपरेटिस्ट टेन्डेंसी को हटाना चाहिये। इसलिये अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में जो यह व्यवस्था की गई है कि हरिजनों का कम्पटीशन बिल्कुल ही राष्ट्र के और लड़कों से अलग होना चाहिये, यह खतरनाक है और इसको विधेयक से निकालना चाहिये।

दूसरी बात जो कि सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं वह यह है कि हरिजनों का रिप्रजेन्टेशन तीन जगह होता है। पहला तो यह कि जहां पर रिप्रजेन्टेटिव बौडी है इलेक्शन के जरिये से, जैसे कि हम लोग आते हैं, दूसरा सर्विसेज, जिनमें कि जनरल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कलेक्टर, तहसीलदार, लेखपाल, वगैरह-वगैरह। तीसरे एक और सर्विसेज हैं जिनको टेक्नीकल सर्विसेज कहते हैं, जैसे डाक्टर्स, इंजीनियर्स। इस तरह से तीन हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। अब इसमें भी जब आप विभेद करने का विधेयक लाते हैं तो विचार करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि हम सबकी यह इच्छा है कि हरिजनों का उद्धार जरूर होना चाहिये। लेकिन इसके साथ-साथ हमको यह भी नहीं भूलना चाहिये कि देश सब से बड़ा है, उसकी हानि किसी तरह से नहीं होनी चाहिये अगर देश की हानि होती है तो हरिजनों को चाहिये कि वह सबसे पहले अपने आप को कुर्बान करें। तो इन तीनों को मैंने आपके सामने रखा। जहां तक कि रिप्रिजेंटेटिव बाडी है उसमें तो आपको जाना चाहिये। चाहे २० परसेंट रखिये, चाहे उससे भी ज्यादा बढ़ा लीजिए, २५ परसेंट कर लीजिए, ३० परसेंट कर लीजिए, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। शौक से वहां जाइए और काम कीजिए। दूसरा है सामान्य प्रशासन। सामान्य प्रशासन में सामान्य विशेषता की आवश्यकता पड़ती है, जनरल क्वालीफिकेशन की जरूरत होती है, तो उसमें कोई मिनिमम क्लालीफिशन जरूर होनी चाहिये। बिना मिनिमम क्वालीफिकेशन के इन सर्विसेज में जाना उचित नहीं है। इसलिये यह जो इस विधेयक में व्यवस्था की गई है कि केवल उनमें ही कम्पीटीशन हो और उसमें जो आ जाय वह रख लिया जाय, यह मैं समझता हूं उचित नहीं है। सामान्य प्रशासन में मिनिमम क्वालीफिकेशन जरूर रखनी चाहिए। बिना क्वालीफिकेशन के यह नहीं होना चाहिए। अब रह गया तीसरा, टेक्निकल सर्विसेज का। इसके विषय में मैं यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इसमें हमें पूरी क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए। इन टेक्निकल सर्विसेज में जो लोग रखे जाते हैं, इंजीनियर्स, डाक्टर्स, या और इस तरह के लोग तो इनमें अगर जरा भी इनएफिश्येंट कोई पहुंच गया तो सारे देश का सत्यानाश हो सकता है। एक इंजीनियर गलत पहुंच गया तो उसकी गलती से हजारों रुपये देश के बर्बाद हो सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई डाक्टर इनएफिश्येंट पहुंच गया तो सैकड़ों हजारों आदमी उसकी वजह से मर सकते हैं। इसलिए टेक्निकल सर्विसेज के लिए मैं इस बात की प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक में यह रखा जाना चाहिये कि इस तरह की सर्विसेज के लिए हरिजनों को भी उन सभी क्वालिफिकेशंस को ही फुलफिल करना पड़ेगा जो कि और लड़कों के लिए होंगी। तो यह जो मैंने आपके सामने रखा, यह बिल्कुल वास्तविकता पर निर्धारित बातें हैं। इन्हीं विचारों

[श्री नौरंगलाल]

को सामने रखते हुए आपको इस विधेयक में चेंज करना पड़ेगा और इसीलिये अब चूंकि समय ज्यादा नहीं है इस पर बात करने का, मैं सिर्फ यही और कहना चाहता हूं कि मैं आपके उद्देश्य से पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन आपने जो यहां पर विधेयक रखा है उसमें बहुत से परिवर्तन करने हैं। जहां तक सिद्धान्त का सवाल है मैं मानता हूं कि संविधान ने आपको शक्ति दी है, आपको संरक्षण दिया है, उसको पूरा करना हमारा सबका फर्ज है और अगर विधेयक के जरिये आप उसे पूरा कर सकते हैं तो इसमें कोई आब्जेक्शन नहीं होना चाहिये। इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए कि हम आपको लाकर वहां खड़ा कर दें जहां कि और लोग खड़े हैं। इसलिए मैं आखिर में सदन के सामने इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए और चूंकि यह जो विधेयक प्रस्तुत है इसमें बहुत सी फार्मल भी गलतियां हैं और साथ ही साथ सैद्धान्तिक भी गलतियां हैं, इसलिये जो इस पर संशोधन है सदन के सामने कि इसको एक प्रवर समिति में भेजा जाय, मैं उसका समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि प्रवर समिति के सामने इसे जरूर जाना चाहिए, जिससे कि वह अच्छी तरह से सोच-विचार करके इसमें आवश्यक संशोधन करके इसे यहां भेजें। तो मैं इसको सपोर्ट करता हूं लेकिन साथ ही साथ यह अवश्य निवेदन करता हूं कि प्रवर समिति में इसे अवश्य भेजा जाय...

श्री अध्यक्ष---आप रिपीटीशन बहुत कर रहे हैं। प्रवर समिति में भेजे जाने के लिए आप बार-बार कह रहे हैं।

श्री नौरंगलाल---तो मैं इतना ही कह कर बैठ जाना चाहता हूं कि जब तक प्रवर समिति में नहीं जायगा तब तक यह इस काबिल नहीं होगा कि इसे यहां पास किया जा सके। इसलिए यह मान लिया जाय कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री अध्यक्ष---(श्री जयपाल सिंह के खड़े होने पर) अब मैं समझता हूं कि आप अब इस पर अगली बैठक के वक्त भाषण दें।

अब हम उठते हैं और १ दिसम्बर, १९५४ को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;

२२ अक्तूबर, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ २८८ पर)

विभिन्न अपराधों के विवरण का नक्शा (सन् १९५३)

नाम थाना	अपराध	थाने में लिखी गयी रिपोर्ट कीसंख्या	तफतीस कियेगये मामले	चालान किये गये मामलों की संख्या	सजा किये गये मामले	रिहा किये गये मामले	निर्णयाधीन मामले	बगैर तफतीस किये गये मामले	लापता	पकड़े गये अपराधियों कीसंख्या	सजा हुये अपराधियों की संख्या
सौरिख	चोरी	२९	२९	१५	५	—	१०	—	१४	६०	३१
	डकैती	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कत्ल	३	३	३	१	१	१	—	—	१०	२
	बल्बे	८	६	६	१	—	५	२	—	५२	८
	ताजीरात हिन्द के विविध अपराध	५	५	४	१	१	२	—	१	१०	५
	फौजदारी के विविध अपराध	२२	२२	२२	१०	—	१२	—	—	५२	१०
इन्दख	चोरी	१०	१६	६	२	—	४	१	१०	१२	४
	डकैती	४	४	४	—	२	२	—	—	३८	—
	कत्ल	२	२	२	—	२	—	—	—	९	—
	बल्बे	८	५	४	—	—	४	३	१	४०	—
	ताजीरात हिन्द के विविध अपराध	३०	२९	७	—	२	५	१	२२	१७	—
	ऐक्ट व जाब्ता फौजदारी के विविध अपराध	३६	३६	३६	२८	२	६	—	—	४६	३९
ठठिया	चोरी	३३	३३	६	१	१	४	—	२७	६१	३
	डकैती	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कत्ल	१	१	१	—	१	—	—	—	१	—
	बल्बे	१	१	१	—	—	१	—	—	१४	—
	ताजीरात हिन्द के विविध अपराध	९	८	६	१	१	४	१	२	१०	१
	ऐक्ट व जाब्ता फौजदारी के विविध अपराध	३४	३४	३२	१५	२	१५	—	२	५१	१५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३१६ पर)

[उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४]

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के निमित्त राजकीय सेवाओं में संरक्षण तथा उसे उचित रूप से कार्यान्वित करने का ।

विधेयक

प्रस्तावना — यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का संरक्षण राजकीय सेवाओं में किया जाय, अतएव यह अधिनियम बनाया जाता है ।

अध्याय १

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ — १—(क) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा ।

(ख) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(ग) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

परिभाषायें । — २—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के प्रतिकूल न होने पर:

(१) "अनुसूचित जातियों" से तात्पर्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अन्तर्गत राष्ट्रपति की आज्ञा, १९५० ई० में उल्लिखित "अनुसूचित जातियों" में है ।

(२) "सरकार" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ।।

(३) "पदाधिकारी" से तात्पर्य उस अधिकारी से है जो समय-समय पर राजकीय सेवाओं के निमित्त कर्मचारियों की भर्ती करता है या जो इस कार्य के लिये उस समय नियुक्त किया जाता है ।

(४) "संविधान" से तात्पर्य "भारतीय संविधान" से है ।

अध्याय २

सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों का संरक्षण । — ३—उत्तर प्रदेश के प्रत्येक राजकीय सेवा में अनुसूचित जातियों का संरक्षण २० प्रतिशत होगा ।

४—अनुसूचित जातियों के निमित्त सुरक्षित स्थानों के लिये प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा, चुनाव तथा मौखिक परीक्षा में अनुसूचित जातियों की प्रतियोगिता चुनाव तथा परीक्षा अनुसूचित जातियों के ही अभ्यर्थियों के ही अन्तर्गत होगी ।

अध्याय ३

अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं का स्थायीकरण । — ५—अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को जो १ जनवरी, १९५४ ई० को स्थायी स्थान पर जिन पर किसी दूसरे का ग्रहणाधिकार (Lien) नहीं है, अस्थायी रूप से कार्य कर रहे थे स्थायी हो जायेंगे ।

किन्तु प्रतिबन्ध, यह है कि कर्मचारी उस स्थान के लिये योग्यता इत्यादि में उपयुक्त हों तथा उनकी सेवा सरकार के अन्तर्गत कम से कम एक वर्ष तक संतोष जनक रही है ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त प्रचार के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की सेवा का स्थायीकरण करते समय यह ध्यान रखा जायगा, कि उनका प्रतिशत धारा ३ में वर्णित सुरक्षित स्थानों की संख्या का अतिक्रमण न कर सके।

अध्याय ४

६—यदि कोई पदाधिकारी इस अधिनियम के किसी धारा, उपधारा या उसके अन्तर्गत निर्मित किसी नियम का उल्लंघन करता है तो वह उसे पद से च्युत अथवा पांच सौ रुपए तक का दंड अथवा छः मास का कठिन कारावास का दंड अथवा सभी दंडों का भागी होगा। दंड

७—इस अधिनियम के विषय में राज्य सरकार नियम बनायेगी। नियम बनाने का अधिकार।

उद्देश्य तथा कारण

चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों का निर्धारित भाग अभी पूर्ण नहीं हो पाया है जिससे अनुसूचित जाति की उन्नति संविधान के अनुसार इस सम्बन्ध में नहीं हो रही है।

अतएव उनका प्रतिनिधित्व पूर्ण करने के लिये एक अधिनियम की आवश्यकता है जिसकी पूर्त्ति के लिये वह अधिनियम निर्मित किया गया है।

आशालता व्यास,
सदस्य, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

जयपालसिंह,
सदस्य, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

गंगाधर जाटव,
सदस्य, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२०३ एल० ए०—१९५४—८५०।

विधान सभा उत्तर प्रदेश